हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

07 सितम्बर, 2015

खण्ड-2, अंक-5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 07 सितम्बर, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)....
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन	(5)....
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5)....
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)....
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)....
सरकारी संकल्प	(5)....
वॉक-आउट	(5)....
सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(5)....

मूल्य : 1016

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना/मामला उठाना (5)....
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव (5)....
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव (5)....
सचिव द्वारा घोषणा (5)....
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना (5)....
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-
(i) सफेद मक्खी इत्यादि द्वारा कपास की फसल की क्षति संबंधी (5)....
वक्तव्य-
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (5)....
(ii) बरसाती पानी से हुए नुकसान तथा क्षति संबंधी (5)....
वक्तव्य-
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (5)....
विधान कार्य
(i) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2015 (5)....
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन (5)....
विधान कार्य (पुनरारम्भ) (5)....
(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2015
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन (5)....
विधान कार्य (पुनरारम्भ) (5)....
(iii) दि हरियाणा लोकायुक्त (अमैंडमैंट) बिल, 2015 (5)....
(iv) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्स) अमैंडमैंट बिल, 2015 (5)....
(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्स अमैंडमैंट बिल, 2015 (5)....
(vi) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2015 (5)....
वॉक आउट (5)....
विधान कार्य (पुनरारम्भ) (5)....
वॉक आउट (5)....
विधान कार्य (पुनरारम्भ) (5)....
मुख्यमंत्री/अध्यक्ष/स्वास्थ्य मंत्री/प्रतिपक्ष के नेता द्वारा धन्यवाद।

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 7 सितम्बर, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

Haryana LIBRARY Chandigarh

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है ।

CM Window

***730. Shri Aseem Goel :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the steps taken by the Government to make the CM window more effective to redress the public grievances and to make it public friendly?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी,

सी0एम0 विन्डो को जनता की शिकायतों के निवारण के लिए तथा इसे जनप्रिय बनाने हेतु अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न पग उठाए गए हैं :-

1. विभागों द्वारा अग्रेषित कार्यवाही रिपोर्ट पर कार्यवाही के संबंध में आवेदनकर्त्ता की राय लेने तथा उन्हें उनकी समस्या की स्थिति के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु 50 व्यक्तियों का एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है।

2. सी.एम. विण्डो की कार्यवाही में पारदर्शिता हेतु, नागरिक अपनी समस्याओं की स्थिति वैब पोर्टल तथा मोबाईल ऐप्लीकेशन पर ट्रैक कर सकते हैं।

3. कॉल सेन्टर द्वारा उपलब्ध करवाए गए परिणामों व जानकारी की पुष्टि हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय के पदस्थ अधिकारियों द्वारा आवेदकों को क्रम रहित दूरभाष किये जाते है।

4. मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों द्वारा सी0एम0 विंडो की कार्यवाही बारे प्रशासकीय सचिवों, उपायुक्तों तथा नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत एवं नियमित चर्चायें की जाती हैं।

5. इस प्रक्रिया ने शिकायतों के निवारण में समय का सार प्रस्तुत किया है। शिकायत निवारण हेतु केवल समय ही सीमित नहीं बल्कि इसके साथ ही इस प्रक्रिया ने जिस अधिकारी द्वारा शिकायत पर कार्यवाही की जानी है, पर बहुत जिम्मेदारी भी डाली है। एन0आई0सी0 में विशेषज्ञों का एक नियमित रुप से शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित निगरानी के मापदण्डों में सुधार करने के लिए काम कर रहा है और प्रणाली विकसित करने और डाटा एकत्र और अनुभव एकत्र के आधार पर हर गुजरते दिन के साथ सुधार हो रहा है।

[श्री मनोहर लाल]

6. समस्या के निवारण के सम्बन्ध में अस्पष्टीकृत व अत्याधिक विलम्ब की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुये पोर्टल की सारी कार्यवाही ऑनलाईन है। विभिन्न विभागों द्वारा अग्रेषित कार्यवाही रिपोर्टों की गुणवता को पांच अधिकारी जांचते हैं।

7. इस प्रणाली में लोगों का विश्वास शिकायतों की एक स्थिर आमद से परिलक्षित होता है तथा निवारण की प्रक्रिया गति व गुणवता के तत्व को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने सी.एम. विंडो को 25 दिसम्बर, 2014 को बालू किया था । सी.एम. विंडो पर जो शिकायत दर्ज होती है उसके बाद वह नोडल ऑफिसर को मार्क होती है । हर जिले में हर विभाग का अपना एक नोडल ऑफिसर होता है। विभागानुसार उनका समाधान करके शिकायत को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। डिस्पोज ऑफ होने के बाद एक कॉल सैन्टर स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को कॉल करके पूछा जाता है कि वह की गई कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं । इस काम के लिए हरियाणा सी.एम. ऑफिस में 5 ऑफिसर्स की एक कमेटी बना रखी है, वह कमेटी भी समय-समय पर और सीधे तौर पर इस प्रकार की जानकारी लेती है ताकि इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सके। यह सारी प्रक्रिया अभी इवॉल्विंग स्टेज में है और इसको बढ़िया बनाने के लिए जितने प्रकार के सुझाव आते हैं हम उन सबको लागू करते हैं।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्व की सरकारों में भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था थी और अगर थी तो उसमें कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों का निपटान हुआ तथा वर्तमान सरकार में कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों का निपटान हुआ है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार में सी.एम. विंडो नाम से तो कोई शिकायत केन्द्र नहीं था लेकिन "हर समाधान" के नाम से 18 जून, 2010 में एक व्यवस्था लांच हुई थी जिसमें 4 साल में अगस्त, 2014 तक लगभग 118000 शिकायत रजिस्टर हुई थी और उसमें से 70 हजार शिकायत डिस्पोज ऑफ हुई थी। इसके विपरीत वर्तमान सरकार में 30.8.2015 तक 10 महीने के कार्यकाल में लगभग 98 हजार शिकायत रजिस्टर हुई हैं जिसमें से 75 हजार शिकायतें डिस्पोज ऑफ हो गई हैं अथवा उनकी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है । जिन शिकायतों का समाधान हुआ है उसके बाद हमें कॉल सैन्टर से जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका सैटिसफैक्शन रेट 17 प्रतिशत है। जो प्रारम्भ में पहले महीने में 5 प्रतिशत से शुरू हुआ था अब वह रेट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इस इम्प्रूवमैन्ट के साथ मैं कह सकता हूं कि यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

श्री बलकौर सिंह (कलांवाली) : माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने यह बहुत अच्छी स्कीम बनाई है लेकिन क्या होता है कि जो इसका चैनल है जहां स्टार्टिंग में ऐप्लीकेशन दी जाती है वह ऐप्लीकेशन सी.एम. विंडो में आ जाती है और इसी चैनल से जिस अधिकारी ने उसको रिड्रैस करना होता है पहले उसके पास जाती है लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह होती है कि वहां वह ऐप्लीकेशन सही रिड्रैस नहीं हो पाती । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बादलगढ़

गांव की एक समस्या है जो सी.एम. विंडो के शू आपके पास आई थी और वह रिड्रैस होने के लिए एस.एच.ओ. साहब के पास भी गई, तहसीलदार साहब के पास भी गई लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सका। समस्या क्या थी कि गांव में जो स्कूल की भूमि है उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है उस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि आपकी जो सी.एम. विंडो की स्कीम है यह सही मायने में आम जनता के लिए सफल स्कीम के रूप में साबित हो सके।

सरदार जसविन्दर सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि यह तो सही है कि पूर्व में मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से अपनी समस्या की पहुंच नहीं की जा सकती थी लेकिन इसमें एक बात देखने में आई है कि इसके लिए हर कोई आदमी उठकर बड़ा आसान चैनल होने के कारण मुख्यमंत्री जी को अपनी शिकायत भेज देता है। इस आसान चैनल से बहुत से आदमी ऐसे हैं जो बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें भी करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिनकी शिकायतें झूठी साबित हों तो उनके खिलाफ भी सरकार कोई सख्त कदम उठाए।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो इस समय सी.एम. विंडो लॉन्च की गई है तो क्या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्रीवैंस कमेटी थी या ब्लॉक लेवल पर ग्रीवैंस कमेटीज थी या मुख्यमंत्री जो स्वयं मिलते थे उसमें और इसमें क्या कोई अन्तर है ? सब कुछ ई- गवर्नैंस के सहारे नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कहीं न कहीं मैनुअल प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है क्योंकि बहुत सी शिकायतें यहां पर ऐसी आ जाती हैं जिनका समाधान शायद ऑफिसर्ज नहीं कर सकते क्योंकि सी.एम.विन्डो पर एक शिकायत आई कि हमारे पानीपत के सांसद लोगों से मिल नहीं रहे हैं, अम्बाला के सांसद नहीं मिल रहे हैं तो मैं समझती हूं कि यह ऑफिसर्ज के लेवल की बात नहीं होगी। सी.एम. विन्डो. की मॉनीटरिंग वाकई में ही जरूरी है क्योंकि पिछली सरकार में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी स्वयं लोगों से डायरैक्ट मिलने के बाद समस्याओं का समाधान करते थे क्योंकि लोकतंत्र में गवर्नमैंट ऑफ दा पीपुल, बाई दा पीपुल, फॉर दा पीपुल है तो लोगों से इन्ट्रैक्शन होनी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि सी.एम.विन्डो के माध्यम से लोगों से क्या इन्ट्रैक्शन कम हो गई है या बढ़ी है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से सी.एम.विन्डो तो एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। पहले सरकार की जितनी व्यवस्थाएं होती थी उसमें किसी को बन्द नहीं किया गया है। मैं अपने निवास पर प्रतिदिन दो घण्टे का समय मिलने वाले आदमियों के लिए निकालता हूं उसमें चाहे कोई भी आदमी आता है, मैं उससे मिलता हूं। इसी प्रकार से हमारे सभी मंत्रियों के कार्यालय या आवास लोगों से मिलने के लिए खुले हैं। जिसमें कहीं भी कोई भी आदमी जा सकता है और वहां जाने के बाद मंत्री उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका समाधान भी निकालते हैं। यह सी.एम. विन्डो तो उन लोगों के लिए लागू की गई थी कि जो लोग चण्डीगढ़ नहीं पहुंच सकते और जिसकी कहीं कोई एप्रोच नहीं है क्योंकि यहां आने में पैसा भी लगता है, उनका समय भी लगता है लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहां पहुंचने के बाद भी मंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते थे तो ऐसे सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सामान्य व्यक्ति को भी अपनी ग्रीवैंस दर्ज कराने का अतिरिक्त

[श्री मनोहर लाल]

अवसर मिल जाए। अब ग्रीवेंस कहने वाला व्यक्ति अपनी मन की इच्छा से कुछ भी कह सकता है उसके लिए रोक नहीं है। ऐसी-ऐसी ग्रीवैंस आती हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है आप इसकी शादी कराईये। अब ये ग्रीवैंस नहीं है। यह तो एक ऐसी कठिनाई है जिससे वह सामाजिक तौर से तो पीड़ित है जिससे वह शायद अपेक्षा रख बैठा है। ऐसी ही बहुत सी ग्रीवैंस ट्रांसफर के रूप में आती हैं। बहुत सी ग्रीवैंस अपने गांव की डिमांड्स के रूप में भेजते हैं कि गली नहीं बन रही हैं या कोई ट्यूबवेल नहीं है कोई नया ट्यूबवेल लगवाईये। इस प्रकार की कई चीजें सी.एम. विन्डो में आती है जिसको हम फिल्टर करते हैं लेकिन वास्तव में जो ग्रीवैंस है जैसे कहीं किसी की पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है या जो एफ.आई.आर. लिखी गई है उसके अनुसार समाधान नहीं हो रहा है। ग्रीवैंस भी ऐसे नहीं है कि जो ग्रीवैंस करने वाला है, उसके हिसाब से ही उसका समाधान होगा। वह समाधान सरकार के नियमानुसार और जो कार्य सरकार के अधीन काम होने वाले हैं, वह उसी के हिसाब से होते हैं। फिर भी मैंने कहा कि ग्रीवैंस सैल में आई हुई हर ग्रीवैंस का समाधान होगा, यह संभव ही नहीं है। ये एक अतिरिक्त व्यवस्था जनता को दी हुई है। हम चाहते हैं कि किसी को भी अनहर्ड न जाने दिया जाए। जितने लोग भी अपनी ग्रीवैंस के नाते कोई कागज पकड़ा देते हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक परम्पराओं में बराबर हमारी आस्था भी है और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी है। जहां तक झूठी कंप्लेंट्स का संबंध है उनके लिए कुछ फिल्टर ऐसे लगाए गए हैं। बाकायदा टैलीफोन नंबर नोट किए जाते हैं और यदि एक ही टैलीफोन नंबर से बार बार शिकायतें आती हैं तो यह पता लग जाता है कि किस मानसिकता से शिकायत कर रहे हैं। जहां तक एक्शन की बात माननीय सदस्य ने पूछी है अभी एक्शन की कोई बात नहीं है लेकिन उनको बताया जाता है कि जहां वास्तव में ग्रीवैंस हो, वहीं दर्ज कराई जानी चाहिए। फिर भी यदि माननीय सदस्यों के कोई सुझाव हैं तो वे बता दें उनको लागू किए जाने की जरूरत है। वे बता दें हम देख लेंगे कि क्या उनको लागू किए जाने की जरूरत है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव है और मैं जानना भी चाहता हूं कि जिस तरह से चौधरी देवी लाल जी के समय में खुले दरबार लगाए जाते थे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाए जाते थे। इस प्रकार का क्या कोई प्रोग्राम इस सरकार का भी है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बड़े गांवों में और कस्बों में जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनकर उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हर राजनीतिक आदमी का यह काम है और चौधरी देवी लाल जी भी ऐसा किया करते थे। हम भी करते हैं और केवल घोषणा करके करते हों, ऐसा नहीं है। जहां कुछ लोग खड़े हों और मिलना चाहते हों, उनसे मिलते भी हैं। हर अच्छे काम की सराहना पहले भी होती थी और हर अच्छा काम करने के लिए हम भी तैयार हैं।

Balanced Regional Growth

***751 Smt. Rohita Rewri :** Will the Finance Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the balanced regional growth of the State; if so, the full details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां श्रीमान् जी, सरकार राज्य के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शासन के मूलभूत सिद्धांत 'सबका साथ सबका विकास' में राज्य के संतुलित विकास की भावना निहित है। राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास को त्वरित करने और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निम्न त्रिआयामी नीति अपनाई है :

(i) समान सार्वजनिक खर्च और इसमें बढ़ोतरी,

(ii) कम विकसित क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लक्षित कार्यक्रम और

(iii) उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के ढांचे के भीतर पूरे राज्य में नीजि उद्यमियों और औद्योगिकरण को बढ़ावा।

श्रीमती रोहिता रेवड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकार का रीजनल इम्बैलेंस का जो आधार है, सरकार समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, इसको मापने के लिए सरकार के पास अपना कोई तयशुदा मापदण्ड नहीं है, जिसके आधार पर सरकार यह कहे कि रीजनल इम्बैलेंस के ये आंकड़े हैं, लेकिन कुछ बिंदु जरूर हैं, जिनके आधार पर आकलन किया जा सकता है कि राज्य की सरकारें अपनी योजना में जो योजनागत खर्च है, उस खर्च का आबंटन जिलेवार किस आधार पर करती रही हैं। सामान्य आकलन का एक आधार हो सकता है परन्तु हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पर कैपिटा इन्कम में बहुत बड़ा अंतर है। उसके आर्थिक आधार और दूसरे आधारों पर जो तरीके हो सकते हैं, वे अलग है। सरकार का विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किए जाने वाले खर्च और किस जिले में कितना कलैक्शन है और उस जिले में कितना खर्च हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर हुडा की कलैक्शन जिलेवार है और उसी तरीके से उसका खर्च किया जाता है। उसी तरह से हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड और हरियाणा स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड कलेक्शन और औद्योगिकरण का विस्तार है उसमें अन्तर-भेद, तीन चार तो सीधे सीधे राज्य की योजनाओं से संबंध रखते हैं। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आदरणीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है कि सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है। सरकार ने विभिन्न आंकड़ो पर ध्यान करते हुए कि अतीत में जो भेदभाव के मामले सामने आये जिनको बजट सत्र के दौरान और व्हाइट पेपर पर अनौपचारिक चर्चा के दौरान भी रखा था। जिन जिलों में पहले अनुपात के हिसाब से खर्च ठीक नहीं हुआ वहां पर आने वाले समय में विशेष रूप से चरणबद्ध ढंग से खर्च करके उसे दुरूस्त करने की सरकार की नीति और योजना है। इसके अलावा जो नई इंटरप्राईजिज प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से पूरे हरियाणा के ब्लॉक्स को चार वर्गों में बांटा गया है। जिस प्रकार से चार ब्लॉक्स में क्लासीफिकेशन की गई है, उसमें पहले भाग में तो प्रदेश के वे इलाके हैं जहां पर उद्योग का बहुत ज्यादा विस्तार है, आखिर में वे इलाके हैं जहां पर उद्योग का बिल्कुल विस्तार नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई बिल्कुल भी नहीं लगी है उन क्षेत्रों में भी उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके ताकि वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके। वहां की उपज को उद्योगों की इकाइयों में उपयोग

[कैप्टन अभिमन्यु]

करके उस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार की योजना में हमने उद्यमियों को कई प्रकार के बैनीफिट देने की भी कोशिश की है। हमारी आदरणीय सदस्या ने आर्थिक आधार पर समान विकास की बात का जो प्रश्न किया है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है लेकिन उसकी डिटेल यहां पर देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैण्डर रेश्यो भी एक विषय है। जिस सरकारी इन्स्टीच्यूशन और गैर सरकारी इन्स्टीच्यूशन में बच्चे का जन्म होता है वह भी इसमें एक पैरामीटर हो सकता है। लिट्रेसी रेट भी इसमें एक पैरामीटर हो सकता है। सरकार जब कोई योजना बनाती है तो इन तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रखती है।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार के समय में दो तीन जिलों का प्रमुख रूप से विकास हुआ। पूरे प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जो इस विकास से अछूते रह गये हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन जिलों को प्राथमिकता दी जायेगी ? जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से औद्योगिक क्षेत्र में अम्बाला के साथ बहुत भेदभाव किया गया है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अम्बाला ए.के.आई.सी. यानी अम्बाला-कलकत्ता इन्डस्ट्रियल कोरीडॉर हाईवे के ऊपर स्थित है, वहां पर रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी ही 11.9.2015 को करने वाले हैं उसके बहुत नजदीक है। प्रदेश की कैपिटल के भी बहुत नजदीक है। जिस प्रकार से पुराने उद्योग अम्बाला में होते थे जैस मिक्सी का उद्योग, साईंस का सामान बनाने के उद्योग, दरी उद्योग, बांस का उद्योग और कपड़ा मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जो कपड़े की रिटेल मार्केट है उसमें लगभग 1500 दुकानें हैं लेकिन ये सारे उद्योग असुविधा की वजह से और पिछली सरकार द्वारा ध्यान न देने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। आज के दिन हरियाणा का गेटवे होने के बावजूद और कैपिटल के इतना नजदीक होने के बावजूद अम्बाला पिछड़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की जो नई पॉलिसी आई है उसमें अम्बाला के लिए क्या कोई स्थान है ? मंत्री जी इस बारे में सदन को बताने का कष्ट करें ?

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले भी और अब भी बहुत अच्छी बात कही कि सब जिलों का समान विकास किया जायेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिला सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को देता है। वर्तमान सरकार को सत्ता में आये आज लगभग 11 महीने हो गये लेकिन तिगाँव विधान सभा क्षेत्र को न तो आज तक डी-प्लॉन का कोई पैसा मिला है और न ही वह पाँच करोड़ रूपया मिला है जो सरकार ने कहा था कि हर विधान सभा क्षेत्र को पाँच-पाँच करोड़ रुपये सालाना ग्रान्ट के रूप में दिये जायेंगे जिससे हर क्षेत्र का विकास हो सके। माननीय मंत्री जी सदन को बतायें कि आप कह रहे हैं कि सब क्षेत्रों का समान विकास होगा इस प्रकार से कहां पर समान विकास की बात रह गई है ? हमारे विधान सभा क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है चाहे वह टूटी-फूटी सड़कों के बारे में हो, चाहे गलियों के बारे में हो, चाहे पानी की निकासी की बारे में हो। इस सदन में समान विकास की बात की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र तिगाँव के विकास की भी कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय प्रदेश के अंदर समान विकास की बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा भेदभाव तो मेरे हल्के के साथ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले दिनों हिसार में आए थे और वे वहाँ पर हर क्षेत्र के विकास की छोटी-मोटी घोषणा अवश्य करके आएं हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे मेरे उकलाना विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपए की घोषणा भी नहीं करके आए हैं। जहाँ तक ये कॉलेज बनाने की बात कर रहे है, मैं कहना चाहूँगा कि उस कॉलेज का अभी तक तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वह कॉलेज कहाँ बनेगा और कब बनेगा ? उसकी अभी तक कोई योजना ही नहीं बनी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान यह आश्वासन दिया था कि मेरे उकलाना हल्के के अंदर बी.डी.पी.ओ. के तीनों पदों को भर दिया जाएगा लेकिन बड़े दु :ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले वहाँ पर केवल एक ही बी.डी.पी.ओ. लगा हुआ था तथा अब उसको भी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है अर्थात् अब वहाँ पर बी.डी.पी.ओ. के तीनों ही पद खाली पड़े हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले विधान सभा सत्र के दौरान माननीय वित्त मंत्री महोदय कैप्टन अभिमन्यु जी ने कहा था कि उकलाना में म्यूनिसिपल कमेटी के सैक्रेटरी का पद एक महीने के अंदर भर दिया जाएगा लेकिन आज तक भी वह पद भरा नहीं गया है। इसी प्रकार से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि मेरे हल्के की सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली आज तक वहाँ पर सड़कों का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये सदन में बार-बार समान विकास की बात कह रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के उकलाना के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, उकलाना हल्के के विधायक श्री अनूप धानक जी मेरे प्रिय भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं तथा गाँव के नाते इनके यहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि उकलाना हल्के में आज तक हम ने 4.26 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। फिर भी यदि इनको विश्वास नहीं है तो ये मेरे कार्यालय में आकर रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं सभी विभागों की जानकारियाँ तो इनको नहीं दे सकता हूँ लेकिन निश्चित तौर से हम इनके हल्के की समस्याओं की चिंता जरूर करेंगे। हमारे माननीय साथी श्री ललित नागर जी की बात सुनकर तो मुझे हैरानी हो रही है। ये **हरियाणा नम्बर-1, हरियाणा नम्बर-1** का राग अलापते हुए हरियाणा की जनता को 10 साल तक बहकाते रहे। उस समय इनको अपना दर्द ब्यान करने का मौका नहीं मिलता था जो अब आपकी कृपा से इनको मिला है। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो उनसे उम्मीद कर रहा था कि वे खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी कल ही फरीदाबाद में मैट्रो-रेल का उद्घाटन व शुभारम्भ करके गए हैं और उन्होंने फरीदाबाद को एक स्मार्ट-सिटी भी बनाया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फरीदाबाद को न केवल हरियाणा बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए जो संकल्प लिया है, माननीय सदस्य इसके लिए उनका धन्यवाद करने की बजाए अपनी पीड़ा का बखान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त, मेरे माननीय साथी अम्बाला शहर के विधायक श्री असीम गोयल जी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मुआवजा राशि में भी मेरे हल्के के किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। मेरी जमीन माननीय मंत्री महोदय कैप्टन अभिमन्यु जी के हल्के के साथ लगती है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इनकी जमीन कहीं दाएं-बाएं होगी, मुझे नज़र नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की जमीन की बात कर रहा हूँ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अम्बाला शहर हरियाणा प्रदेश में साईंटिफिक इंडस्ट्रीज़, मिक्सर, ज्यूसर आदि के निर्माण के लिए पूरे हिन्दुस्तान में विख्यात था लेकिन पिछली सरकारों का जिस प्रकार से अम्बाला शहर के साथ भेदभाव रहा है। वह किसी से छिपा नहीं है। पिछली सरकार ने अम्बाला शहर के महत्वपूर्ण उद्योग को मरने दिया तथा इसके विकास के लिए कोई सहारा नहीं दिया। हमारी सरकार जो नई Enterprise Promotion Policy लेकर आई है उसके अंतर्गत जो traditional cluster थे तथा technical knowhow थे जहां हमारे उद्यमियों को विशेष उद्योगों को आगे बढ़ाने का अनुभव है, इस क्षेत्र के लोगों में काम करने की स्किल है, उन सबको जिंदा रखने के लिए हमने विशेष कलस्टर बेस्ड एप्रोच के माध्यम से इस एरिया को थ्रस्ट एरिया के तौर पर आइडैंटीफाई किया है। जो भी सुविधाएं हमको यहां पर देनी हैं या जो कॉमन सर्विसिज देनी हैं उसके लिए केन्द्र सरकार से बातचीत करके हमने यहां एक टूल रूम की भी व्यवस्था करवाई है जिस पर लगभग 100 करोड़ रूपये खर्चा आने वाला है। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय चंडीगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। उस इंटरनैशनल एयरपोर्ट का लाभ किस प्रकार से अम्बाला उद्योग को पहुंच सके और मार्ग सुगम हो सकें, इस प्रकार की योजना पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंजाब के साथ सहयोग करते हुए काम कर रहे हैं।

Capacity of Rajwaha

***659. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Rajwaha No. 3 in district Jind; and

(b) if so, the time by which the capacity of abovesaid Rajwaha No. 3 is likely to be increased ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बनने से पहले रजवाहा नं. 3 निकाली गई थी। इसकी लम्बाई 0 से लेकर 128030 तक है। इसके बनने के बाद इसके कमांड एरिया में लगभग 42 से 44 परसैंट इजाफा हुआ। इसमें से 14 माइनर्ज अलग से निकाली गई थी। इसमें कभी भी यह कोशिश नहीं की गई कि इससे जो 14 माइनर्ज निकाली गई हैं उनके कमांड एरिया को बढ़ाया गया है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एकोर्डिंगली इसकी क्षमता बढ़ाई जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। इसकी टेल पर धिमाना,

अनूपगढ़, बिशनपुरा और विरोली 4 ऐसे गांव हैं जो लगातार आबियाना देते हैं लेकिन उनको वर्ष में एक आध बार ही पानी के दर्शन होते हैं। 0 से लेकर 74820 तक का एरिया सफीदो डिवीजन में पड़ता है तथा 74820 से लेकर बाकी एरिया हमारे जींद डिवीजन में पड़ता है । जो एरिया सफीदों में पड़ता है उसकी रिहैबिलिटेशन और री-मॉडलिंग हो चुकी है लेकिन हमारे इलाके में यह रजवाहा बिल्कुल तहस नहस अवस्था में है । जो 4 गांव मैंने बताएं हैं उनमें इस साल भी एक दिन भी पानी नहीं चला जबकि उसके साथ साथ खिमारखेड़ी, शामलोखुर्द, सिंधवीखेड़ा, रधाना, खरकरामजी तथा बराहखुर्द गांव ऐसे हैं जो इस साल बहुत ज्यादा पानी न चलने से पीड़ित हैं। इस रजबाहे की टेल पर 13 वर्षों में मैंने केवल 2 दिन ही पानी जाते देखा है। व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या एकोडिंगली इसकी रिहैबिलिटेशन और री-मॉडलिंग की जाएगी ? जो मोरियां इसमें लगी हुई हैं तथा जो मोगे इसमें सैंक्शन हैं क्या उनको पक्का करके या जो साइज महकमे द्वारा दिया गया है उसमें पाइप लाइन या पटड़ी लगाई जाएगी ताकि सुगमता से पानी आगे जा सके । क्या इन पीड़ित गांव वालों को न्याय देने के लिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी ? इसकी टेल के साथ साथ धिमाना गांव है जहां कभी पानी नहीं गया। धिमाना के साथ लगता गांव बहबलपुर है जिसका कुछ एरिया भी इसी टेल पर पड़ता है उसमें भी कभी पानी नहीं गया । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की हमारे इलाके में रिश्तेदारी हैं । इनकी बहन की बीबीपुर गांव में शादी हो रखी है । लगभग 20 सालों से ये 3 गांव सूखाग्रस्त हैं वहां नहरी पानी आधारित वाटर वर्क्स बने हुए हैं। वहां 10 किलोमीटर दूर ट्यूबवैल लगाकर महकमे ने पाइप लाइन लगा रखी है । स्पीकर सर, इन गांवों का पानी ऐसा है कि उस पानी को पीने वाले लोगों का जब देहांत होता है तो उनका अंतिम संस्कार भी उसके शरीर के टुकड़े करके करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे तीन नम्बर रजवाहे की रिहैबीलिटेशन, री-मॉडलिंग करवाने की कृपा करेंगे और अगर करवायेंगे तो उसकी समय सीमा क्या होगी ? क्या जो ये तीन गांव हैं धिमाना, बहबलपुर और बीबीपुर जो पहले इसी रजबाहे के कैचमैंट में आते थे इन गांवों की वर्षों से प्यासी जनता की प्यास बुझाने का प्रयास करेंगे ? क्या मंत्री जी इनके लिए कोई रजबाहा माईनर नम्बर 7 में से निकालकर इन गांवों की पानी की समस्या का समाधान करेंगे ? क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई तोहफा इन गांवों को देंगे ताकि इनकी रिश्तेदारी के गांव भी कभी पानी के दर्शन कर सकें ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो-जो सवाल उठाये गये हैं वे वास्तव में बड़े महत्व के हैं । यह बात बिलकुल सही है कि जो यह 39 किलोमीटर लम्बी नहर है इसमें से 14 माईनर निकाले गये हैं । यह भी बिलकुल सही बात है कि बहबलपुर की टेल पर पानी कभी आया ही नहीं है वहां के लोगों ने 13-14 साल से उसमें पानी देखा भी नहीं होगा। इसमें जो पानी आया है वह भी 2015 में ही आया है। यह बात भी ठीक है कि वह काफी कम मात्रा में आया। माननीय सदस्य द्वारा जो यह बताया गया है कि इस नहर की खराब स्थिति के कारण ही यह पानी कम मात्रा में पहुंचा है उनकी यह बात भी सही है। यह बात भी सही है कि इस नहर का कमाण्ड एरिया भी बढ़कर ग्रौस 32534 हो गया है और कल्टीवेबल 29011 हो गया है। विभाग की यह योजना है कि इस नहर का पुनर्निमाण पुनर्वास किया जाये। विभाग द्वारा इसकी योजना बनाकर उसका बजट भी तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर हमारी यही कोशिश है कि यह नहर जल्दी से जल्दी अपनी निर्धारित कैपेसिटी में बहने लगेगी। इसी प्रकार

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

से इसके साथ जो आसन माईनर है उसके पुनर्निर्माण का काम भी बुर्जी नम्बर 93 तक पूरा हो गया है। इसके अलावा हमारी रामकली माइनर को बहबलपुर माईनर से जोड़ने की भी योजना है ताकि बहबलपुर माइनर की टेल पर ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाया जा सके। इसके लिए विभाग को आवश्यक राशि 330 लाख रूपये की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस कार्य के लिए अभी ज़मीन की ऐक्वीजिशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए ज़मीन की ऐक्वीजिशन का कार्य पूरा होते ही हमें उम्मीद है कि माननीय सदस्य ने जिस भाव से इन गांवों में पानी की समस्या का समाधान करने की अपील सरकार से की है उसको उसी भाव व भावना से पूरा किया जायेगा।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, जो माननीय मंत्री जी ने अभी रजबाहे नम्बर 3 को रिहैबिलिटेट करने के बारे में बताया तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी रजबाहा नम्बर 7 में से इन तीनों गांवों धिमाना, बहबलपुर और बीबीपुर के लिए कोई माइनर निकलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो मैंने इनको रामकली माइनर को बहबलपुर माइनर से जोड़ने की बात कही है उससे इनकी समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरा इनसे निवेदन है ये कभी भी समय निकालकर मेरे पास आ जायें, उसके बाद हम इनके साथ बैठकर इस बारे में बात करके इनकी इच्छानुसार इस समस्या का कोई न कोई कारगर हल निकाल लेंगे। अभी विभाग की योजना रामकली माईनर को बहबलपुर माइनर से जोड़कर बहबलपुर माइनर की टेल पर इन-पुट बढ़ाने की है। अगर माननीय सदस्य को कोई दूसरा अल्टरनेट इससे ज्यादा बैटर लगता है तो उसके बारे में हम इनके साथ बैठकर विचार कर लेंगे।

श्री ओमप्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का लोहारू, राजस्थान के साथ लगता एक डैजर्ट एरिया है जहाँ पर बहुत सी माईनर और नहरें चौधरी बंसी लाल जी के मुख्यमंत्रीत्व काल में बनाई गई थी। उन सभी माईनर और नहरों में आज के दिन झाड़ और आक उगे हुये हैं। आज के दिन इन नहरों और माईनरों की मरम्मत, सफाई और रिमॉडलिंग की जरूरत है। लिफ्ट इरीगेशन के लिए जो पम्प लगाये गये थे वे भी सभी बंद पड़े हैं और वहाँ पर किसान अगर थोड़ी बहुत सिंचाई करता है तो वह स्प्रिंक्लर सिस्टम के द्वारा करता है और उस अंडरग्राउंड वॉटर का लेवल भी 400 फीट तक चला गया है। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर इन नहरों और माईनरों में पानी आयेगा तो किसान के खेत में भी पानी आयेगा अगर किसान उसको अपने ट्यूबवैल में डालेगा तो अंडरग्राउंड वॉटर का लेवल कुछ ऊपर आयेगा। इसलिए इन सभी माईनरों और नहरों की मरम्मत और सफाई की जरूरत है। इसी प्रकार से सिवानी ब्लॉक जहाँ पर कोई नहर नहीं है और न ही वहाँ पर अंडरग्राउंड वॉटर है जिसकी वजह से वहाँ पर किसानों की फसलें बिल्कुल सूख चुकी हैं। इसलिए वहाँ पर स्पेशल गिरदावरी करवाई जाये। लोहारू हल्के के किसानों की हालत बहुत खराब है। इसलिए उनके सभी माईनरों की, नहरों की और खालों की रिमॉडलिंग तथा सफाई करवाई जाये ताकि पानी की आपूर्ति बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और विभाग इस नहरी प्रणाली के तहत 92 नहरों का पुनर्वास कर रहा है तथा इस कार्य के लिए 182 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। जहाँ तक खालों की री-मॉडलिंग और सफाई की बात है तो काडा द्वारा इसके लिए 132 करोड़ रुपये 491 खालों के लिए रखे गये हैं और हम इस पूरे सिस्टम को पाईपलाईन के माध्यम से कर रहे हैं। जहाँ तक टेल तक पानी पहुंचाने की बात है तो यह बात हाउस में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हम टेल तक पानी पहुंचायेंगे और हमने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। भिवानी जिले में भी हम टेल तक पानी पहुंचाने में लगे हुये हैं। आज के दिन 217 टेल्स बची हुई हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है। हर जिले के लिए निश्चित रूप से यह जरूरी है कि टेल तक पानी पहुंचे।

Acquired Land used for other Purposes

***732. Shri Banwari Lal** : Will the Chief Minister be pleased to State —

(a) whether any matter has come to the notice of Government regarding use of acquired Land for the purposes other than for purpose it was acquired during the period March, 2009 to September 2014, if so, the details thereof; and

(b) whether any complaints regarding corruption for issuing CLU during the period March, 2009 to September, 2014 has been received by the Government, if so, the action taken thereon by the Government ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि शहरी सम्पदा, उद्योग, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, सहकारिता, परिवहन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़के), जन स्वास्थ्य, विद्युत और कई दूसरे विभागों द्वारा अधिग्रहित की जाती है। मांगी गई सूचना का सभी विभागों द्वारा संकलन किया जाना आवश्यक है। इस कार्यवाही में ज्यादा समय लगने की सम्भावना है और सभी सम्बन्धित विभागों से इस सूचना के संकलन के लिए आवश्यक प्रयासनुसार इसके इच्छित परिणाम मिलने की संभावना नहीं है।

(ख) हाँ, श्रीमान जी। इस सन्दर्भ में शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से कुछेक का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1 राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी नं0 10 दिनांक 4-12-14, पंचकूला श्री राम किशन फौजी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। श्री राम किशन फौजी द्वारा एक सिविल रिट पैटीशन नं0 4554 ऑफ 2014 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। मानीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27-2-15 द्वारा श्री राम किशन फौजी के खिलाफ शुरू की गई सारी कार्यवाहीयों को रद्द कर दिया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 दायर की जा रही है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

2 स्वाभिमानी नागरिक वैलफेयर सोसायटी, अम्बाला शहर के राजेश शर्मा व अन्य की ओर से की गई शिकायत के आधार पर श्री रामकुमार, जिला नगर योजनाकार अम्बाला, नगर तथा ग्राम आयोजन हरियाणा व राजस्व विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध एक जांच क्रमांक 4 दिनांक 18-5-15 अम्बाला पंजीकृत की गई है। राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा जांच की जा रही है।

3 लोकायुक्त, हरियाणा द्वारा ऐसे चार मामलों अर्थात शिकायत संख्या 44, 46, 47 व 80 वर्ष 2014 की जांच की जा रही है। सुनवाई की अगली तिथि 21-10-2015 है।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2009 से 2014 तक जो सी.एल.यू. हुई वे किस उद्देश्य के लिए हुई, इसकी जानकारी भी दी जाये।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में जो भूमि जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया गया है ? इस संबंध में मैंने बताया कि विभिन्न विभाग अपने-अपने कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करते हैं और यह बहुत विस्तृत जानकारी है जिसका संकलन करना इस थोड़े से समय में सम्भव नहीं है। माननीय साथी ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसके बारे में कोई शिकायत मिली हैं और सी.एल.यू. से संबंधित शिकायतों के बारे में विशेष रूप से पूछा गया है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि कुछ शिकायतें सरकार के समक्ष विभिन्न माध्यमों से आई हैं। लोकायुक्त के पास भी शिकायतें आई हैं उनमें से भी कुछ शिकायतें सरकार के पास आई हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछेक के बारे में यहाँ पर बता पाऊंगा। पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव रहे श्री रामकिशन फौजी के खिलाफ लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 4.12.2014 को एफ.आई.आर. नम्बर-10 रजिस्टर की गई थी। इसके अलावा एक और इन्क्वायरी नम्बर 4 दिनांक 18.5.15 को अम्बाला में रजिस्टर की गई है। श्री राजेश शर्मा और स्वाभिमानी नागरिक वैलफेयर सोसायटी, अम्बाला शहर की शिकायत पर श्री रामकुमार, जिला नगर योजनाकार अम्बाला, नगर तथा ग्राम आयोजन हरियाणा व राजस्व विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी अभी राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा की जा रही है। मैंने जैसा आपको बताया कि लोकायुक्त महोदय के द्वारा भी कई शिकायतें, जो सरकार को रैफर की गई हैं उनके ऊपर भी जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त मैंने जो मुख्य संसदीय सचिव रहे श्री रामकिशन फौजी के संदर्भ में जिक्र किया था उनकी जांच को हालांकि वर्तमान में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश करने का निर्णय लिया है लेकिन सरकार उस केस में लीव पैटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा ओमप्रकाश यादव और नरेश कुमार जो दोनों गुड़गांव से हैं उन्होंने शिकायत दाखिल की कि मानेसर, भोरंगपुर और लखनोला की चार सौ एकड़ जमीन जिसको कुछ चंद प्राईवेट लोगों को बहुत कम कीमत पर एक्विजीशन का डर दिखाकर के दे दिया गया उसकी जांच भी की जा रही है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार को 15 सौ करोड़ रुपये का एक रॉंगफुल लौस हुआ है एफ.आई.आर. नम्बर-510 दिनांक 12-8-15 के तहत उसका केस रजिस्टर किया गया है। यह केस गुड़गांव पुलिस के पास था । अब वह केस हरियाणा सरकार ने सी.बी.आई. को सौंपने का निर्णय किया है। सी.बी.आई. को उस केस की जांच दे दी गई है । आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में एक बड़ा मामला जो सैक्टर-83 से

संबंधित था, उसको लेकर भी जो चार गांवों की जमीन सिही, सिकोहपुर, खेड़की, दौला और सिकन्दरपुर बड़ा थे, उसके लिए एक विस्तृत जांच करने के लिए जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। वह इन्क्वायरी प्रारम्भ हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बहुत सारी जमीनें जिस उद्देश्य के लिए ऐक्वायर की गई थी लेकिन कभी- कभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण से भी उनके यूज को चेंज किया गया। लेकिन कई इतर कारणों से भी सी.एल.यू. के उद्देश्यों में परिवर्तन किये गये हैं। इस प्रकार के कई केस हैं। मैं केवल उल्लेख के लिए बताना चाहूँगा कि साहिबी नदी पर मसानी बैराज की जमीन बहुत पुराने समय में ऐक्वायर की गई थी। जिसमें उसकी कुछ जमीन अलग करके जो विभिन्न विभागों को ट्रांसफर करने के लिए जो विभिन्न समय में सरकार ने निर्णय किये हैं क्योंकि वह ब्यौरा भी विस्तृत है लेकिन उसमें से कुछ जमीन फोरेस्ट विभाग को दी गई है। ईको ट्यूरिजम डिवल्पमैंट के लिए 22.57 एकड़, एन.एच.ए.आई. को 13.33 एकड़ और एच.एफ.डी.सी. को 20 एकड़ और एग्जिस्टिंग बांध के नीचे लगभग 4 एकड़ जमीन यह मसानी बैराज की भी है। इसके अतिरिक्त रोहतक में आई.एम.टी. की स्थापना की गई और एक बहुत बड़ा आई.एम.टी. वहां पर स्थापित हुआ। इण्डस्ट्रीयल डिवल्पमैंट के लिए वहां पर जमीन अधिग्रहण की गई थी उसमें लगभग ढ़ाई एकड़ का हिस्सा ऑल इण्डिया फ्रीडम फाइटर्स ऑरगेनाइजेशन को चौधरी रणबीर सिंह मेमोरियल के नाते से सरकार ने अलॉट करने का निर्णय किया और उसी के साथ लगती हुई जमीन को टाउन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा अर्बन डिवल्पमैंट अथोरिटी को भी ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। यह जमीन भी इण्डस्ट्रीज के उपयोग से अलग उपयोग में जा रही थी इसलिए यहां उसकी चर्चा करना उचित है। आदरणीय अध्यक्ष जी यह सूची लम्बी हो जाएगी तो मैं जो विवरण उल्लेख कर सका उसको मैंने आपके माध्यम से प्रस्तुत किया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं, यह ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मैं सदन के नेता से यह जानना चाहूंगा कि हमने इस सदन के पहले और दूसरे अधिवेशन में भी इस बारे में कहा था। दोनों दफा हम महामहिम से भी इस बारे में मिले थे और 400 पेज की चार्जशीट भी अपनी पार्टी की तरफ से उनको दी थी। दोनों दफा आश्वासन दिया गया था और आश्वस्त किया गया था कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। अब काफी समय बीत चुका है मैं जानना चाहूंगा कि अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है और उसकी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी ? इस सदन में भी इस बारे में आश्वासन दिया गया था। सदन के नेता ने भी आश्वस्त किया था और उनकी गैर मौजूदगी में मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे और यह भी कहा गया था कि अगर कोई डॉक्यूमैंट्स आपको मिलें तो हमें दें, ताकि हम उन डॉक्यूमैंट्स को उनके साथ जोड़कर उनकी इंक्वायरी करा सकें। ताजा जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अम्बाला जिले में करीब 500 करोड़ रुपये का ऐसा घोटाला किया गया है जिसमें खादी बोर्ड की जो जमीन थी जो कि अम्बाला जिले में मुलाना और बराड़ा इलाके की यह बेशकीमती जमीन थी, जिनको बहुत कम भाव में खादी बोर्ड ने पिछले दस सालों में बेचने का काम किया है। सारे दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए मैं आपको जबानी कलामी बता रहा हूं। डॉक्यूमैंट्स हैं, वह भी हम दे देंगे। दोनों सदनों के दौरान हाउस को आश्वस्त किया था कि हम इस मामले की इंक्वायरी कराएंगे। यदि इंक्वायरी कराएंगे तो कब तक इंक्वायरी शुरु कर देंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष ने जो यह प्रश्न किया है यह इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें एक स्कोप है। प्रश्न यह है कि 2009 से 2014 के बीच में सी.एल.यू. किए गये वह जिस परपज के लिए किये गये थे, उसको बदला गया। लेकिन उसमें जानकारी की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें सी.एल.यू. के बाद जमीनों के उपयोग जिस परपज के लिए जमीनें दी वह बदले गए है। कुछ मामले तो इसमें बोनाफाइड हैं। क्योंकि समय समय पर आवश्यकतानुसार सरकार भी परपज बदलती रहती है, लेकिन कुछ सी.एल.यू.मैलाफाइड इंटैंशन से भी किए गए हैं। ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए हम लोगों ने इस मामले में ऑफीसर्ज की एक कमेटी के गठन का फैसला किया है जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इण्डस्ट्रीज, रेवेन्यू के अधिकारी भी होगें और वे अगले एक महीने में यह सारी जानकारी और रिपोर्ट देंगे कि सी.एल.यू. के बाद परपज किसलिए बदले गये थे। उसको फिर सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा देखा जाएगा कि किस ढंग से उनका दूसरा उपयोग किया गया। जहां तक बाकी सारे विषय उठाए गए हैं उसके अंदर हमने ढींगड़ा कमीशन बनाया और यह कमीशन भी हमने शिकायत के आधार पर बनाया है। जितना हम मैटीरियल इकट्ठा कर सकते थे, हमने किया है। उस कमीशन का गठन किया गया है। इसी प्रकार से पंचायत के दो केसों को भी इंक्वायरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। अंबाला के इस घोटाले के बारे में हमें भी जानकारी मिली है और इस मामले की इंक्वायरी भी मैटीरियल के आधार पर कराएंगे। शिकायत का जब तक मैटीरियल नहीं मिलता तब तक छानबीन करने में कठिनाई आती है। कहीं से भी मैटीरियल की जानकारी हमें मिलती है तो एक एक करके सब चीजें हमारे ध्यान में हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने मानेसर के मामले के लिए सी.बी.आई. को इंक्वायरी मार्क कर दी है। इसी प्रकार से और भी जिन विषयों के बारे में जानकारियां आती रहेंगी उसके बारे में हम जाँच करायेंगे और अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया हुआ है तो उसकी इंक्वायरी करवायेंगे और इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आयेगा, जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो जानकारी दी है कि इंक्वायरी जो जानकारी हासिल होगी उसके मुताबिक इंक्वायरी करवायेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार के बारे में इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सरकार को 400 पेज की चार्जशीट तैयार करके दी थी जिसमें एक-एक चीज सबूत के साथ हमने उस चार्जशीट के साथ लगाई हैं। ये इतने कागज हमने अपनी तरफ से या किसी प्राईवेट संस्था से नहीं लिये हैं बल्कि सरकार से आर.टी.आई. के माध्यम से लिये हैं। इसके अलावा हमने अपने लेवल पर कुछ और चीजें उस चार्जशीट के साथ लगाने का काम किया है। वर्तमान सरकार पहले हमारी चार्जशीट के आधार पर तो इन्क्वायरी करवाये। आपने पिछले दो सदनों में यह कहा था कि हम इस चार्जशीट के आधार पर इंक्वायरी करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे हमारी चार्जशीट के माध्यम से कब तक इंक्वायरी शुरू करवायेंगे। सरकार पहले इंक्वायरी तो शुरू करवाये बाकी जो-जो इस बारे में हमें पता चलता रहेगा वे जानकारी हम सरकार को देते रहेंगे।

हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे पुराने नेता श्री रोशन लाल आर्य, श्री रमेश खटक, श्री सुल्तान सिंह और श्री रणधीर सिंह जो पूर्व विधायक हैं इस सदन की वी.आई.पी. गैलरी में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Open A Government Colleges

*673. **Shri Jai Parkash :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Kalayat; if so, the time by which it is likely to be opened; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Rajaund; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) नहीं श्रीमान् जी।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी ने कलायत और राजौंद में सरकारी महाविद्यालय खोलने का एक सवाल किया है। आज की तारीख में इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कैथल जिले में पुण्डरी और खोल में कन्या महाविद्यालय अलग अलग उपलब्ध हैं। श्री जयप्रकाश जी एक वरिष्ठ माननीय विधायक हैं और ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। एक छोटे किसान के घर से उठकर ये यहां तक पहुंचे हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्न काल चल रहा है और माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब की मुसीबत यह है कि ये नहीं चाहते कि कलायत विधान सभा क्षेत्र के सवाल का जवाब दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये वहां की लड़कियों की जिन्दगी का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं जो विभाग ने हमें बनाकर दिया है। श्री जयप्रकाश जी हमारे अच्छे साथी हैं। मैं श्री जयप्रकाश जी की तारीफ कर रहा हूं इसके लिए भी दांगी जी नाराज हो रहे हैं। मुझे पता है कि श्री जयप्रकाश जब दांगी साहब की ग्रीन ब्रिगेड के चेयरमैन होते थे तब तो दांगी साहब बड़े प्रसन्न थे। इनकी ग्रीन ब्रिगेड का इतिहास मेरे पास है। श्री अभय सिंह चौटाला जी जो सदन में विपक्ष की पार्टी के नेता हैं। श्री जयप्रकाश जी को पता है कि उस समय इनकी एक ग्रीन ब्रिगेड होती थी उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी एक ग्रीन ब्रिगेड थी।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। This is not a question hour.

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, Dangi is saying that this is not a question hour. मैं आपके माध्यम से दांगी जी को सलाह दूंगा कि वे डॉ. रघुवीर कादियान जी से अंग्रेजी सीख लें। कादियान जी डाक्टर हैं इसलिए दांगी जी उनसे अंग्रेजी सीख लें।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छी लच्छेदार बात कही है लेकिन यह राजनीतिक मंच नहीं है। यह विधान सभा है और 2 लाख मतदाताओं ने चुनकर मुझे यहाँ पर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी जगह-जगह जाकर कह रहे थे कि पिछली सरकार में भेदभाव हुआ है लेकिन अब उनकी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कौल में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। ये जो आँकड़े बता रहे हैं वे आँकड़े ठीक नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि कृपया ये आँकड़े वैरीफाई करवा लिए जाएं। दूसरी बात यह है कि कलायत सब-डिवीजन और कैथल का डिस्टैंस 25-26 किलोमीटर है। कैथल के नजदीक वर्तमान सरकार ने कई जगहों पर कॉलेज बनवाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इनको जयप्रकाश के संघर्ष का पता है। जिस व्यक्ति ने भी जयप्रकाश को छेड़ा है वह टोटे में गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारा यह कॉलेज बनवा दिया जाए अन्यथा ये भी टोटे में जाएंगे। (हँसी) एक हमारे मित्र थे जो कैथल से मंत्री थे उन्होंने भी तथा हमारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल जी ने भी 5 वर्ष तक प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कलायत में सरकारी कॉलेज बनाने का यह मामला अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचाराधीन है। इस सदन में लच्छेदार भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आज स्पष्ट तौर पर यह आश्वासन चाहता हूँ कि कलायत में सरकारी कॉलेज बनाया जाए बेशक अगले वर्ष से बनाया जाए हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहाँ पर 25 किलोमीटर के आसपास कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। इसी प्रकार से मैंने राजौंद के कन्या महाविद्यालय की बात की है क्योंकि वहाँ पर भी आस-पास कोई कॉलेज नहीं है। हमारी इस माँग के बाद आपकी सरकार ने कोई पैरामीटर देखे बिना कॉलेज घोषित कर दिए हैं। अब मैं इनके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ूं क्योंकि मेरी अब कॉंग्रेस पार्टी से लड़ाई तो खत्म हो गई है। लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी की इसलिए छुट्टी कर दी कि इस पार्टी का भेदभाव का प्रचार हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय खट्टर साहब, सदन के नेता से अनुरोध है कि कृपया वे तो हमें कॉलेज दे दें। यदि खट्टर साहब हमारा कॉलेज नहीं बनाएंगे तो हम समझेंगे कि इन्होंने भी भेदभाव शुरू कर दिया है तथा यदि ऐसा हुआ तो फिर इनमें और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क रह गया है। अब ये यहाँ पर बैठे हैं। बाद में इनको भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें आना पड़ेगा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हम इनसे और कुछ नहीं माँगते हैं, ये सिर्फ हमें वहाँ पर एक कॉलेज दे दे हम इनके शुक्रगुजार होंगे। एक बात माननीय मंत्री जी ने सही कही है कि इनकी और हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। ये हमारे सीनियर होते थे। हम इनसे छोटे थे लेकिन ग्रीन ब्रिगेड में ये जो करवाते थे इनके हुक्म से मैं कर देता था क्योंकि ये उस समय मंत्री होते थे। (हँसी)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि श्री जय प्रकाश जी हमारे माननीय साथी हैं। (विघ्न) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वे कृपया हमें बताएं कि वे कलायत में कॉलेज चाहते हैं अथवा राजौंद में कॉलेज चाहते हैं ? मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा कि ये कन्या महाविद्यालय के लिए भवन व जमींन आदि का योगदान कर दें। यदि श्री जय प्रकाश जी कन्या महाविद्यालय के लिए भवन व जमींन दे देंगे तो कलायत या राजौंद जहाँ पर ये चाहेंगे वहाँ पर हम कन्या महाविद्यालय बनाने पर विचार करेंगे।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कलायत में हमारे पास बिल्डिंग भी है, जमीन भी है तथा वहाँ पर कन्या महाविद्यालय चल भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर दादा से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब इन्होंने इतनी बात कह ही दी है तथा मेरा भी 30 साल का संघर्ष है, इसलिए इसको देखते हुए एक कॉलेज खट्टर साहब भी दे दें। (हँसी) कलायत एक सब-डिवीजन है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे वहाँ पर को-एजुकेशनल कॉलेज की घोषणा कर दें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री दोनों ही अलग-अलग हैं इसलिए मैं इनसे अलग-अलग कॉलेज की माँग कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री जय प्रकाश, माननीय सदस्य को पूछना चाहता हूँ कि ये एक कॉलेज के लिए हमें अलग-अलग क्यों कर रहे हैं ? (हंसी)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यदि ये ऐसे ही हमें कॉलेज दे देंगे तो मैं इनको क्यों अलग-अलग करूँगा ? (विघ्न)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस पूरी सरकार का एक ही स्वर है तथा इसकी एक ही दिशा है।

15 :00 बजे **श्री जय प्रकाश :** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूँ कि यदि वे मुख्यमंत्री हैं। (हँसी) मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कैथल के अंदर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम खरक पांडया गांव में नेशनल हाईवे-65 पर तकरीबन 100 एकड़ जमीन दे देंगे। अगर आप कैथल में यूनीवर्सिटी की घोषणा करते हैं तो इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम पूरे हरियाणा में मैपिंग कर रहे हैं। हम आने वाले एक महीने के अंदर-अंदर इस तरह की घोषणा करने वाले हैं कि जहां भी 20 किलोमीटर के रेडियस में महिला महाविद्यालय नहीं है वहां हम महिला महाविद्यालय खोलेंगे। महिला महाविद्यालय खोलने के लिए हमने 20 किलोमीटर का पैमाना रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन

सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

National Highway in the State

***753.Shri Harvinder Kalyan :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the number of State Highways upgraded/declared as National Highways during the years from 2004; and

(b) the number of State Highways upgraded/declared as National Highways during the year 2015 ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) वर्ष 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के दौरान 575.75 कि0मी0 के 9 राज्य राजमार्ग व 33.096 कि0 मी0 प्रमुख जिला सड़कों का 7 राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में दर्जा बढ़ाया गया/राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये थे।

(ख) वर्ष 2015 में एक वर्ष के दौरान 497.67 कि0मी0 के 7 राज्य राजमार्ग, 30.70 कि0मी0 के प्रमुख जिला सड़कों व 14.67 कि0मी0 के अन्य जिला सड़कों के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में दर्जा बढ़ाया गया/राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये है।

To Construct Under Pass/Bridge

*758. **Shri Jai Tirath :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is no underpass or Bridge for the residents of villages Nagal Kalan, Aterna, Manoli, Bherabakipur, Khurampur, Khatkar, Patla, Pabsara Dahisara and Kundli on GT road in Rai constituency to cross the GT road; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a under pass or Bridge to enable the residents of the aforesaid villages to cross the road togetherwith the time by which the work of the aforesaid underpass and bridge is likely to be started/completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को आठ मार्गीय करने की परियोजना, दिल्ली राज्य में मकरबा चौक कि0मी0 15.500 से हरियाणा राज्य में कि0मी0 86.00 पानीपत तक, बी0ओ0टी0 (टोल) मोड में कि0मी0 31.330 पर एक फ्लाईओवर/भूमिगत पथ, कि0मी0 30.750 व कि0मी0 31.900 पर दो एफ0ओ0बी0 तथा कि0मी0 33.589 पर एक व्हीकुलर भूमिगत पथ बनाने की योजना है। ये फ्लाईओवर, भूमिगत पथ, एफ0ओ0बी0 व व्हीकुलर भूमिगत पथ राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-44) के कि0मी0 30.00 से 34.00 के बीच में पड़ने वाले गांवों नागल कलां, अटेरना, मनौली, भैरबाकिपुर, खुर्मपुर, खटकड़ पतला, पबसरा, दहिसरा तथा कुण्डली के निवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को पार करने के लिए सहायक होंगे। यह आठ मार्गी परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई है तथा इसके पूर्ण होने का समय कार्य शुरू होने की तिथि से 30 महीने है। कार्य शुरू होने की तिथि अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है। कार्य शुरू होने की व पूर्ण होने की तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

To Set up Government Industry

*702. **Sh. Rajdeep Phogat :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any Government Industry on the land of CCI Factory which is lying barren in Charkhi Dadri; if so, the time by which any industry is likely to be set up there ?

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी हाँ श्रीमान् इस भूमि को विकसित किया जाएगा और एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक सम्पदा हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य सरकार को अभी सी.सी.आई. से भार मुक्त कब्जा प्राप्त करना है।

Construction of Roads

*676. **Sh. Lalit Nagar :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Tigaon Assembly constituency —

1. Alipur Tilauri to Sahabad via Jasana;
2. Tigaon to Sahabad via Bhawapur;
3. Tigaon to Faijpur Arua via Kaurali;
4. Kaurali to Chandpur; and
5. Palla to Basantpur via Agwanpur; if so the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, ये सभी भौजूदा सड़के हैं। तथापि इन सभी सड़कों की मुरम्मत का कार्य केवल क्रम संख्या पांच (5) को छोड़कर, प्रस्तावित है।

Special Industrial Package

*821. **Smt Latika Sharma :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state :—

(a) Whether it is a fact that the Kalka Assembly constituency is Geographically different from the other constituencies of Haryana as it has 70-80% hilly area and reserved forest; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide special Industrial package to the above said constituency by declaring it as a backward area ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क व ख) हां श्री मान जी,

उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 में भौगोलिक संवितरण के अनुसार उद्योगों को प्रोत्साहन दिये गये है, जिसमें औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों को उनके औद्योगिकरण व आर्थिक आधार से, उनमें ज्यादा प्रोत्साहन दिये गये है। अपेक्षित है कि कालका विधानसभा क्षेत्र के भागो को इस नीति में दिये गये लाभों का फायदा होगा।

Safety of Industries in Gurgaon

***867. Sh. Umesh Aggarwal :** Will the Finance Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop millennium city Gurgaon as a safe industrial city; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां श्री मान जी,

गृह विभाग, हरियाणा व शहरी निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा मिलेनियम सिटी गुडगांव को सुरक्षित औद्योगिक शहर के रुप में विकसित करने के लिए किये गये उपायों का विवरण अनुबंध-1 में उपलब्ध है।

विवरण

गृह विभाग, हरियाणा ने गुड़गांव में उद्योगो की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बचाव/सुरक्षा के इन्तजाम किये है :—

1. आई.एम.टी. मानेसर में मारूती कम्पनी में आई.आर.बी. चतुर्थ वाहिनी का मुख्यालय बनाया हुआ है।
2. आई.एम.टी. मानेसर में एक पुलिस स्टेशन थाना मानेसर खोला हुआ है।
3. उद्योग विहार गुड़गांव में उद्योगों की सुरक्षा के लिये थाना उद्योग विहार व थाना सैक्टर-17/18 गुड़गांव भी कार्यरत है।
4. सैक्टर-34/37 में उद्योगों की सुरक्षा के लिये थाना सदर, थाना खेडकी दौला व थाना सैक्टर-10 कार्यरत है।
5. थाना मानेसर में 02 पी.सी.आर. और 02 राईडर, थाना खेडकी दौला में 01 पी.सी.आर. और 02 राईडर, थाना सदर में 04 पी.सी.आर. और 01 राईडर, थाना सैक्टर-10 में 03 पी. सी. आर. और 01 राईडर, थाना उद्योग विहार में 02 पी.सी.आर. और 01 राईडर व थाना सैक्टर-17/18 में 01 पी.सी.आर. और 01 राईडर द्वारा औद्योगिक ईकाईयों की सुरक्षा के लिये 24x7 पट्रोलिंग की जाती है।

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन विभाग :

1. गुड़गांव में तीन औद्योगिक सैक्टर हैं जो कि उद्योग विहार (फेज - 1 से 5 और सैक्टर-18), सैक्टर-35, 36 व 37 और आई0एम0टी0 मानेसर, गुड़गांव। गुड़गांव में चार अग्नि शमन केन्द्र हैं और एक मानेसर में है जो कि नगर निगम, गुड़गांव द्वारा संचालित है।

2. इन अग्नि शमन केन्द्र में 32 फायर टेण्डरज है (फायर व्हीकल) और 2 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म जिनकी उचाई 42 मीटर तक है जो आग की दुर्घटनाओं को काबू करने के लिए तैयार है।

3. अभी 158 फायर अधिकारी/कर्मचारी इन स्टेशन में कार्यरत हैं। 5 अग्नि शमन केन्द्र में से 3 अग्नि शमन केन्द्र औद्योगिक सैक्टर-37, उद्योग विहार और आई0एम0टी0 मानेसर में स्थित हैं।

4. यह कहना उचित होगा कि इमारतों की बढ़ती उचाई में आग पर काबू पाने के लिए 2 टरन टेबल लैडर को खरीदने की मांग है जिसकी उंचाई 55 मीटर तक है और 70 मीटर उचाई तक 1 और हाइड्रोलिक प्लेटफार्म तथा एक 101 मीटर उचाई तक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने की योजना हरियाणा शहरी निकाय विभाग के पास विचाराधीन है।

Mewat Development Board

***790. Sh. Naseem Ahmed :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the amount of budget of the Mewat Development Board During the year 2015-16 togetherwith the amount allotted for the development work out of the said amount ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्री मान जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैंट

मेवात विकास बोर्ड का वर्ष 2015-16 के लिए कुल 2900.00 लाख रुपये का बजट है। कुल बजट 2900.00 लाख रुपये में से केवल 856.90 लाख रुपये सामुदायिक कार्यों (सिविल कार्य) हेतु आंवटित है।

Scheduled Caste Commission

***837. Sh. Udai Bhan :** Will the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Scheduled Caste Commission to prevent the atrocities against the Scheduled Castes; if so, the details thereof ?

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : श्री मान् जी, नहीं, यद्यपि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन अधिसूचना क्रमांक 962-एस.डब्लयू (1)-2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 द्वारा किया गया है। विभिन्न कार्य जो आयोग द्वारा किये जाने थे वो सभी कार्य जिनमें अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार निवारण कार्य भी शामिल है भी देखे जायेगें। वर्तमान समिति मंत्री अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की अध्यक्षता में है।

Subsidy on Sprinkler/Drip System

***784. Sh. Jaswinder Singh Sandhu :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the amount of subsidy being provided under the Sprinkler/Drip Irrigation scheme in Horticulture together with the total number of farmers to whom the subsidy has been provided by the Government since October, 2014 till to date alongwith the district-wise details of the amount disbursed separately ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अक्तूबर 2014 से दिनांक 29-08-2015 तक 1941.22 लाख रुपये का स्प्रिंकलर/ड्रिप सिस्टम पर अनुदान जारी किया गया है। इस अवधि में कुल 2450 किसानों को कवर किया गया है। इनमें से 547 ने ड्रिप सिस्टम तथा 1903 ने लघु स्प्रिंकलर लगाया है। इस अवधि में जिलावार किये गये भुगतान के विवरण का परिशिष्ट साथ संलग्न है।

2014 से 29-08-2015

क्रमांक	जिला	वितरित की गई राशि (रुपये लाख में)
1.	अम्बाला	12.58
2.	भिवानी	321.84
3.	फरीदाबाद	8.24
4.	फतेहाबाद	27.62
5.	गुड़गांव	56.85
6.	हिसार	61.76
7.	झज्जर	91.25
8.	जीन्द	14.48
9.	कुरुक्षेत्र	14.48
10.	करनाल	80.68
11.	कैथल	20.11
12.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	370.69

1	2	3
13.	मेवात	151.33
14.	पलवल	11.93
15.	पंचकूला	11.93
16.	पानीपत	62.13
17.	रोहतक	69.88
18.	रिवाड़ी	340.67
19.	सोनीपत	38.10
20.	सिरसा	56.46
21.	यमुनानगर	47.67
	कुल	1941.22

To Fill up the Vacant Posts of Teachers

***832. Sh. Ranbir Gangwa :** Will the Education Minister be pleased to statewhether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of teachers after the upgradation of Govt. Girls Senior Secondary School of village Gangwa; if so, the time by which the vacant posts of aforesaid school are likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी। मामला सरकार के विचाराधीन है और अध्यापको के रिक्त पद शीघ्र ही भरे जाऐंगें।

Allotment of Shops

***842. Sh. Makhan Lal Singla :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot the shops to those mechanics who are working in the auto market Sirsa but the shops have not been allotted to them; if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमति कविता जैन) : श्रीमान जी योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि विभिन्न ऐजन्सिज व मुकदमेबाजी की संलिप्तता के कारण समय-सीमा संकेत नहीं दिया जा सकता।

Employment to Local Residents

***696. Sh. Tek Chand Sharma :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to give employment to local unemployed persons whose land, approximately 1832 acres, has been acquired for I.M.T. in Chandawali, Mujeri, Nawada, Sotai, Machhgar villages; and

(b) if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क) एवं (ख) नहीं, श्री मान जी। तथापि जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास निगम द्वारा अपनी औद्योगिक सम्पदा में औद्योगिक प्लाट आंबटित किया जाता है, औद्योगिक प्लाट के आंबटन के इच्छुक आवेदनकर्ता के द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र देना होता है :

आवेदन, यथासम्भव, अकुशल कार्य श्रमिकों एवं अन्य श्रेणियों में 75% रोजगार अपनी प्रस्तावित इकाई में हरियाणा निवासियों में से देने की प्राथमिकता देगा।

औद्योगिक प्लाट के आंबटन होने पर रोजगार सम्बन्धी, उपर्युक्त धारा आंबटी के पक्ष में निगम द्वारा जारी किए गये स्थाई आंबटन पत्र, अनुबन्ध एवं कन्वेयेन्स डीड की शर्तों में शामिल है।

Sewerage System

***807. Sh. Ram Chand Kamboj :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity of recent sewerage line and to set up a sewerage disposal system in Rania city; if so, the time by which aforesaid proposal is likely to be materalized ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : श्रीमान् जी, सीवर लाइनों की क्षमता पर्याप्त है। मलशोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा आंमत्रित की गई है।

To fill up the Vacant Posts of Veterinary Doctors

***873. Sh. Kehar Singh :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of veterinary doctors lying vacant in the Veterinary Hospital of village Tikri Brahman, Pahari Andheep, Nangal Jat of Hathin constitutency; if so, the time by which the above said posts are likely to be filled up ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्री मान जी हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांवों टिकरी ब्राह्मण, पहाड़ी, अन्धीप, नंगल जाट में कोई राजकीय पशु चिकित्सालय नहीं है। इसलिए वहां पर किसी पशु चिकित्सक को पदस्थ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, हॉलांकि, गांव अन्धूप में राजकीय पशु औषधालय विधमान है जहां पर वी.एल.डी.ए. पहले से ही पदस्थ है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Grants to Zila Parishad

119. Dr. Hari Chand Midha : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state the amount of grants released to Zila Parishad Jind and Zila Parishad Rohtak by the State Government during the Financial years 2009-10 to 2014-15 ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(राशि रुपये में)

वर्ष	जिला परिषद् जीन्द	जिला परिषद् रोहतक
2009-10	46,34,352	29,63,414
2010-11	63,73,939	40,94,831
2011-12	94,41,024	62,12,705
2012-13	1,71,25,382	72,04,849
2013-14	1,86,41,151	1,22,26,994
2014-15	1,81,87,136	1,02,81,658
कुल	7,44,02,984	4,29,84,451

Construction of Road

154. Sh. Kulwant Ram : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to four lane the road around the Cheeka city; if so, the time by which it is likely to be four laned ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। इस वजह से, समय का प्रश्न नहीं उठता।

Providing of 100 Sq. Yards Plots to the Poor People

158. Sh. Tek Chand Sharma : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether the Government has made any proposal for providing 100 Sq. Yard plots to the poor people in those villages where Panchayati land does not exist; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, वर्तमान में उन गांवों में जहां पर पंचायत की भूमि नहीं है उन गांवों में गरीब व्यक्तियों को 100 वर्गगज के प्लॉट आंबटित करने बारे कोई भी योजना नहीं है क्योंकि योजना के तहत प्लॉटों को आंबटित करना तथा इनका विकास करना चरणबद्ध आधार पर किया जाना है। प्रथम चरण में केवल उन्हीं गांवों को लिया जाना है जिनमें उपयुक्त पंचायत भूमि उपलब्ध है।

Number of Complaints in HUDA

163. Sh. Umesh Agarwal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The total number of applications received in the HUDA and Town & Country planning Department in Gurgaon through citizens Charter during the year 2014-15 and 2015-16 till date together with the details of the number of complaints which have been solved out of the aforesaid applicants; and

(b) The number of unsolved applications together with the details of pendency of period i.e. two weeks, one month, three months and more than three months ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

विषय नं0 1 (2014-15)

पी.पी.एम. सिस्टम द्वारा गुड़गांव के सम्पदा कार्यालयों (1 व 2) में दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान कुल प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र. नं.	संपदा कार्यालय	प्राप्त आवेदन	निपटान किए गए	विचाराधीन	लंबित
1	गुड़गांव-1	3882	3857	25	25
2	गुड़गांव-2	6335	6141	194	190
	कुल योग	**10217**	**9998**	**219**	**215**

विषय नं0 1 (2015-16)

पी.पी.एम. सिस्टम द्वारा गुड़गांव के सम्पदा कार्यालयों (1 व 2) में दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 अगस्त 2015 के दौरान कुल प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र. नं.	संपदा कार्यालय	प्राप्त आवेदन	निपटान किए गए	विचाराधीन	लंबित
1	गुड़गांव-1	1829	1542	287	147
2	गुड़गांव-2	3276	2535	741	384
	कुल योग	**5105**	**4077**	**1028**	**531**

(ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

विषय नं0 1 (2014-15)

पी.पी.एम. सिस्टम द्वारा गुड़गांव के सम्पदा कार्यालयों (1 व 2) में दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान आवेदन लम्बित रहने का विवरण

क्र. नं.	संपदा कार्यालय	02 सप्ताह	01 महीना	03 महीना	03 महीनें से अधिक
1	गुड़गांव-1	0	0	0	25
2	गुड़गांव-2	0	0	0	190
	कुल योग		**0**	**0**	**215**

विषय नं0 1 (2015-16)

पी.पी.एम. सिस्टम द्वारा गुड़गांव के सम्पदा कार्यालयों (1 व 2) में दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 अगस्त 2015 के दौरान आवेदन लम्बित रहने का विवरण

क्र. नं.	संपदा कार्यालय	02 सप्ताह	01 महीना	03 महिना	03 महीने से अधिक
1	गुड़गांव-1	54	24	52	17
2	गुड़गांव-2	116	91	126	51
	कुल योग	**170**	**115**	**178**	**68**

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

नगर एवं ग्राम योजना विभाग प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नियामक विभाग है जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम, 1975 और हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1983 को लागू करवाता है। इन्हीं अधिनियमों में विभाग द्वारा नागरिकों के लिए दी गई सेवाओं के लिए समय सीमा तय की गई है जैसे कि भूमि उपयोग में परिवर्तन का अनुमान, भवन निर्माण योजनाओं की अनुमति कब्जे के प्रमाण पत्र व सेल डीड पंजीकरण हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुदान आदि। इसके अतिरिक्त विभाग का कोई नागरिक चार्टर अधिसूचित नहीं किया गया है।

Yoga Training

164. Sh. Abhay Singh Chautala : Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred holding a two days Yoga training forHaryana MPs, MLAs and bureaucrats at Panchkula together with expenses incurred on the publicity through print or electronic media and other related/connected expenses thereto; and

(b) the total expenditure incurred for Yoga day celebration in all the districts of the state together with the state level function

[Abhay Singh Chautala]

organized in Karnal including expenses incurred on the publicity through print or electronic media and other related/connected expenses thereto ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी,

(क) लोक सभा सदस्यों, विधायकों एवं नौकरशाहों के लिए पंचकूला में आयोजित दो दिन के योग प्रशिक्षण शिविर पर समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया से एवं अन्य सम्बन्धित खर्चों सहित कुल 6.93 लाख रुपये खर्चा हुआ।

(ख) करनाल में राज्य स्तरीय एवं सभी जिला पर आयोजित योग दिवस समारोह के प्रचार हेतू समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सम्बन्धित खर्चों सहित कुल 315.14 लाख रुपये खर्चा हुआ।

Loans/Borrowing by the Government

131. Shri Zakir Hussain : Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) the month wise details of loans/market borrowings through sale of securities or otherwise from the market for the period from 01-04-2015 to 31-07-2015 and

(b) the month wise details of capital expenditure (Revenue/Capital account) incurred for the period from 1-04-2015 to 31-07-2015 ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक लिए गए ऋणों और बाजारी कर्जों सहित पूंजी खर्च (राजस्व/पूंजी लेखा) का मास-वार ब्यौरा की प्रति संलग्न है।

ब्यौरा

क्र0 संख्या	मास	उधार की राशि (करोड़ रुपये में)	तिथि
1.	अप्रैल	शून्य	शून्य
2.	मई	1000.00	12-5-2015
3.	मई	900.00	26-5-2015
4.	जून	1000.00	28-7-2015
5.	जुलाई	9000.00	14-07-2015
6.	जुलाई	1000.00	28-07-2015
	योग	**4800.00**	

*सूचना लम्बी होने के कारण यह सी0डी0 लाईब्रेरी की अनकरैक्ट प्रति के साथ संलग्न है।

दिनांक 1-4-2015 से 31-7-2015 कर राष्ट्रीय लघु बचत फंड (ऋण) का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(करोड़ रुपये में)

1.	अप्रैल	शून्य	शून्य
2.	मई	शून्य	शून्य
3.	जून	10.1	23-06-2015
4.	जुलाई	53.51	16-07-2015
	योग	63.52	

दिनांक 1-4-2015 से 31-7-2015 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन0सी0आर0पी0बी0) से प्राप्त ऋण का विवरण :-

(करोड़ रुपये में)

1.	मई	4.38	26-05-2015
2.	जून	45.51	30-06-2015
3.	जुलाई	4.53	01-07-2015
	योग	**54.42**	

दिनांक 1-4-2015 से 31-7-2015 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत ग्रामीण आधारित विकास निधि के ऋणों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(करोड़ रुपये में)

1.	जुलाई	20.62	31-07-2015
	योग	**20.62**	

प्रश्न (ख)

उत्तर

इस सम्बंध में बताया जाता है कि राज्य सरकार के लेखे प्रधान महालेखाकार हरियाणा (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ले0 एवं ह0) से प्राप्त मासिक लेखों के अनुसार माहावार राजस्व एवं पूंजी खर्च का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(करोड़ रुपये में)

1.	अप्रैल	2925.08	86.91
2.	मई	4602.54	241.96
3.	जून	4602.54	241.96
4.	जुलाई	5026.55	305.33
	योग	**16601.06**	**990.06**

Revaluation of Answer sheets

127. Prof. Ravinder Singh : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the number of students (subject wise) of class;-X who applied for revaluation of their answer sheets, examiner wise in class-X annual examination held in April 2015.

(b) the number of students (subject wise) of class;-X whose marks were revised as a result of revaluation alongwith the details of original marks awarded and marks revised of revaluation;

(c) the number of students (subject wise) of class;-XII who applied for revaluation of their answer sheets, examiner wise in class-XII annual examination held in April; and

(b) the number of students (subject wise) of class;-XII whose marks were revised as a result of revaluation alongwith the details of original marks awarded and marks revised as a result of revaluation?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी !

(क) जिन 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अप्रैल 2015 की वार्षिक परीक्षाओं में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था उन छात्रों की संख्या 5599 थी।

(ख) कक्षा 10वीं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संशोधित अंक वाले छात्रों की संख्या 4907 थी। कुछ छात्रों ने एक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया।

(ग) कक्षा 12वीं की वार्षिक में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 14521 उत्तर पुस्तिकाओं के लिए 10630 थी।

(घ) कक्षा12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या जिनमें पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अंक संशोधित किए गये की संख्या 12719 थी। कुछ छात्रों ने एक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। विषयवार विस्तृति प्रारूप। & ॥ पर संलग्न है।

प्रारूप-I

सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल-2015

विषय का नाम	विषय का पूरा नाम	पुनर्मूल्यांकन हेतू विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या	पुनर्मूल्यांकन उपरान्त विषयवार अंक परिवर्तित हुए (कम होने वाले तथा अधिक होने वाले) उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या
BWL	ब्यूटी एंड फिडनैस	06	06
CPU	कम्पयुटर साईन्स	04	04
ENG	ईंगलिश	485	451
HIN	हिन्दी	275	244
HOS	गृह विज्ञान	05	05
ITS	आई0टी0इनैब्लड सेवाएं	18	15
MAT	गणित	1669	1426
MHP	हिन्दुस्तानी संगीत (परिशियन)	01	शून्य
MHB	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	22	19
PHE	शारीरिक शिक्षा	61	53
PSR	शारीरिक शिक्षा एवं खेल	11	11
PUN	पंजाबी	23	22
SAN	संस्कृत	42	37
SCT	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	1868	1601
SOS	सामाजिक विज्ञान	1109	1013
कुल संख्या		**5599**	**4907**

उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य पूर्णत : मेन्युवल तथा गोपनीय है। उत्तरपुस्तिका पर केवल परीक्षक की विशिष्ठ पहचान संख्या होती है। उसका नाम, पद एवं पता नही होता है क्योंकि यह पूर्णत : गोपनीय होता है। गोपनीयता के दृष्टिगत जनहित में इसकी सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। अत : छात्रों द्वारा पूर्व अर्जित अंकों एवं पुनर्मूल्यांकन उपरान्त प्राप्त अकों का विषयवार विवरण संलग्न सी0डी0 में उपलब्ध है, क्योंकि सूचना 500-550 पृष्ठों की है।

[श्री राम बिलास शर्मा]

प्रारूप-II

सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल-2015

विषय का नाम	विषय का पूरा नाम	पुनर्मूल्यांकन हेतू विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या	पुनर्मूल्यांकन उपरान्त विषयवार अंक परिवर्तित हुए (कम होने वाले तथा अधिक होने वाले) उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या
ACC	अकाउटैन्सी	1015	912
ALL	अकाउटैन्सी एंड आडिटिन्ग	1	1
BIO	जीव विज्ञान	655	547
BUS	बिजनस स्टडीज	454	438
CHE	रसायन विज्ञान	2784	2358
CPU	कम्प्यूटर साईंस	67	55
CTN	कम्प्यूटर तकनीकें	2	1
ECO	अर्थशास्त्र	255	491
ENC	इंग्लिश (कोर)	3242	2974
FAP	फाईन आर्ट्स	67	58
GEO	भूगोल	180	154
HIC	हिन्दी (कोर)	395	351
HIS	इतिहास	191	173
HOS	गृह विज्ञान	85	80
ITS	आई0टी0 इनैब्लड सेवाएं	1	1
MAT	गणित	2487	2142
MHV	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	35	27
PAD	लोक प्रशासन	55	52
PHE	शारीरिक शिक्षा	42	39
PHY	भौतिक विज्ञान	1919	1590
POS	राजनीतिक शास्त्र	238	212
PSY	मनोविज्ञान	3	3
PUN	पंजाबी	3	3
SAN	संस्कृत	20	19
SOC	समाज शास्त्र	53	46
URDU	उर्दू	2	2
कुल संख्या		**14521**	**12719**

उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य पूर्णत : गोपनीय तथा गोपनीय है। उत्तरपुस्तिका पर केवल परीक्षक की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। उसका नाम, पद एवं पता नही होता है क्योंकि यह पूर्णत : गोपनीय होता है। गोपनीयता के दृष्टिगत जनहित में इसकी सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। अत : छात्रों द्वारा पूर्व अर्जित अंकों एवं पुनर्मूल्यांकन उपरान्त प्राप्त अकों का विषयवार विवरण संलग्न सी0डी0 में उपलब्ध है, क्योंकि सूचना 500-550 पृष्ठों की है।

Expenditure incurred on Beti Bacho-Beti Padhao Function

132. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Women and Child Development Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred for holding Beti Bachao-Beti Padhao function held at Panipat attended by Hon'ble Prime Minister, Chief Minister, Haryana and other dignitaries togetherwith expenditure incurred on the publicity through print or electronic media and other related/connected expenses thereto; and

(b) the total expenditure incurred for holding Beti Bachao-Beti Padhao function held at Gurgaon attended by Chief Minister including expenses incurred on the publicity through print of electronic media and other related/connected expenses thereto?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने देशभर में एक जन अभियान के माध्यम से असंतुलित शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिये 100 जिलों, जिन में लिंग अनुपात असंतुलित है उन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिये नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है जिसके सहयोगी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होंगे। हरियाणा के 12 जिलों नामत : महेन्द्रगढ़, झज्जर, रिवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, भिवानी तथा पानीपत, जिनमें असंतुलित लिंग अनुपात है उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्न है :-

1. पक्षपाती लिंग जांच को रोकना।
2. बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
4. बालिकाओं की समानता हेतु सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने बारे।

[श्रीमती कविता जैन]

दिनांक 20 एवं 21 जनवरी, 2015 को पानीपत में दो दिवसीय राष्ट्रीय विषयाधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती मेनका गांधी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात और लगभग 20 विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं पूरे देश से लगभग 27 राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 22-1-2015 को पानीपत में बेटी बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर शुभारम्भ के लिये 2.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। भारत सरकार द्वारा स्कीम के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2014-15 के लिये 2.23 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई ।

पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	विभाग का नाम	पानीपत में खर्च की गई राशि
1	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा।	3,55,35,295/- रुपये
2	शिक्षा विभाग	44,25,295/- रुपये
3.	सूचना लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग	2,74,90,442/- रुपये
4.	स्वास्थ्य विभाग	14,98,279/- रुपये
	कुल	**6,89,49,045/- रुपये**

(ख) 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनैशनल द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से गुड़गांवा में 21 जुलाई 2015 को "Call for action" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल, भारत में अमेरिका के राजदूत श्री रीचर्ड वर्मा, श्री लुइस जॉर्ज अरसनॉल्ट, यूनिसेफ कन्टरी हैंड एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के अतिरिक्त, सुरक्षा, शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार को लिंग संबंधी मुद्दों पर सहयोग देने के लिए कॉनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इन्डसट्रिज और फैड्रेशन ऑफ इण्डियन चैम्बरस ऑफ कॉमर्स व इन्डस्ट्रिज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	विभाग का नाम	गुड़गांव में खर्च की गई राशि
1	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा।	2,18,014/- रुपये
2	शिक्षा विभाग	11,580/- रुपये
3.	सूचना लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग	64,30,379/- रुपये
	कुल	**66,59,973/- रुपये**

Compaint Against Reliance Haryana SEZ Ltd.

139. Sh Karan Singh Dalal : Will the Revenue Minister be pleased to state–

(a) Whether any application/complaint has been filed befor the Collector Jhajjar to declare the land owned by Reliance Haryana SEZ Limited more than the permissible area under the provisions of Haryana Celling of Land Holding Act, 1972;

(b) If so, the contents of the application/complaint; and

(c) The action taken in the matter?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) हां, श्रीमान जी, श्री रामकुमार पुत्र फकीरा निवासी गांव दुलीना तहसील व जिला झज्जर व अन्य ने रिलायंस हरियाणा एस0ई0जैड0 लिमिटिड के विरुद्ध दिनांक 25-2-2014 को न्यायालय जिला कलेक्टर, झज्जर को आवेदन दिया था, कि उनकी भूमि को दी हरियाणा सीलिंग आन लैन्ड होल्डिंग एक्ट, 1972 के तहत सरपलस घोषित किया जाये।

(ख) प्रार्थी/शिकायतकर्ता का कथन था कि दी हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग एक्ट, 1972 की धारा 3 (एम) में एक कम्पनी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, और उक्त कानून अनुसार एक कम्पनी/व्यक्ति केवल अपने नाम पर अधिकतम 18 स्टैन्डर्ड एकड़ कृषि योग्य भूमि रख सकती है। रिलायंस हरियाणा एस0ई0जैड0 ने बहादुरगढ़ व झज्जर तहसीलों के 22 गांवों के किसानों से लगभग 7702 एकड़ कृषि योग्य भूमि वर्ष 2006 से वर्ष 2010 के मध्य खरीदी थी। उनका कथन था कि उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) में प्रावधान है, कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि (सरपलस भूमि) बारे मालिक को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है और रिलायंस हरियाणा एस0ई0जैड0 वांछित घोषणा पत्र फाईल करने में असफल रही थी जोकि अधिनियम के अधीन आवश्यक था। अत : यह इस अधिनियम के प्रावधान का उलंघ्घन किया था।

(ग) प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र/शिकायत न्यायालय कलेक्टर, झज्जर के द्वारा दिनांक 21-04-2015 को खारिज कर दिया गया था।

Four Laning of National Highway 71

120. Dr. Hari Chand Midha : Will the PW (B & R) Minister be pleased to state–

(a) the time by which construction work of four laning of National Highway-71 from District Rohtak to Jind (Garhi) is likely to be completed;

[Dr. Hari Chand Midha]

(b) the percentage of the abovesaid four laning work of road that has been completed; and

(c) the names of companies to whom the tender of abovesaid construction work has been allotted togetherwith the amount purposed to be incurred thereon.

लोक निर्माण मन्त्री (राव नरबीर सिंह) : राष्ट्रीय राजमार्ग 71 की चारमार्गीय परियोजना के दो भाग हैं और (क), (ख) व (ग) का उत्तर निम्न प्रकार से है :-

क्र0	भाग	(क) का उत्तर	(ख) का उत्तर	(ग) का उत्तर
1.	रोहतक से जींद	कार्य के समाप्त होने की निर्धारित तिथि 8 अक्तूबर, 2015 है। कार्य के समाप्त होने की सम्भावित तिथि जून, 2016 है।	28.15 प्रतिशत	मैसर्ज बी0आई0एल0 रोहतक-जीन्द हाईवे प्रोजेक्ट प्रा0 लि0। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना की कुल लागत 283.25 करोड़ का अनुमान लगाया गया है।
2.	जींद से गढ़ी (पंजाब सीमा)	कार्य अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फिर से आवंटित किया जाना है, इसलिए इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।	शून्य	क्योंकि कार्य अभी फिर से आवंटित किया जाना है इसलिए किस कम्पनी को यह काम आवंटित किया गया है और खर्च की जाने वाली राशि नहीं बताई जा सकती।

To Open Sub-depot

155. Shri Kulwant Ram : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sub-depot of Haryana Roadways in Cheeka city; if so, the time by which aforesaid Sub-depot is likely to be opend?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : नहीं, श्रीमान जी।

Prithla Industrial Development Plans

159. Shri Tek Chand Sharma : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to prepare Prithla Industrial Development Plan to Develop safe Secure Industries in Prithla constituency and if so the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised?

मुख्य मन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, पृथला औद्योगिक टाउनशिप की अंतिम विकास योजना 4 नवम्बर 2010 को अधिसूचित तथा हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस विकास योजना में 3102 एकड़ (1255.87 हैक्टेयर) क्षेत्र, जोकि कुल शहरीकरण योग्य क्षेत्र का 35.49 प्रतिशत है; को औद्योगिक उपयोग हेतू 12 सैक्टरों में प्रस्तावित किया है।

The Number of Old Age Pensioners

133. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Social Justic and Empowerment Minister be pleased to state :-

(a) the number of receipients of old age pension, widow pension, disability pension, destitute children as on 01.04.2014 and .1.11.2014 and 01.04.2015.

(b) the number of recipients as mentioned at (a) above who have been paid their pensions upto 31.07.2015 ; and

(c) if pension is not paid then reasons for non-payment of pension to the categories as mentioned at (a) above?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : महोदया, यह सूचित किया जाता है कि;

(क) उपरोक्त तीनों तिथियों को वांछित पेंशन योजनाओं के तहत प्राप्तकर्ताओं की संख्या निम्नलिखित है :-

योजना	01-04-2014	01-11-2014	01-04-2015
वृद्धावस्था पेंशन	1350507	1377234	1397305
विधवा पेंशन	575305	591486	599213
अशक्ता पेंशन	136288	138860	140359
निराश्रय बच्चे पेंशन	93654	102419	106569

(क) तथा (ग)

उपरोक्त के भाग (क) में यथा वर्णित पेंशन पाने वालो की संख्या, जिन्हें उनकी पेंशन 31-7-2015 तक अदा कर दी गई है, का उल्लेख नीचे दर्शाये गये कॉलम (3) में दे दी गई है तथा जिनकी पेंशन की अदायगी नहीं की गई, उनका उल्लेख कॉलम (4) व पेंशन अदा न करने के कारण कॉलम (5) व (6) में दे दिये गये हैं। जिनके खाते देरी से अपलोड हुए हैं उन्हे भी पेंशन की बकाया राशि दे दी जायेगी।

[श्रीमती कविता जैन]

वृद्धावस्था पेंशन

तारीख	कुल लाभार्थी	दिनांक 31-7-2015 तक लाभार्थियों दी गई पेंशन	जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई	पेंशन की अदायगी न करने कारण निधन/अयोग्य /हटाये गये	स्थिति स्पष्ट नहीं/ खाते अभी तक अपलोड नहीं हुए
1	2	3	4	5	6
1-4-2015	1350507	1164244	186263	109273	76990
1-11-2014	1377234	1244645	132589	48271	84318
1-04-2015	1397305	1282664	114641	18425	96216

विधवा पेंशन

तारीख	कुल लाभार्थी	दिनांक 31-7-2015 तक लाभार्थियों दी गई पेंशन	जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई	पेंशन की अदायगी न करने कारण निधन/अयोग्य /हटाये गये	स्थिति स्पष्ट नहीं/ खाते अभी तक अपलोड नहीं हुए
1	2	3	4	5	6
1-4-2014	575305	494206	81099	21062	60037
1-11-2014	591486	514157	77329	13950	63379
1-04-2015	599213	525095	74118	6461	67657

अशक्ता पेंशन

तारीख	कुल लाभार्थी	दिनांक 31-7-2015 तक लाभार्थियों दी गई पेंशन	जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई	पेंशन की अदायगी न करने कारण निधन/अयोग्य /हटाये गये	स्थिति स्पष्ट नही/ खाते अभी तक अपलोड नहीं हुए
1	2	3	4	5	6
1-4-2014	136288	118322	17966	5258	12708
1-11-2014	138860	122360	16500	3264	13236
1-04-2015	140359	124840	15519	1512	14007

निराश्रय बच्चे पेंशन

तारीख	कुल लाभार्थी	दिनांक 31-7-2015 तक लाभार्थियों को दी गई पेंशन	जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई	पेंशन की अदायगी न करने कारण निधन/अयोग्य /हटाये गये	स्थिति स्पष्ट नही/ खाते अभी तक अपलोड नहीं हुए
1	2	3	4	5	6
1-4-2014	93654	64099	29555	5782	23773
1-11-2014	102419	72150	30269	3585	26684
1-04-2015	106569	76345	30224	1222	29002

Posting of Regular Teachers

128. Prof. Ravinder Singh : Will the Education Minister be pleased to state :-

(a) The number of schools where regular teachers as per sanctioned strength of teachers have not been provided for the period from 01.04.2014 to .31.03.2015 and 01.04.2015 to date;

(b) The number of teachers of all subjects not provided in the schools for the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 and 01.04.2015 to date school-wise);

(c) The number of schools were desks have not been provided for students for the preiod from 01.04.2014 to 31.03.2015 and 01.04.2015 to date and;

(d) The number of schools where toilets have not been provided both for for male and femal students for the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 and 01.04.2015 to date;

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : श्रीमान जी।

(क) जिन विद्यालयों में 01.04.2014 से आज तक स्वीकृत नियमित पदो के अनुसार नियमित अध्यापक उपलब्ध नही करवाए गए हैं, उनकी संख्या 10,477 है।

(ख) D.V.D. पुस्तकालय प्रति में लगा दी है। 01.04.2014 से आज तक विद्यालयों में अध्यापक उपलब्ध नही करवाए गए उन सभी विषयों के अध्यापकों की संख्या डी0वी0डी0 में दी गई है क्योंकि विद्यालय-वार सूचना बहुत अधिक है जोकि 583 पृष्ठों की है।

[श्री रामबिलास शर्मा]

(ग) 01.04.2014 से आज तक जिन विद्यालयों में छात्रों के लिए डेस्क उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, उनकी संख्या 13636 है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही हरियाणा राज्य के सभी स्कूलों में दिनांक 31.12.2016 तक डेस्क उपलब्ध करवाने बारे घोषणा की गई है।

(घ) 01.04.2014 से आज तक जिन विद्यालयों में छात्र तथा छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध करवाए गए है, उनकी संख्या 432 है। इस समय राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र तथा छात्राओं के लिए शौचालयों का एक-एक सैट उपलब्ध है।

To open a New Navodhay Vidhayla

141. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to approach Central Government to open a New Navodhay Vidhayla in Distt. Palwal; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी। उपायुक्त, पलवल, पत्र संख्या 2441/डी0एए दिनांक 04.04.2015 के माध्यम से पलवल जिले में प्रस्तावित जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत मितरोल, ब्लाक होडल, जिला पलवल का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

BPL Card Holders

121. Shri Hari Chand Midha : Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state :-

(a) Number of BPL Card holders in district Jind togetherwith the block level list thereof;

(b) the detailed list of the BPL card holders during the period from 2000 to 2005; and

(c) the detailed list of the BPL card holders in the year, 2014?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री करण देव कम्बोज) :

(क) श्रीमान् जी, जिला जीन्द के ब्लॉक-वाईज़ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बी0पी0एल0) का ब्यौरा निम्न अनुसार है :-

क्रमांक	ब्लॉक का नाम	राशन कार्डों की संख्या
1.	जीन्द	18245
2.	नरवाना	17345

1	2	3
3.	सफीदों	8724
4.	उचाना	6537
5.	जुलाना	6495
6.	अलेवा	5064
7.	पिल्लू खेड़ा	4733
	कुल	67143

(ख) वर्ष 2000 से 2005 तक के गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बी0पी0एल0) का विस्तृत ब्यौरा निम्न अनुसार है :-

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे परिवार
2000	33265
2001	37218
2002	62804
2003	62804
2004	62804
2005	60959

अन्त्योदय अन्न योजना का शुभारंभ दिनांक 23.05.2001 को होने के कारण वर्ष 2001-2002 के दौरान सर्वे करवाया गया था, इसलिए इस साल के बाद परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई।

(ग) वर्ष 2014 के दौरान जिला जीन्द में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बी0पी0एल0) की संख्या 67905 थी। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की वर्तमान चालू विस्तृत सूची खाद्य एवं पूर्ति विभाग की वैबसाईट haryanafood.gov.in पर उपलब्ध है।

Shifting of Grain Market

156. Sh. Kulwant Ram : Will the Agriculture Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the old Grain Market to new grain Market constructed in about 42 acre; if so, the time by which aforesaid old grain market is likely to be shifted; and

[Shri Kulwant Singh]

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the aforesaid newly constructed Grain Market; if so the time by which the aforesaid grain market is likely to be extended?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्। चीका में पुरानी अनाज मंडी को नई निर्मित की गई अनाज मंडी में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि नई निर्मित मंडी केवल एक अतिरिक्त मंडी यानि सब यार्ड है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार पुरानी अनाज मंडी को डी-नोटिफाई नहीं किया गया है। कृषि उत्पादों की बिक्री, खरीद तथा व्यापार आदि का कार्य दोनों मंडियों में जारी रहेगा।

(ख) नई निर्मित अनाज मंडी जो कि एक सब यार्ड के रूप में अधिसूचित की गई है, उसको आगे विस्तृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

---

160. Sh. Tek Chand Sharma : Will the Forest Minister be pleased to state whether it is a fact that Neel Gais are damaging crops and also causing road accidents; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct special Gaushalas for the Neel Gais together with the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) मंत्री (राव नरवीर सिंह) : हाँ, श्रीमान जी। राज्य में नीलगायों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की कुछ घटनाएं हैं। सड़क दुर्घटना का केवल एक केस वर्ष 2012-13 में जिला यमुनानगर में हुआ था जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार मुआवजा दे दिया गया था। नीलगाय हिरण (एंटीलोप) परिवार के अन्तर्गत आती हैं। यह वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शैडयूल-III का प्राणी है और इसे बन्द करके गौशालाओं जैसे किसी एक स्थान में नहीं रखा जा सकता। नीलगायों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका उन्हें उन द्वारा पसंद किये जाने वाले निवास जैसे कि ग्रामवन/गौचरान में सीमित करना होगा। ऐसे ग्रामवन/गौचरान विकसित किये जाने चाहिए।

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पाबन्दी है, परन्तु यदि वन्य प्राणी जानमाल के लिए खतरनाक हो गया हो तो अधिनियम की धारा-11 (1) (ख) के अन्तर्गत मुख्य वन्य प्राणी वार्डन उसे मारने की अनुमति प्रदान कर सकता है। नीलगाय के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5138 दिनांक 07.11.1996 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं कि वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वार्डन सम्बन्धित पंचायत से नीलगाय मारने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन्हें मारने का परमिट जारी कर सकता है। यहां यह भी अंकित किया जाता है कि वर्ष 2007-08 से लेकर अब तक सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा 136 नीलगायों को मारने हेतु 42 परमिट जारी किए जा चुके हैं परन्तु अब तक केवल 2 ही नीलगायों का शिकार किया गया है।

Adarsh Gram Yojna

143. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether there is any scheme of the Government to introduce Adarsh Gram Yojna in the State; if so, the number of villages declared Adarsh Villages in the State togetherwith the amount likely to be spent on each village alongwith the details of other facilities to such villages?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी, सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना आरम्भ की है और उसकी तर्ज पर विधायक आदर्श ग्राम योजना और स्व-प्रेरित आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। अब तक विधायक आदर्श ग्राम योजना में 37 ग्राम पंचायतें और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 15 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चयनित किया गया है। इस योजना में बुनियादी सुविधाएं, उत्पादकता में वृद्धि, मानव विकास की समृद्धि, बेहतर आजीविका के अवसरों का प्रावधान, अधिकार और हकदारी के लिए पहुंच दिलाना, असमानताओं की कमी और समृद्ध सामाजिक पूंजी की परिकल्पना ग्राम पंचायत में की गई है। प्रत्येक ग्राम पर सम्भावित व्यय की जाने वाली राशि उस ग्राम की तैयार की गई ग्राम विकास योजना के आधार पर निर्धारित की जाएगी जोकि केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी।

Vacant Post of Doctors

129. Dr. Hari Chand Midha : Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) the vacant posts of doctors (Medical Officers and Dental Surgeons) as on 01-11-2014 and as on date 01-08-2015, togetherwith the recruitments made during the period 01-11-2014 to 01-08-2015 alongwith drop-outs of recruited doctors during the period and reason of drop outs; and

(b) the specialty wise and district wise posting of various specialist doctors in state particularly in Anesthesia and ICU Gynecology, Pediatrics, Skin and ENT?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा है।

कथन

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री का कथन

(क) चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत शल्य चिकित्सकों की 01.11.2014 तक की रिक्ति स्थिति निम्न है :-

[श्री अनिल विज]

पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त
चिकित्सा अधिकारी	2672	2212	460
दंत शल्य चिकित्सक	623	564	59

चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत शल्य चिकित्सकों की 01.08.2015 तक की रिक्ति स्थिति निम्न है :-

पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त
चिकित्सा अधिकारी	2745	2177	568
दंत शल्य चिकित्सक	624	563	61

01.11.2014 से 01.08.2015 तक किसी भी चिकित्सा अधिकारी तथा दंत शल्य चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई। इस अवधि के दौरान 27 चिकित्सा अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दिया तथा 25 चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से सेवा से अनुपस्थित हुये। उनके छोड़ने का कारण यह है कि उन्हें बाजार में अधिक लुभावने वेतन पैकेज उपलब्ध हैं।

(ख) राज्य में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेषज्ञतावार तथा जिलावार नियुक्तियां निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	विशेषज्ञता				
		एनेस्थिसिया तथा आई.सी.यू.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	बाल चिकित्सक	चर्म रोग विशेषज्ञ	कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ
1	2	3	4	5	6	7
1.	अम्बाला	5	4	3	1	3
2.	भिवानी	4	1	4	0	1
3.	फरीदाबाद	3	7	3	2	1
4.	फतेहाबाद	4	1	2	2	2
5.	गुड़गांव	4	8	3	1	0

1	2	3	4	5	6	7
6.	हिसार	7	6	2	1	2
7.	झज्जर	3	5	4	1	2
8.	जींद	2	3	3	0	1
9.	कैथल	2	3	1	1	2
10.	करनाल	2	4	3	1	1
11.	कुरुक्षेत्र	2	3	2	1	1
12.	मेवात	1	2	3	0	0
13.	नारनौल	3	0	1	0	0
14.	पलवल	2	1	1	0	2
15.	पंचकूला	5	10	3	2	5
16.	पानीपत	2	1	2	1	0
17.	रिवाड़ी	0	2	2	0	2
18.	रोहतक	2	6	4	0	3
19.	सिरसा	7	5	5	1	1
20.	सोनीपत	4	9	3	0	1
21.	यमुनानगर	3	9	3	1	3

Construction of Check Dam

157. Shri Kulwant Ram : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct check dams in village i.e. Hansu Majra, Agondh, Daban Kheri, Chanehak, Shumajra, Bhatiya, Kausal Majra, Kemeri, Bopur, Rattakhera, Shogalpur, Hemu Majra, Dasherpur etc. adjacent to the Ghaggar river; if so, the time by which the aforesaid check dams are likely to be constructed?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

Commission under Food Security Act

136. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Food & Supplies be pleased to state :-

[Sh. Karan Singh Dalal]

(a) whether a commission has been set up under Food Security Act of Government of India in the state of Haryana; if so, the duties and functions of such commission; and

(b) whether any complaints/application/appeal have been disposed off by the commission; if so, the details thereof?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री राज्य मंत्री (श्री करण देव कम्बोज) :

(क) हाँ श्रीमान्। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम 20 के 2013) के अनुभाग 16 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 के तहत किया गया और सरकार के आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2015 के तहत इसे रद्द कर दिया गया। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व दो अन्य सदस्यों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय द्वारा सिविल याचिकाओं को संयोजित करते हुए रोक लगा दी गई और सुनवाई की अगली तिथि 10.09.2015 निर्धारित की गई है। राज्य खाद्य आयोग के कर्तव्य एवं कार्य निम्न प्रकार से हैं :-

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा उसका मुल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हरदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, ससुंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य-विधान मंडल के समक्ष रखी जाऐगी।

(ख) कोई शिकायत/प्रार्थना पत्र/अपील प्राप्त नहीं हुई, इसलिए निपटान का सवाल ही नही उठता।

सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री जी एक रैजोल्यूशन पेश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहता हूं-

> "कि यह सदन वन रैंक वन पैंशन स्कीम की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है।"

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फरीदाबाद में हरियाणा का एक बहुत बड़ा सम्मान किया है। वन रैंक वन पैंशन का मामला 42 सालों से लटका हुआ था। आज 10वां आदमी फौज में हरियाणा का जवान है और भारत की सेना का सेनापति झज्जर जिले का दलबीर सिंह सुहाग है। आज 10 हजार करोड़ रूपये की राशि "वन रैंक वन पैंशन" स्कीम के आधार पर दी जाने वाली है जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा में आने वाला है। हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या पूर्व सैनिक सरदारों की है इसलिए मैं सदन में विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला से, कांग्रेस के सभी आदरणीय साथियों से कहना चाहूंगा कि आज हम इस बारे में एक प्रस्ताव सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो राजनैतिक सफर रिवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली से शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने रिवाड़ी के उस सफर का वायदा निभाते हुए फरीदाबाद में कहा कि रिवाड़ी गुजरात के बाद मेरा दूसरा घर है। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल हरियाणा का प्रभारी रहा हूं इसलिए मैं हरियाणा से मोहब्बत करता हूं। मैंने जो वायदा रिवाड़ी में पूर्व सैनिक सरदारों से किया था, उसको निभाया है। मैं इस महान सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में पूरा सदन प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव भेजें। "वन रैंक वन पैंशन" को जिस फिराखदिली से उन्होंने स्वीकारा है उसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इस बारे में एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करे। (थम्पिंग)

श्री अध्यक्ष : डा. साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, रामबिलास शर्मा जी काबिल मंत्री हैं तथा हमारे पुराने साथी हैं इसलिए मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जब आपने एक मैम्बर को बोलने के लिए समय दे दिया तो क्या आप दूसरे मैम्बर को कॉल कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर सबसे पहले विपक्ष का नेता होने के नाते अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बोलते हुए सबसे पहले विपक्ष के नेता का नाम लिया तथा उसके बाद कांग्रेस का जिक्र किया इसलिए "वन रैंक वन पैंशन" बारे मैं अपनी बात कह लूं उसके बाद ये अपनी बात कह लें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है और मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं कि आपने एक मैम्बर को बोलने के लिए समय दे दिया तो क्या आप दूसरे मैम्बर को कॉल कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, आप मेरी रिक्वैस्ट मानकर बैठ जाइए और कादियान साहब के बाद आप अपनी बात रख लेना।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : स्पीकर सर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है यह सही बात है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सैनिकों की जो "One Rank, One Pension" की डिमाण्ड को स्वीकार किया गया है यह सैनिकों की एक लॉग स्टैंडिंग डिमाण्ड थी। "जय जवान, जय किसान" एक बहुत ही पुराना नारा है। इस देश की भयभूति, खुशहाली, तरक्की और विकास का रास्ता जहां से निकलता है वहां पर हमारे देश का सैनिक भी अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। प्रधानमंत्री द्वारा सैनिकों की जो यह लॉग स्टैंडिंग डिमाण्ड थी उसको स्वीकार करने की घोषणा की गई है हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सदन में यह प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है अभी इसका कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि अभी उस डिक्लेरेशन की कोई मॉडिलिटीज़ नहीं आई है। अभी इस डिक्लेरेशन की कोई पूरी डिटेल्ज़ नहीं आई हैं। स्पीकर सर, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वे अभी जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की है लेकिन अभी उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित नहीं किया है। उन्होंने अभी अपना आंदोलन इसलिए स्थगित नहीं किया है क्योंकि अभी उस घोषणा की पूरी डिटेल्ज़ और उसकी डैलीब्रेशन के बारे में अभी संशय बरकरार है। यह अभी किसी को नहीं पता कि उसमें कौन-कौन शामिल होंगे और इसकी समीक्षा की समयावधि 2 साल होगी, 3 साल होगी या फिर 5 साल होगी। इस प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं पुन : यह बात दोहराना चाहूंगा कि इस बारे में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है वह कोई मायने नहीं रखता।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : स्पीकर महोदय, अभी माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने एक प्रस्ताव सदन में रखा है कि कल देश के प्रधान मंत्री जी ने फरीदाबाद में इस बात की घोषणा की है कि "One Rank, One Pension" पूरे देश के उन एक्स-सर्विसमैन को दी जायेगी चाहे उन्हें किसी मजबूरी में फौज को छोड़ना पड़ा हो या फिर अपना कार्यकाल पूरा करके फौज छोड़ी हो। हम उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस इशू को 15 महीने तक लटकाये रखा। यह देश में पहली बार हुआ है कि देश की रक्षा करने वाले जो देश के प्रहरी हैं उनको भी जंतर-मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा उसके बाद उनकी इस मांग को पूरा किया गया है। ठीक देरआये, दुरुस्त आये इसलिए हम सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और सरकार को बधाई देते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपसे एक और भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की इसके अलावा और भी घोषणायें थी जिनको अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। उनके बारे में भी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधान मंत्री जी को अवश्य बताना चाहिए ताकि उनको भी जल्दी से जल्दी अमल में लाया जा सके। एक इससे भी बड़ा मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने का। इसके बारे में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक रुप से यह कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करवायेंगे और किसानों को उनकी उपज के भाव लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देंगे लेकिन आज तक इस पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाये कि हमारे देश का किसान वर्ग भी इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठ जाये और आन्दोलन शुरू कर दे। यह रिकार्ड की बात है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में ही नहीं बल्कि अपनी 33 पब्लिक मीटिंग्स में की है, जो कि रिकार्ड पर है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिस

प्रकार से आप सदन में यह प्रस्ताव लायें हैं स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए भी ऐसा ही प्रस्ताव आज सदन में लाया जाये और उसे हरियाणा की विधान सभा की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी के पास भेजा जाये। धन्यवाद।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वन-रैंक-वन-पैंशन के लिए सदन में धन्यवाद किया जाये, वैसे तो डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने ज्यादातर बात कह ही दी हैं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो भी डिक्लेरेशन हुई है उसकी एक कॉपी सभी सदस्यों को भिजवा दी जाये। इसी प्रकार से स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए भी एक रैजोल्यूशन पास करके केन्द्र सरकार को अवश्य भिजवाया जाये। अभी किसानों की धान और कपास की फसल आने वाली है। पिछले साल की तरह किसानों की फसल बर्बाद न हो इसलिए स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को हरियाणा में लागू करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए ।

श्री कुलदीप शर्मा (गन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वन-रैंक-वन-पैंशन पर एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया जाये। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि इस मामले में किसी का धन्यवाद किया जाये परन्तु मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि रिवाड़ी की जिस रैली का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है जहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोमिस किया था क्या वह अक्षर लागू किया गया है या उसमें कोई डायल्यूशन है? कल कुछ भूतपूर्व सैनिकों जिनमें कुछ जनरल रैंक के भी हैं, की स्टेटमैंट हमने टेलीविजन में सुनी हैं। उन्होंने कहा कि वन-रैंक-वन-पैंशन की बात को सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है इससे हम संतुष्ट हैं लेकिन इसमें कुछ खामियाँ रह गई हैं। वन-रैंक-वन-पैंशन हमारी कांग्रेस की सरकार द्वारा मंजूर की गई योजना थी और इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसको मंजूर कहाँ किया था, दूसरी बात यह है कि 500 करोड़ से क्या हो सकता था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। अभी देश का सैनिक संतुष्ट नहीं है। जब तक दिल्ली में जंतर-मंतर पर सैनिक धरने पर बैठे हुये हैं तब तक इस प्रकार के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्सों में सैनिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक वह धरना चलता है, तब तक इस घोषणा का प्रारूप यहाँ पर न आ जाये तब तक धन्यवाद नहीं किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप टू दि प्वायंट बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, टू दि प्वाइंट बात यह है कि कल एक बहुत गम्भीर घटना घटी है जो कि चिन्ता का विषय है। कल प्रधानमंत्री फरीदाबाद में मैट्रो रेल लाईन का उद्घाटन करने के लिए आये जिसकी नीव हमने रखी थी। (विघ्न) यह योजना हमने शुरू की थी और उसका एम.ओ.यू. हमने ही साईन किया था। (शोर एवं व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक गम्भीर घटना हुई कि वहां हमारे मुख्यमंत्री जी को क्राऊड द्वारा बोलने नहीं दिया

]श्री कुलदीप शर्मा]

गया इनको कहा गया कि आप चुप हो जाएं। मुख्यमंत्री जी को प्रधान मंत्री के मंच पर बोलने न दिया जाए, यह ठीक नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी का बहुत जोरदार भाषण हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई विषय नहीं है कि मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया हो। जितना मेरा कार्यक्रम था जितना मेरा समय था उतना समय मैं बोला हूं। मैंने अपना पूरा समय लिया है और पूरा वक्तव्य दिया है। उसके बाद मंच संचालक ने प्रधान मंत्री जी को कहा कि वे बोलें। इस विषय में इतनी हल्की भाषा के बोलने का कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित पार्टी है। राज करने वाली पार्टी है, इस प्रदेश में राज करने वाली पार्टी है। केन्द्र में राज करने वाली पार्टी है, आपने जो शब्द प्रयोग किया है वह इतना हल्के वे में नहीं लिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) आपने कहा है 'जुमला' शब्द यह अनपार्लियामैंट्री नहीं है यह मैंने मान लिया है लेकिन कोई भी जो संज्ञा होती है, जो भी नाऊन होता है उसको बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर यह शब्द गलत होगा तो वापस भी ले लूंगा अगर कुलदीप शर्मा को 'कुलदीपू शर्मसार' कह दिया जाए तो आप कहेंगे कि यह गलत है। (शोर एवं व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। आपने जुमला शब्द गलत कह दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं जो ये खड़े हो गये हैं, क्या इन्होंने वह शब्द सुना है? कुलदीप शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी कहा है। कभी जुमला नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और इस देश पर राज करने वाली पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ऐसा कैसे कह सकते हैं ? इन्होंने कैसे कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को वहां बोलने नहीं दिया गया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, मुख्यमंत्री जी ने तो केवल उदाहरण देकर कहा है कोई आपको नहीं कहा है। आप बैठिये तो सही। मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) सी.एम. साहब ने एक बात कही कि आपने जो कहा वह अनपार्लियामैंट्री नहीं है। अगर मैं मान लो आपको यह कहूं तो क्या यह ठीक बात है ? उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करूं तो क्या यह ठीक है? उन्होंने तो अपने आप कहा है कि यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आपने जो जुमला पार्टी कहा था उस पर सी.एम. साहब ने उदाहरण देकर यह कहा है। आपकी यह बात सही नहीं थी इन्होंने उसी बात पर उदाहरण देकर यह कहा है। इन्होंने आपको यह पहले ही कहा कि अगर हम आपको ऐसा कहें तो क्या ठीक रहेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री को यह कहूँ ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप प्लीज बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का सवाल है, हम भी कई साल तक सदन में रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने कब सदन की गरिमा रखी है ? (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ तो निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मैं फिर दोहरा रहा हूं मैंने अगर शब्द लगाकर इसलिए कहा कि आप जो यह कहते हैं कि कोई नाउन होता है, किसी का नाम होता है उस नाम को बिगाड़ के बोलना यह भी सरासर सदन में इस प्रकार से बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित नाम है और इससे हमारी आस्था जुड़ी है उस आस्था के नाते से आप उस पार्टी का नाम बिगाड़कर आप यदि इस हल्केपन से लेंगे कि कुछ भी हम नाम बोल देंगे। सदन के अन्दर तो कम से कम यह बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के बाहर राजनीतिक मंचों से आप जो बोलेंगे उसका आपको उसी ढंग से राजनीतिक मंच से जवाब दिया जा सकता है लेकिन सदन में हमारी पार्टी के नाम को बिगाड़ना यह सरासर बर्दाश्त के काबिल नहीं है और मैंने तो आपको उदाहरण देकर कहा कि यदि आपके नाम को मैं इस प्रकार से कहूं तो आपको कैसा लगेगा। मैंने यह भी कहा था कि आपको ठेस पहुंचेगी और मैं फिर उस शब्द को वापस भी लूंगा और मैंने वह शब्द वापस भी लिया था। (शोर एवं व्यवधान) यह तो मैंने बोलने से पहले ही कह दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, वह तो सी.एम.साहब ने पहले ही कह दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मैंने वह शब्द बोलने से पहले ही वापस ले लिए थे और इसलिए वापस लिए थे कि इन चीजों से तकलीफ होती है और तकलीफ देने वाले शब्द किसी को भी किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो आपको बताया था कि आपको तकलीफ होगी क्योंकि ये तकलीफ देने वाले शब्द हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी ने जो अपने शब्द वापस ले लिए हैं, मैं उनके बड़प्पन के लिए इनका धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, सदन में दो मुद्दे चर्चा के लिए उठाए गए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे मुद्दे हैं। एक ओआरओपी जिसकी कल प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है और दूसरा मैट्रो ट्रेन का कल फरीदाबाद से उदघाटन किया गया है और कांग्रेस पार्टी जैसाकि अभी कुलदीप शर्मा जी ने भी कहा कि इन दोनों मुद्दों का श्रेय लेना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, ये तो कल कह देंगे कि गंगा भी धरती पर हम लाए थे, हिमाचल में जो हिमालय पर्वत है वह भी कांग्रेस ने बनाया था। पर सर, तथ्य तो तथ्य होते हैं। फैक्ट यह है कि दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन का जो गठन हुआ वह 1995 में हुआ और उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना थे और वे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे। दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन

[श्री अनिल विज]

को सरकारी खजाने से अगर कोई फंड दिया गया तो वह मदन लाल खुराना जी द्वारा दिया गया। वे इस कापोरेशन के अध्यक्ष भी थे और जब सबसे पहले मैट्रो रेल कश्मीरी गेट से शाहदरा के बीच चली तो उसके पहले पैसिंजर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि भाजपा ने इसे कंसीव किया और भाजपा ने ही उसको अंजाम तक पहुंचाया। यह ठीक है कि मैट्रो फरीदाबाद में आई है this is an expansion programme. ये जिस दिन कंसीव किया गया था उसी दिन यह तय था कि यह आसपास के एरिये में भी जाएगी, नोएड़ा में भी गई है। सर, यह एक्सपैंशन प्रोग्राम हैं। कभी किसी चीज के जन्मदाता का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। इस मैट्रो प्रोजेक्ट की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं हैं। सरकार आती-जाती रहती हैं। सरकार में विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हैं। इस निरन्तर प्रक्रिया के तहत आज मैट्रो का फरीदाबाद तक उद्घाटन किया गया है और कल प्रधानमंत्री जी ने मैट्रो को बल्लभगढ़ तक बढ़ाने की घोषणा भी की है। इसलिए इस सदन को तहेदिल से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ तक मैट्रो की लाइन बढ़ाने की योजना पहले से ही थी। (विघ्न)

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ शिलान्यास का पत्थर रखने का काम किया था किसी काम को पूरा नहीं किया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीट पर बैठ जाईये। सरकारी कामों की प्रक्रिया तो चलती ही रहती हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा है ओ.आर.ओ.पी. का। सर, यह मुद्दा पिछले 43 सालों से चल रहा था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार अनेकों बार आई और वे इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पूरा कभी नहीं किया। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जाते-जाते 500 करोड़ रूपया इस काम के लिए रखा था। अगर इन्होंने इस मुद्दे को हल करना होता तो ये नौ साल पहले पूरा करते ताकि फौजियों को उनका हक मिल जाता और कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय मिल जाता। कांग्रेस पार्टी के लिए ओ.आर.ओ.पी. का मतलब वन राहुल और वन प्रियंका है।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी क्या ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सदन में ले सकते हैं जो इस सदन का सदस्य नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने उनका नाम सम्मान से लिया है। नाम तो किसी का भी लिया जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कोई आरोप तो नहीं लगाया केवल नाम ही लिया है।

श्री अनिल विज :अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बता दें मैंने क्या गलत कहा है ? सर, ओ.आर.ओ.पी. का मतलब है वन रैंक और वन पेंशन है। जो मुद्दा 43 सालों से लटका हुआ था। यह मुद्दा श्रीमती इंदिरा गान्धी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस समय का लटका हुआ था। जबकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ डेढ़ साल के समय में ही उस मुद्दे को अमली जामा पहना दिया। इस घोषणा से हर पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक को लाभ मिलेगा। जिस दिन से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से सभी पूर्व सैनिकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 43 सालों से इस काम को नहीं किया केवल लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, श्री रामबिलास शर्मा जी ने सदन में जो ओ.आर.ओ.पी. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सदन को इस बारे में प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इसका संबंध केवल भारत के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के परिवारों से ही नहीं है बल्कि विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश से है जिसमें माना जाता है कि हरियाणा का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके किसी सदस्य ने भारत की सेनाओं की सेवाओं में हिस्सा न लिया हो। कल माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं One Rank One Pension की घोषणा करते हुए तथा हरियाणा में जय जवान, जय किसान का नारा लगाते हुए कहा है कि हर दसवाँ जवान हरियाणा प्रदेश का है। हिन्दुस्तान की सीमाओं पर अपने प्राण न्यौच्छावर करने वाले 4 सैनिकों में से 1 हरियाणा प्रदेश का होता है। आजादी के बाद 1973 में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी तथा 1971 की लड़ाई जीतने के बाद पूर्व सैनिकों के अधिकारों को छीनने का काम किया गया था। 42 वर्ष तक ये सैनिक दर-दर की ठोकरें खाते रहे लेकिन पूर्व सरकारों ने उनकी एक नहीं सुनी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता तथा सीनियर लेजिस्लेटर डॉ.रघुवीर सिंह कादियान, सभी ने कहा है कि One Rank One Pension का जो निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। सवाल श्रेय लेने का नहीं है। श्री राम बिलास शर्मा जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि हरियाणा प्रदेश के जवान जो इतनी बड़ी संख्या में हैं वे इस निर्णय से प्रसन्न हैं जिसके लिए वे लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके साथ कब न्याय होगा, कब उनके पक्ष में निर्णय आएगा ? मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार के सरकारी खजाने पर 10,000 करोड़ रूपए का बोझ कोई मामूली बात नहीं है। पिछले 43 वर्षों तक केन्द्र में बैठी किसी सरकार ने भी यह हिम्मत नहीं जुटाई थी जो अब माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जुटाई है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आहवान करता हूँ कि वे जय जवान, जय किसान के हित में आज केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करता हूँ। (थंपिंग)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों का बहुत लम्बे समय से संघर्ष रहा है तथा एक दिन में यह फैसला नहीं हुआ है। इस बारे में कई बार कमेटियाँ बनीं। 1991 से 1996 तक मैं पार्लियामैंट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफैंस का सदस्य था, उस समय भी यह मुद्दा उठा था और तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री शरद पँवार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद श्री आई.के.गुजराल

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

व श्री एच.डी.देवगौड़ा जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। इस बीच केन्द्र में कई सरकारें बदलीं लेकिन यह One Rank One Pension योजना लागू नहीं हो सकी थी। बाद में केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार बनीं जिसने One Rank One Pension को लागू किया था। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको तो कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसी गलत ब्यानबाजी करना शोभा नहीं देता है। (शोर एवं व्यवधान) चुनाव के दौरान जाते जाते इनकी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान करके उनका अपमान करने का काम करती है। मैं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाह रहा था लेकिन इन्होंने इस विषय में भी राजनीति करने की कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब ने भी 500 करोड़ रूपए ही कहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 500 करोड़ रूपए का ही प्रावधान किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला करके बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान कर दिया क्योंकि समय कम था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इस स्कीम को आते ही लागू कर देंगें। आज हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वे जब रेवाड़ी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस स्कीम को लागू करेंगें। आज इनकी सरकार बन गई लेकिन वह स्कीम लागू नहीं हुई। इसकी डैफीनेशन में गैप रह गया है जिस के लिए हमारे फौजी भाई पूरे देश में धरने पर बैठे, अम्बाला में भी फौजी धरने पर बैठे थे। हर जिला हैड क्वार्टर पर फौजी धरने पर बैठे। (विघ्न) फौजी आदमी का पूरे देश को सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सैनिक किसी एक पार्टी का नहीं होता है इसलिए वे सम्मानित हैं। हमारे बहुत से भाई भी धरने पर बैठे। उससे पहले कोशियारी कमेटी ने केन्द्र सरकार को कहा था कि ओ.आर.ओ.पी. स्कीम लागू करेंगें और उन्होंने लड्डू भी बांट दिए। उनकी शुरू से एक मांग थी और हमारी भी यही मांग है कि ओ.आर.ओ.पी. स्कीम लागू कर दो लेकिन इसकी डैफीनेशन वीक न करो और इसमें कोई डायल्यूशन न करो। हमारी वह मांग आज भी है। ओ.आर.ओ.पी. स्कीम को लागू कर दिया गया लेकिन इसकी डैफीनेशन वीक की गई है। अध्यक्ष महोदय, डैफीनेशन में डायल्यूशन को दूर करके उनकी जो मांग है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है तो हम इस प्रस्ताव को खुशी से पास करेंगें। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का, भारतीय जनता पार्टी का तथा आप सब लोगों का स्वागत करेंगें। चूंकि इसकी मोडैलिटीज अभी तय नहीं हुई हैं इसलिए हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को अगले सत्र में पास कर लिया जाए। यदि इसकी पूरी मोडैलिटीज आती हैं तब हम इसका स्वागत करते हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी 4 बार संसद में रह चुके हैं लेकिन इस स्कीम को कभी लागू नहीं करवा पाए। यह तो सैनिकों का 42 सालों का लम्बा संघर्ष था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी डैफीनेशन को यहां स्पष्ट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हमने डैफीनेशन में डायल्यूशन करनी होती तो जो ये 500 करोड़ रूपये छोड़कर गए थे, उस 500 करोड़ रूपये से आगे बढ़ करके हम इनकी तरह झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर सकते थे।

वाक आऊट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये यह प्रस्ताव लाते हैं तो हम एज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पैंशन स्कीम की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव लाए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए ।)

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी डैफीनेशन को जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। हुड्डा साहब इसकी डैफीनेशन को सुनकर जाएं तो अच्छा लगेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात उठाई और जिस बात का हवाला देकर ये बाहर चले गए उस पर मैं इस महान सदन के पटल पर केवल मात्र इतना कहना चाहूंगा कि वन रैंक वन पैंशन स्कीम की डैफीनेशन में किसी प्रकार का डायल्यूशन केन्द्र सरकार ने नहीं किया। अगर उन्होंने कोई डायल्यूशन किया होता तो वे 500 करोड़ रूपये से 10 हजार करोड़ रूपये पर न आते। आज देश के जवान के पक्ष में इतना बड़ा निर्णय हो रहा है जिसके बारे में विपक्ष के नेता ने राजनीति से ऊपर उठकर कहा है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। अगर इसमें कोई खामी रहती है तो उसके लिए केन्द्र सरकार ने एक प्रावधान किया है जिसके तहत वन मैम्बर कमीशन नियुक्त किया गया है। अगर बाद में कोई विषय आता है तो उसको यह कमीशन सैटल कर सकता है। "One Rank, One Pension" के मामले में इससे बढ़कर फिराखदिली का निर्णय कोई दूसरा नहीं हो सकता। वॉक-आऊट करके गये साथियों को मैं सिर्फ यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि "One Rank, One Pension" की डैफीनेशन में कोई डायलयूशन नहीं है।

श्री ज़ाकिर हुसैन (नूंह) : स्पीकर सर, अभी सदन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग " One Rank, One Pension" और मैट्रो रेल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसका श्रेय लेने में उलझे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ माननीय विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उनको स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी याद दिलानी चाहिए जिसका उन्होंने वायदा किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको भी इस धन्यवाद प्रस्ताव के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सारे प्रदेश और सारे देश के किसानों के हित की बात है। स्पीकर सर, कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में मैट्रो रेल लाईन का उद्घाटन किया बहुत दिनों से हम मेवातवासियों को भी माननीय प्रधान मंत्री जी से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। जब माननीय सुरेश प्रभु जी हरियाणा प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य चुने गये तो हमें उम्मीद थी कि हमारे मेवात में भी रेल की सीटी सुनाई देगी लेकिन वर्ष 2015 के रेल बजट से भी हमें घोर निराशा मिली क्योंकि उसमें भी मेवात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था। कल प्रधान मंत्री जी के भाषण में भी हमारे मेवात का कोई जिक्र नहीं आया। प्रधान मंत्री जी पूरे देश में प्रगति की बात करते हैं लेकिन हमरे मेवात में अभी तक रेल की सीटी सुनने को हमारे कान तरस रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि विकास के मामले में हमारा मेवात पूरी तरह से अछूता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मेवात के लिए इस वर्ष

[श्री ज़ाकिर हुसैन]

में रेल की योजना ज़रूर लागू करवाई जाये जिसका सर्वे बहुत बार हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो-तीन दिन पहले फरीदाबाद में यह घोषणा की थी कि फरीदाबाद और गुड़गांव को मैट्रो रेल लाईन से जोड़ा जायेगा। मैं भी यह बात कहना चाहता हूं कि इन दोनों शहरों का मैट्रो रेल लाईन से जुड़ना बहुत ज्यादा ज़रूरी है। कल हमें इस बात से तो निराशा हुई ही हुई कि प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सम्बोधन में कहीं भी मेवात में रेल चलाने का जिक्र तो किया ही नहीं गया बल्कि फरीदाबाद और गुड़गांव को मैट्रो रेल लाईन से जोड़ने के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। हमें इन दोनों बातों से बहुत निराशा हुई है। फरीदाबाद और गुड़गांव को मैट्रो रेल लाईन से जोड़ना समय की ज़रूरत है। आप भी जानते होंगे कि गुड़गांव में डिवेल्पमेंट की शुरूआत माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में वर्ष 2000 में शुरू हुई। आज फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों शहर इंटरनेशनल सिटीज़ हैं। गुड़गांव में आज यह सिचुएशन है कि सारे शहर में इतना जाम होता है कि कहीं से भी निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। गुड़गांव को द्वारका के साथ सीधा मैट्रो से जोड़ा जाये। इसी प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद को भी मैट्रो लाईन से जोड़ा जाये। यह बहुत ज्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार फिर यह निवेदन करूंगा कि विकास की सही बात तब मानी जायेगी जब मेवात के अंदर भी रेल की सीटी बजेगी और स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को अविलम्ब लागू करवाने के लिए भी यहां पर प्रस्ताव पास किया जायेगा। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर माननीय रामबिलास शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है यह वाकई हमारे फरीदाबादवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी आये और हमें एक ऐसी सौगात देकर गये कि जिसके लिए फरीदाबाद बहुत दिनों से तरस रहा था। आज "One Rank, One Pension" के विषय पर जो यह प्रस्ताव आया है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी काम का वास्तविक श्रेय तो उसी व्यक्ति को जाता है जो उसे पूर्ण अंजाम तक पहुंचाता है। इस बारे में कई साथियों ने यहां पर वर्ष 1991 से 1996 की बात कही और किसी ने 10 साल पहले की बात कही। जहां तक इसको समाप्ति की तरफ ले जाने की बात थी उसका श्रेय वर्तमान केन्द्र सरकार और वर्तमान केन्द्र सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ही जाता है। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 तक के 10 साल के शासनकाल में यू.पी.ए. की सरकार भी "One Rank, One Pension" का समाधान नहीं करा पाई थी। मैं इस मौके पर अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको साथ लेकर चलते हैं उसको देखते हुए अच्छे कार्यों के लिए तो समूचे विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए। यह बात पूरे सदन के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुन : पुरज़ोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, वन-रैंक-वन-पैंशन का मामला बहुत पुराना है। जब हम 2004 से लेकर 2009 के दौरान लोकसभा के सदस्य थे उस समय भी यह मामला लगातार स्टैंडिंग कमेटी में चलता रहा। हालाँकि मैं इस वन-रैंक-वन-पैंशन की घोषणा जो कि

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन इसमें कांग्रेस के साथियों की यह बात भी साथ आयेगी कि वे जो कह कर गये हैं कि जो लोग इस आंदोलन को चल रहे थे, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि यह अभी तक सम्पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ है। जब यह सम्पूर्ण रूप से लागू हो जायेगा तब फिर हम इसका दोबारा से समर्थन कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और दूसरे साथियों ने भी कहा है कि इसके बारे में भी एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये। भले ही इसके साथ न जोड़ कर भेजें लेकिन दो रेजोल्यूशन भी पास हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका इलाका भी धान का है। आज मंडियों में किसानों की धान पहुंच गई है और धान का रेट बहुत कम है। वह 1000-1200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। तीन सीजन से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार है। इस दौरान किसान की माली हालत जितनी खराब रही है उतनी कभी नहीं रही। आज किसान घाटे में चल रहा है। इसलिए मेरा सदन के नेता से भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ-साथ स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये। मैं 5 साल तक एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट में कुल 201 मद हैं और उनमें से 175 मद लागू हो चुकी हैं केवल 26 मद बाकी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों को जो फसल की लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा देने वाली मद है उसको लागू करवा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक वन-रैंक-वन-पैंशन का मामला है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये दोनों रैजोल्यूशन डल जायें तो हम दोनों का समर्थन करते हैं।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन का एक सैनिक होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने रिवाड़ी की रैली में जिस तरह से आश्वासन दिया और उस आश्वासन को जिस बहादुरी के साथ बहुत थोड़े समय में पूरा किया, बेशक उसका श्रेय कोई और लेना चाहे लेकिन जो मारे सो मीर यह काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और वे ही इस प्रशंसा के पात्र हैं। मैं एक सैनिक के नाते उनका हृदय की गहराईयों से आभार प्रकट करता हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि-

बहादुर कब किसी का आसरा, अहसान लेता है,
वह कर गुजरता है, जो दिल में ठान लेता है ।

अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी ने ठाना और करके दिखाया। फरीदाबाद की रैली के बारे में हमारे भाई कुछ टिप्पणी कर रहे थे। जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोले उनसे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी के ये शब्द थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मेरे साथी हैं, ये बहादुर हैं, कर्मठ हैं और मेहनत करने वाले हैं और ये प्रदेश को ठीक दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं उनका इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा लाभ रिवाड़ी को मिलने वाला है। रिवाड़ी की रैली में ही इसका आह्वान हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा इतिहास है, रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह की अध्यक्षता में 167 वीर

[श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास]

सैनिकों ने 18 हजार फीट की ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है और बर्फ ही बर्फ होती है, चीन की सेना के 1100 जवानों को भगा दिया था। उन सबने वीरता का प्रदर्शन करते हुये छाती पर गोलियाँ खाई थी किसी भी सैनिक की पीठ में गोली नहीं लगी थी। यह अपने आप में बहादुरी की मिशाल है। विश्व के इतिहास में इस तरह की लड़ाई न कभी हुई है और न होगी। उन सब भावनाओं को देखते हुये कि हमारे सैनिक, हम लोग और जो हमारी जल सेना के सैनिक हैं वे किस तरह से तूफानों में देश की रक्षा करते हैं ? हमारे वायुसेना के वीर हवा में उड़ते उड़ते किसी भी समय देश पर न्यौछावर हो सकते हैं। जंगलों में, पहाड़ों में, रात में भूखे और प्यासे पड़े रहते थे। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनकी पीड़ा को समझा है। मैं उनका हृदय की गहराई से पुन: आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करता हूं कि वह संवेदनाओं को समझती है। यह संवेदना को समझने वाली पार्टी है। जहां तक कृषि पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सवाल है उसमें समय जरूर लगेगा लेकिन इस काम को भी केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में एक विषय जरूर तय होना चाहिए कि यहां सदन में कोई भी अनर्गल बात न कहे। हम बहुत सारे लोग कल फरीदाबाद में थे और बाकी पूरे प्रदेश में लाईव चैनल पर देखा था कि वहां मुख्यमंत्री जी का भाषण कितना आदर से और कितना बढ़िया हुआ था और प्रधान मंत्री जी ने कितनी खुलकर उनकी प्रशंसा की थी फिर भी यहां पर उस बारे में गलत बोला गया। ऐसे इस तरह की शब्दावली कहीं से भी उठाकर सदन का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। इस बात की निन्दा की जानी चाहिए और आपकी अध्यक्षता में ऐसी बात आगे से कोई न कहे जरूर इसका सबक मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कोई भी कहीं से भी कोई विषय उठाए और कुछ भी कहना शुरू कर दे। जरूर इस विषय की भर्त्सना होनी चाहिए। वह सदन के नेता हैं, उनका इतना अच्छा स्वभाव है, इतना अच्छा उनका व्यवहार है, इतना अच्छा उनका भाषण हुआ है। सभी जगह उनकी प्रशंसा हुई। सर, यह प्रदेश का सर्वोच्च सदन है और इसमें कोई भी जो मन में आए कहना शुरू कर दे यह ठीक बात नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही उनकी उपस्थिति में होती तो और अच्छा होता। उनकी निन्दा करनी चाहिए उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह रिवाड़ी की भूमि इतनी अच्छी है कि अगर यहां पर कोई पेड़ लगाते हैं तो वह पेड़ भी अच्छा उगता है और उस पर फल भी अच्छा आता है क्योंकि हमने रिवाड़ी की रैली से ही चुनाव अभियान का शंखनाद किया था और उसके कारण से सरकार भी बहुत बढ़िया बनी और सरकार काम भी बहुत अच्छे कर रही है। वह फल भी लोगों ने इतनी जल्दी देख लिये हैं। लोगों के पास साधनों का अभाव हो सकता है लेकिन भाव और शब्दों का अभाव नहीं होना चाहिए जैसे कांग्रेस के पास है। जब वर्ष 1971 की लड़ाई जीती थी तो इन्दिरा गांधी जी को हमारी पार्टी ने दुर्गा तक कहा था। लेकिन आज जब हमारे देश के सैनिकों को लगभग 12 हजार करोड़ रूपये का ऐरियर मिलने जा रहा है जिसमें एक हजार करोड़ तो मेरे प्रदेश में ही आएगा। यह लगभग दसवां हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में शब्दों का अकाल पड़ गया, भाव का भी अकाल पड़ गया तो उसके कारण से वे सदन से बाहर चले गये यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यह ठीक है कि उन्होंने 500 करोड़ दिया होगा उसमें यह काम नहीं हो

सकता था लेकिन अब जब इतना अच्छा काम हुआ है तो ऐसा भाव तो होना चाहिए कि कम से कम उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। इस प्रकार के भाव के अभाव को प्रदेश के लोग देख रहे हैं। मान्यवर, स्वामीनाथन कमीशन की बात उठाई निश्चित रूप से जय जवान, जय किसान दोनों जुड़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जय प्रकाश जी को भी इस बात की प्रसन्नता होगी कि स्वामी नाथन ने सिफारिश की थी कि 10 हजार रूपये प्रति एकड़ कम्पनसैशन दें 25 हजार प्रति हैक्टेयर दें यह स्वामीनाथन की सिफारिश थी तो हरियाणा सरकार ने 12 हजार प्रति एकड़ मुआवजा करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी ज्यादा दिया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि यह पूरे देश के लिए पहल कदमी है क्योंकि पूरे देश में कहीं भी इतना मुआवजा तय नहीं हुआ कुछ लोगों ने दिल्ली में घोषणा जरूर की थी उन्होंने गिरदावरी भी कराई। अभी भी उनको किसान ढूंढ़ रहे हैं।

श्री जयप्रकाश : मंत्री जी, एम.एस.पी. को और बढ़ा दो।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : हमारी सरकार तो इससे भी आगे बढ़ते हुए एक काम पर आ गई है। इस बार सूरजमुखी की खरीद हुई है, बाजरे की खरीद होने वाली है जो 23 चीजों का एम.एस.पी. घोषित होता है उनके बारे में कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन जी और श्री संजीव बाल्याणा जी से हमारी बात हुई है और वे सभी फसलों की खरीद शुरु कर रहे हैं उसके कारण से एरिया भी बढ़ेगा और दूसरे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं जैसे पहले ही हम मोनोक्रॉपिंग को झेल रहे हैं। एक ही प्रकार के रास्ते पर जाने से कहीं मोनोक्रॉपिंग न हो जाए और सभी चीजें संगठित बाजार में दिखाई दें और उसके हिसाब से ही खरीद शुरु हो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो हमने सी.ए.सी.पी. की सिफारिश करनी है उसके लिए इन्होंने कहा कि हम पुराने पैटर्न की बजाय इस बारे में इस तरह से सिफारिश करना चाहते हैं कि अच्छा प्रोफिटेबल प्राईस दिया जाए। अभी जो देश में प्राईस दिया जा रहा था वह एम.एस.पी. के लगभग 20 प्रतिशत था, इसको स्टैप बाई स्टैप 10 परसैंट और बढ़ाते हुए वहां तक पहुंचाएं। इसी तरह से हमने दूसरी फसल के लिए भी जो सिफारिश की है वह भी इसी प्रकार से की है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार पहले से ही स्वामीनाथन के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी है क्योंकि हम पहले ही वही कर रहे हैं और उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं। रामबिलास जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है उसको पास करना चाहिए।

श्री बख्शीश सिंह विर्क (असन्ध) : अध्यक्ष महोदय, अज सदन दे विच अच्छियां अच्छियां गल्लां चल रहियां हन। एह देश 1947 विच आजाद होया, देश आजाद होण दे बाद अपणे देश दे बहुदे नौजवान शहीद होए। उस समय दी सरकार ने उन्हादे पक्ष विच कोई फैसले नहीं लित्ते गए, जद साडी पार्टी दे देश इच प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बणये। उन्हांतों पहले जेड़े नौजवान शहीद होंदे सी, उन्हादा दाह संस्कार वी नहीं होंदा सी। अटल जी ने आंदे ही उन्हांदे पिंड विच्च उन्हांदे दाह संस्कार दा निर्णय लित्ता होर उन्हांदी धर्म पत्नियां नूं1-1 पैट्रोल पम्प अते 30-30 लाख रूपये की राशि दित्ती गई। मैं श्री रणधीर कापड़ीवास जी नू सुण रहया सी तां मुझे याद आ रहया है कि असी प्यार मंगया सी जुदाई नहीं मांगी थी, कैद मंगी सी रिहाई तां नहीं मंगी सी। मैं ए कहणा चाहंदा हां कि विपक्ष दे जेड़े साथी आज इस प्रस्ताव दे विरोध विच बाहर चले गए हन, उन्हांनू बाहर नहीं जाणा चाहिदा सी। आज साडे देश दे जेड़े प्रधानमंत्री हन, ओ गरीब परिवार तों हन, उन्हांने इक बहुत वडी घोषणा कित्ती है असी उसदा समर्थन

[श्री बख्शीश सिंह विर्क]

करदे हां ते सारे सदन नूं अनुरोध करदे हां कि इस प्रस्ताव नूं सर्वसम्मति नाल पास किता जावे। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस इशू को लेकर सदन में काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अभी मेरे साथी श्री बख्शीश सिंह विर्क ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया लेकिन वे शायद एक बात भूल गए कि सन 1984 में रिवाड़ी में हौंद छिल्लर गांव में दंगे हुए थे उनमें सिखों का कत्लेआम किया गया था और इस मामले की जांच के लिए आयोग बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट शायद सरकार के पास आ गई है लेकिन सदन के पटल पर नहीं आई है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें केवल 3 लोगों के जिम्मे यह बात करके सारे मामले को फिर से दबाया गया। उसमें कहा गया है कि दो इंस्पैक्टर और एक डी.एस.पी.की वजह से यह कत्लेआम हुआ, किसने किया उस पर किसी का नाम नहीं है। उस मामले में 31 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। मैं सदन के नेता से रिक्वैस्ट करूंगा और जानना चाहूंगा 16.00 बजे कि क्या इस मामले की नये सिरे से जांच कराएंगे ? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सदन की एक कमेटी बनाई जाए और जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों को मुआवजा देकर उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए बल्कि उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इसके लिए दोषी हैं जिन्होंने ऐसे काम किये हैं या करवाये हैं उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये जाएं। जो लोग दोषी थे उन में से जो लोग मर गये हैं वे तो ठीक हैं लेकिन जो लोग जिन्दा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सदन को अवगत कराया जाए। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा चली और माननीय कृषि मंत्री महोदय ने सदन में कहा है कि साढ़े बारह हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया है। इस बारे में मैंने कल भी सरकार की प्रशंसा की थी कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है। लेकिन इस मुआवजे में भेदभाव भी हुआ है। भेदभाव भी थोड़ा नहीं हुआ है बल्कि बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। बहुत से ऐसे गाँव हैं जिन गाँवों के अन्दर फसलें बर्बाद हो गई लेकिन उन गाँवों की गिरदावरी क्यों नहीं हुई। कई गाँवों में इस बारे में अखबारों में खबर भी आई है कि ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि जो पटवारी या गिरदावरी करने वाले गिरदावर थे उन्होंने किसानों से पैसा भी मांगा है। क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाही करने का काम करेगी जिन्होंने किसानों से गिरदावरी करने के लिए पैसे की मांग की है। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई और जिन किसानों के खेतों की गिरदावरी नहीं हुई कम से कम सरकार को इस बारे में दोबारा से इंक्वायरी करवानी चाहिए। ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि किसान की गेहूं की फसल में भी मार पड़ी है और अब सफेद मक्खी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने स्वीकार कर रखा है जिस पर सदन में चर्चा होनी बाकी है। अगर किसान की दोनों फसलें खत्म हो जायेंगी तो आप मान करके चलो कि फिर हमारे केन्द्र के कृषि मंत्री जी यह कहेंगे कि किसान नपुंसक थे इसलिए आत्महत्या कर ली या किसी प्रेम प्रसंग में फंस कर आत्म हत्या कर रहे हैं। अगर देश का कृषि मंत्री इस प्रकार के ब्यान हमारे किसान के लिए देता है तो यह किसान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे ब्यान देश के कृषि मंत्री ने दिए हैं। उसके लिए सारे देश के किसानों को शर्मिन्दा होना पड़ा। इस बात के लिए भी सरकार को सदन में एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि देश के कृषि मंत्री को ऐसे ब्यान नहीं देने चाहिएं । देश के कृषि मंत्री को कम से कम

यह सोचसमझकर ब्यान देना चाहिए कि देश का किसान किस मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। उसके कारण क्या हो सकते हैं ? उस चीज की तह तक माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को और सरकार को जाना चाहिए कि उस किसान ने आत्महत्या क्यों की। उसकी तह तक जाने की बजाए किसान का मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको यह कहा जाता है कि प्रेम प्रसंग की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान अगर किसी चीज से प्रेम करता है तो वह अपनी जमीन से करता है जिसमें सुबह 6 बजे खेत में जाकर के हल जोतकर अपनी जमीन से प्रेम करता है। शाम को अंधेरी रात होने के बाद अपने घर वापिस आता है। किसान बेचारे को कहां फुर्सत है कि वह जाकर किसी को प्रेम करे। किसान का प्रेम तो अपनी जमीन के साथ ही है। पूरे देश के कृषि से जुड़े हुए लोग जो यह मानकर चलते हैं कि पूरे देश में आज कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, कहीं पर प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो गई है तो उस समय कृषि मंत्री का कोई ब्यान आयेगा जिससे किसान को कुछ राहत मिलेगी । लेकिन जब ऐसे ब्यान अखबार में पढ़े जाते हैं तो देश का किसान मायूस हो जाता है और जब उसको किसी प्रकार की सहायता न मिले तो वह मजबूर हो जाता है और बेबस होकर आत्महत्या करने का काम करता है। अब हरियाणा प्रदेश में कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण प्रदेश के सात किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसके कारण आज भी प्रदेश में किसानों के कई जगह धरने चल रहे हैं क्योंकि उनको इस बारे में किसी ने पूछा नहीं और किसी ने सुना नहीं कि तुम्हारी कितनी फसल खराब हुई है? इस प्रकार जो प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी बात थी उन पर सदन में चर्चा नहीं हुई उसकी बजाए ऐसे लोगों को बेवजह चर्चा के लिए खड़ा कर दिया जाता है जो केवल और केवल सदन का समय खराब करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए चाहे आपको सदन का एक घण्टा, दो घण्टे या चार घण्टे का समय बढ़ाना पड़े तो आप समय जरूर बढ़ाये ताकि सभी बातों पर चर्चा हो सके।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्री इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके नाम का उल्लेख आया है। उनके साथ जब इस प्रकार की बात जोड़ी गई थी तो उन्होंने तुरन्त इस पर अपनी सफाई दे दी थी क्योंकि सभी आत्महत्याओं की रिकार्डिंग आती है। सरकार का पुलिस एक विभाग है जो इस प्रकार की आत्महत्याओं की रिकार्डिंग करता है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि किन-किन कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री सब कारण गिना रहे थे। उन कारणों में उन्होंने यह कारण भी जोड़ दिया था। उन्होंने किसानों के लिए ऐसा नहीं कहा था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी वह रिपोर्ट पढ़ी है जो केन्द्र सरकार की तरफ से आई है। उस रिपोर्ट में कहीं भी प्रेम-प्रसंग व नपुंसकता के कारण आत्महत्या का जिक्र नहीं है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय कृषि मंत्री महोदय ने भी नहीं कही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात उन्होंने कही है इसीलिए मैंने हाऊस में यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दे रहें हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है ? कृपया आप ध्यान से सुन लें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि आत्महत्या के डाटाज़ की सरकार की रिपोर्ट देखी जाए तो पता चलेगा कि देश में कई लोग प्रेम-प्रसंग के कारण आत्महत्या करते हैं, कई लोग आर्थिक कारणों से आत्महत्या करते हैं व कई लोग पारिवारिक तनाव आदि के कारण भी आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनको वे अलग-अलग गिना रहे थे। लेकिन कृषि मंत्री होने के नाते सवाल किसान से संबंधित था इसलिए सभी कारणों को इकट्ठा जोड़कर गिना दिया गया था जिसके लिए उनको विरोधों को झेलना पड़ा तथा इस बारे में माननीय केन्द्रीय कृषिमंत्री महोदय ने अपनी सफाई दे दी है तथा जो बात उन्होंने कही थी उसको उन्होंने माना था। दूसरा जो विषय था जिस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है उस पर सरकार सजग है।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जब गौ-रक्षा पर इस सदन में कानून बन रहा था, उस समय विपक्ष के नेता, कॉंग्रेस के सदस्य, श्री जाकिर हुसैन व श्री नसीम अहमद अच्छे बोले थे। कुछ लोगों की फितरत कुछ अलग तरह की होती है। कल का जो शहीदों को नमन करने का वाक्या था, उस समय माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भावुकता में बोले जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16,000 फुट की कारगिल की ऊंची चोटी पर खड़े होकर कहा था कि मैंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई है। उन्होंने गर्व से कहा था कि भारत की सीमाओं पर जान देने वाले सिपाहियों ! मैं तुम्हारी चिता को देश के तिरंगे झण्डे में लपेटकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ तुम्हारा दाह-संस्कार करूंग। उस वक्त उन्होंने उनकी विधवा पत्नियों व मासूम बच्चों के प्रति कहा था कि मेरा यह अपना परिवार है जिसका मैं ध्यान रखूंगा। जो उन्होंने कहा था वह करके भी दिखाया। उसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं। आज हमें आजादी मिले हुए 68 साल हो गए हैं।

उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दीया, जिनके खूँ से चिरागे वतन जलते थे ।

मकबरे जगमगा रहे हैं उनके जो शहीदे कफन बेचते हैं ।।

68 साल के तक इस तरह का माहौल मेरे वतन का रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम चलाया गया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के संबंध में भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने लगातार 6 वर्ष एक कमरे में इनके साथ बिताए हैं तथा यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके साथ बिताए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जितनी मेहनत करने में अन्य कोई और व्यक्ति काबिल नहीं है। आज सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी को जरूर यह कहना चाहूँगा कि वे जरा 4-6 महीने और इंतजार करें। आने वाले समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी हम इस सदन में एक प्रस्ताव लेकर आएंगे तथा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य इस सदन को मिलेगा तथा इसी सदन में हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जब 43 वर्ष के बाद देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने One Rank One Pension scheme लागू करने की घोषणा कर दी

है तथा उनके धन्यवाद के लिए जिस प्रस्ताव पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है, ऐसे समय में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए था। वे कौशियारी कमेटी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि उस कमेटी ने One Rank One Pension के मामले में केवल क्लास-1 अधिकारियों के लिए 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। उसके बाद एक कमेटी और बनी थी लेकिन किसी ने भी इस स्कीम को लागू नहीं किया था। अब माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 14 महीने तक इस विषय का गइराई से अध्ययन किया तथा One Rank One Pension Scheme को लागू कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जिस जवान की टांग चली गई हो, जिस जवान का हाथ चला गया हो, जो जवान अपंग हो गया हो तथा कोई जवान 15 या 20 वर्ष पहले रिटायर हो गया हो उन्हें भी ओ.आर.ओ.पी. योजना का लाभ सीधे-सीधे मिलेगा। आज हम सेनापति दलबीर सिंह सुहाग का हौंसला बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के जो जवान चोटियों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं आज हम उनका हौंसला बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको बड़ी फिराखदिली से और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ-

"कि यह सदन वन रैंक वन पैंशन स्कीम की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

"कि यह सदन वन रैंक वन पैंशन स्कीम की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद करता है।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना/मामला उठाना

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरी पार्टी के अन्य सदस्यों ने मेवात की समस्याओं के बारे में तथा अन्य विषयों से संबंधित अपने 8 कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए थे लेकिन आपने सबको डिसअलाउ कर दिया तथा उनमें से एक नोटिस भी एडमिट नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बताया जाए कि मैंने जो कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए हैं वे क्यों एडमिट नहीं किए गए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आपने चाहे 8 कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए हैं लेकिन स्पीकर को एक सिटिंग में एक ही कालिंग अटैंशन मोशन को ही स्वीकार करना होता है। उसके बावजूद भी मैंने दो कालिंग अटैंशन मोशन आज के लिए स्वीकार किये हुए हैं। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो हाउस का समय बढ़ा दिया जाए ताकि हमारे कालिंग अटैंशन नोटिसिज भी यहां लग सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन हरियाणा विधान सभा में लिखा हुआ है कि एक दिन की सिटिंग में केवल एक ही कालिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार

[श्री अध्यक्ष]

किया जा सकता है तथा उस पर एक घंटे से ज्यादा डिस्कशन नहीं हो सकती है। रूल्ज में लिखा हुआ है कि स्पीकर चाहे तो दूसरा कालिंग अटैंशन नोटिस एडमिट कर सकता है लेकिन एक घंटे से ज्यादा उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मैंने जो दो कालिंग अटैंशन एडमिट किए हैं वे दोनों ही आपके हैं इसलिए आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं वे किसी एक सदस्य के मुद्दे नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्याएं हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को कैथल जिले के कुराड़ गांव में 17 भैंसे तालाब में नहा रही थी और उनको बिजली का करंट लग गया क्योंकि बिजली के पोल तालाब के अंदर ही थे। मैं भी वहां गया था और अधिकारी भी वहां गए थे। 17 भैंसों में से कुछ भैंसे प्रेगनैंट भी थीं और कुछ दूध देने वाली भी थी तथा कुछ सांड भी थे। अध्यक्ष महोदय, इस घटना की सरकार द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू लगाई जाए तो यह नुकसान लगभग 50 लाख रूपये का है। मेरा अनुरोध है कि सरकार कोई इस प्रकार का फैसला ले कि हरियाणा में जहां पशुओं के पीने के पानी के तालाब हैं उनके नजदीक बिजली की तारें या बिजली के पोल था जो बिजली की खैंच होती है वे नहीं होनी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, जिन पशुओं को करंट लगा है वे न तो मरे हैं और न ही जी रहे हैं तथा पैरालाइज्ड हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच करवाई जाए तथा जिन किसानों के पशुओं को करंट लगा है उनको बिजली बोर्ड से आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। बिजली बोर्ड के निकम्मेपन की वजह से ही किसान को यह नुकसान हुआ है। मेरा यही अनुरोध है और मैं समझता हूं कि मेरे सभी साथी मेरी बात से सहमत होंगें।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री सुभाष बराला (टोहाना) : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी सदन के नेता के बारे में टिप्पणी करके गए हैं इसलिए उनको यहां बोलने की परमीशन न दी जाए। कुलदीप शर्मा जी जब तक अपने शब्द वापिस नहीं लेते या माफी नहीं मांगते तब तक उनको सदन में बोलने की इजाजत न दी जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को मजाक बना कर रखा हुआ है। जिस मुख्यमंत्री की देश के प्रधानमंत्री प्रशंसा करके जाते हैं ये उनके बारे में टिप्पणी करते हैं इसलिए इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। इन्होंने उनके बारे में ऐसी बात कही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये ऐसी बात कहकर गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी ऐसी बात नही बोलते। (शोर एवं व्यवधान) आज भी उन्होंने मात्र उदाहरण ही दिया था लेकिन कुलदीप शर्मा जी ने जो बात कही है वह मर्यादा के अनुकूल नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान) कुलदीप जी, अबकी बार आपने यह विश्वास दिलवाया था कि इस बार हमें हाऊस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा लेकिन मुझे ऐसा यहां पर कुछ देखने को नहीं मिला। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिव : महोदय, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2015 में हुए सत्र में पारित किया था तथा जिस पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्रीमती गीता भुक्कल जी ने भी सफेद मक्खी से कपास की फसल की क्षति के विषय से संबंधित एक कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया था लेकिन आपने हमारा नाम सिगनेट्री के लिए नहीं पढ़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, उसमें आपने एक कमी छोड़ दी है। उसमें आप दो के ही हस्ताक्षर थे जबकि रूल के हिसाब से उस पर 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिएं थे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा और बहन गीता भुक्कल जी का कालिंग अटैन्शन नोटिस रूल 73 के तहत है और मैं स्वयं आ कर दे कर गया हूँ। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वह रूल 73-ए व बी के तहत आता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने 4 सदस्यों ने भी एक स्पष्टीकरण ज्ञापन दिया था उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती गीता भुक्कल, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान व श्री आनन्द सिंह दांगी ने श्री सुभाष बराला विधायक से संबंधित तारांकित प्रश्न 726 से संबंधित ज्ञापन दिया था। सूचना देने के लिए संबंधित ज्ञापन साथ संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पर सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्ट जवाब दे चुके हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सफेद मक्खी पर मेरा और बहन गीता भुक्कल जी का रूल 73 के तहत कालिंग अटैन्शन नोटिस है, आप उसको दिखवा लीजिए। मैं स्वयं आ कर देकर गया हूँ। आप जो कह रहे हैं वह दूसरा है। वह 7वें वेतन आयोग के बारे में शॉर्ट डिस्कशन से संबंधित था, वह आप बेशक रिजैक्ट कर दीजिए। लेकिन सफेद मक्खी से संबंधित कालिंग अटैन्शन नोटिस मैं स्वयं देकर गया हूँ। वह नियम 73 के अधीन है जो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 73-क में साफ लिखा हुआ है कि-

परन्तु (विलोपित) नोटिस का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा।

श्री करण सिंह दलाल : सर, यह रूल 73-ए व बी है और मैं रूल 73 के तहत देकर गया हूँ जो कि सफेद मक्खी के बारे में है। हमारे कांग्रेस के विधायक, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिल कर खुद किसानों के खेतों की बदहाली देखने गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको भी अपनी सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दे देते हैं लेकिन उस पर 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिएं थे जबकि आपने 2 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -

(i) सफेद मक्खी इत्यादि द्वारा कपास की फसल की क्षति संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी की तरफ से सफेद मक्खी की वजह से कपास की फसल की हानि बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। सर्वश्री परमेन्द्र सिंह ढुल, जाकिर हुसैन, बलवान सिंह, राजदीप सिंह फौगाट द्वारा भी उपरोक्त समान विषय के सम्बंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11 दी गई है। समान विषय का होने के कारण इस ध्यानाकर्षण सूचना को भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 03 के साथ जोड दिया गया है। अत: इन माननीय सदस्यों को भी एक-एक सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। श्रीमती प्रेम लता जी ने भी उपरोक्त विषय से सम्बंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 दी गई है। इनको भी एक सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। श्री जय प्रकाश ने भी उपरोक्त समान विषय से सम्बंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 दी गई है। इसलिए उनको भी एक सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। अब श्रीमती किरण चौधरी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें और इसके बाद सम्बन्धित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

(लेकिन श्रीमती किरण चौधरी इस समय सदन में उपस्थित नहीं थी इसलिए अध्यक्ष महोदय ने श्री परमिन्द्र सिंह ढुल को अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने के लिए कहा।)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ना शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में अल्पकालीन अवधि के लिए चर्चा का भी नोटिस दिया है। प्रदेश के अंदर कांट्रैक्ट और इंटीग्रेटिड फार्मिंग के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मैंने इस विषय पर हाऊस के अंदर चर्चा करवाने के लिए समय मांगा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र सिंह जी, पहले आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं और जाकिर हुसैन, बलवान सिंह तथा राजदीप फौगाट इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि कपास में सफेद मक्खी, धान में तनाछेदक प्लांट हापर लीफ फोल्डर कीटों का प्रकोप हो रहा है। ग्वार, बाजरा व अन्य फसलें चेपा तेला व अन्य बीमारियों से तबाह हो गई हैं। किसान दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार किसानों को मुआवजा देने बारे वक्तव्य देकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हरियाणा में नरमा की 70 प्रतिशत फसल तबाह हो गई है। यह जो सफेद मक्खी है इसका नाम बैसिया है। यह एक बार में 120 अंडे देती है और वे पत्ते के नीचे की तरफ होते हैं जो कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी मक्खी पूरे खेत को तबाह कर सकती है। यह प्रकोप सातबास इलाके में शुरू हुआ था और आज पूरे हरियाणा में फैल चुका है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुईं।)** उपाध्यक्ष महोदया, आज हालात यह हैं कि हरियाणा में किसानों ने अपनी नरमा की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिये हैं।

[श्री परविन्द्र सिंह ढुल]

यह लगातार तीसरा वर्ष है जब प्रदेश के किसानों को नरमा की फसल में आपदा का सामना करना पड़ा है। कभी बेमौसमी बारिस की वजह से तो इस बार सफेद मक्खी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। मेरा अपना हल्का भी इस बीमारी की चपेट में है। इस बीमारी से आज पूरे हरियाणा प्रदेश का नरमा का उत्पादक बेहाल है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे इलाके में ज्यादातर लोग नरमा की खेती करते हैं क्योंकि इसमें पानी कम लगता है। लेकिन उनकी नरमा की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। अगर आप हिसाब लगाएं तो जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान के ग्रामीण आंचल में बसने वाले 74 फीसदी लोग, उसमें हरियाणा भी शामिल है, 5000/- रूपये से कम पर गुजरा करते हैं। उनमें लगभग सभी किसान शामिल हैं। आज उनके सामने रोजी-रोटी और परिवार बर्बाद होने का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक क्विंटल कपास पैदा करने के लिए 4900/- रूपये खर्च आता है। इस हिसाब से यदि एक एकड़ में 8 क्विंटल नरमा की फसल मानी जाये तो 39200/- रूपये खर्च आता है। इसी प्रकार वर्ष 2015 के लिए कपास का न्यूनतम मूल्य 4150 और 3850 रूपये तय किया गया है लेकिन पिछली बार यह कपास मार्किट में 3500 से 3700 रूपये प्रति क्विंटल तक बिकी थी। मेरा यह आग्रह है कि न्यूनतम मूल्य के हिसाब से कपास की खरीद निश्चित की जाए क्योंकि किसान को कपास का सही न्यूनतम मूल्य न मिलने से लगभग 39 हजार 200 रूपये के हिसाब से नुकसान हो रहा है। उनका 6 हजार रूपये का नुकसान तो बुआई पर ही हुआ है। इन सबकी भरपाई करने के लिए हरियाणा के किसान को लगभग 30 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मंत्री जी ने जो बताया है कि सरकार ने गेहूं के खराबे का बड़ा मुआवजा दिया है। लेकिन इसमें सरकार ने हमारे रिवैन्यू पटवारी के हाथों में मुआवजा निर्धारित करने की प्रक्रिया सौंप दी जिससे एक दसवीं पास रिवैन्यू पटवारी ही जमीन का मालिक बना दिया जो ये बताएगा कि फसल में नुकसान कितना हुआ है ? जबकि हमारे पास कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं, कृषि विभाग मौजूद है, ए.डी.ओज. मौजूद हैं। मेरा मंत्री जी से यह भी आग्रह है कि अब जब ये मुआवजा दें तो एक कमेटी बना दें जिसके अन्दर कृषि विशेषज्ञ हों, ए.डी.ओज. हो, पटवारी यह बताने के लिए हो कि जमीन का मालिक कौन है। वही पटवारी यह बताने के लिए हो कि इस जमीन में खेती किस चीज की हुई थी। पंचायत सैक्रेटरी व सरकारी कर्मचारी कोई भी जो इलाके में मुनादी करने वाला हो उसे शामिल किया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता तरीके से गिरदावरी हो सके और प्रदेश के किसानों को आज संभाला जा सके यह मेरा आपसे आग्रह है।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री जयप्रकाश जी, श्रीमती प्रेम लता जी, श्री परमिन्दर सिंह ढुल जी, श्री बलवान सिंह जी, श्री जाकिर हुसैन जी, श्री राजदीप फोगाट जी, और अब श्री करण सिंह दलाल और श्रीमती गीता भुक्कल जी इन सब लोगों ने जो सदन का ध्यान कपास की फसल पर आई सफेद मक्खी की तकलीफ की तरफ खींचने का प्रयास किया है निश्चित रूप से यह विषय विचारणीय है और काफी बड़ी मात्रा में इस मक्खी का प्रकोप हमारे कपास के क्षेत्र में हुआ है। हम खरीब की फसल लगभग

30 लाख हैक्टेयर एरिया में उगाते हैं और उसका लगभग छठा हिस्सा कपास की फसल का इलाका है। जैसे कि पशमिन्द्र सिंह ढुल जी कह रहे थे कि कपास को कुछ इलकों में ज्यादा सघनता से उगाया जाता है। सिरसा में एक लाख 90 हैक्टेयर, हिसार में एक लाख 25 हजार 660 हैक्टेयर, फतेहाबाद में 77 हजार 775 हैक्टेयर, और भिवानी में 62 हजार 700 हैक्टेयर। खरीफ की फसल का लगभग 78 प्रतिशत से ज्यादा भाग कपास की खेती का इन्हीं चार जिलों में है। बाकी के 12-13 जिलों में भी कपास की फसल होती है। जीन्द जिले में भी होती है। अन्य जिलों में भी होती है लेकिन ज्यादा कपास की खेती का सघन इलाका ये चार जिले हैं। सफेद मक्खी की जो समस्या उत्पन्न हुई है इस समस्या के मूल की तरफ भी विचार करना अति आवश्यक है। यह समस्या मोनोक्रॉपिंग में है और मोनोक्रॉपिंग को देखते हुए हम जिस रास्ते पर भी गये जैसे पहले जब हम फसल उगाते थे तो बहुत तरह का बीज एक ही खेत में बोते थे। जैसे बिनोला उगाते थे लेकिन उसमें सैंकड़ों प्रकार की वैराथटी का बिनोले का बीज होता था। गेहूं उगाते थे उसी खेत में सैंकड़ों प्रकार की वैराथटी उसी बीज में शामिल होती थी क्योंकि वह अलग-अलग छंटा हुआ नहीं होता था। बाजरा या धान उगाते थे तो वह अलग-अलग तरह का होता था एक ही खेत में कितनी तरह के पौधे होते थे उनकी शायद गिनती भी संभव नहीं थी लेकिन जब हाई यील्डिंग वैराथटी के सीड आए और एक ही प्रकार का सीड उगाकर जब उसकी मार्किटिंग की गई तो एक ही खेत में एक ही प्रकार का ऐसा बीज आने लग गया जिसके कारण मोनोक्रॉपिंग बढ़ी है। अगर बीज एक खेत तक सीमित हो, पड़ोस में दूसरा हो, तीसरे में चौथा हो तो भी शायद कुछ अलग-अलग बात होती। लेकिन जब से ये बी.टी. कॉटन बीज आया है मोनसोटो कम्पनी इसको लेकर आई और इस कम्पनी ने इसमें जॉनेटिकली मॉडीफाईड करके उसमें जो सुंडी लगती थी उसके मारने का जिन्क भी डाला और उसकी बहुत जबरदस्त मार्किटिंग की और उस मार्किटिंग करने के कारण से देश भर में 95 प्रतिशत इलाके में वही एक ही कम्पनी का एक ही तरह का बीज मामूली अन्तर के साथ वह सारे में फैल गया। अब जितनी भी बीमारियां हैं ये सफेद मख्खी वाली बीमारियां हैं। बी.टी.कॉटन पर आई है देसी नस्ल पर आई है। जो कॉटन हम पहले देशी नस्ल की कॉटन उगाते थे, उस पर नहीं आई इसलिए इस समस्या के मूल उस प्रकार के सीड में है, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में है, उसकी जड़ में जरूर जाना चाहिए क्योंकि जब इस प्रकार का प्रचार और प्रयोग करके जिन चीजों को कंपनीज आगे बढ़ाती हैं उससे ये चीजें बढ़ जाती हैं लेकिन उन देशों के, उस इलाके के किसान उसमें फंस कर रह जाते हैं। इस प्रकार की फसावट आज हमारी हुई है। आज अगर हम दूसरे प्रकार के सीड खोजने जाएंगे तो उसकी उतनी मात्रा हमें उपलब्ध नहीं होगी। अमेरिका की मानसोटो कंपनी ने बीज को आगे बढ़ाया है और हरियाणा के किसान उसमें फंस गए हैं, उनको उन बीजों के कारण दिक्कतें आई हैं। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ सदस्य कह रहे थे कि वे खेतों में गए हैं। मैं स्वयं भी भिवानी जिले में बहल गांव के खेतों में गया हूं और देखकर आया हूं कि वहां सफेद मख्खी का प्रकोप किस तरह से है। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत करके आया हूं। मुख्यमंत्री महोदय भी इस बात का काफी कंसर्न ले रहे हैं और उन्होंने काफी सजगता से इस समस्या के हल करने के लिए स्टैप्स उठाए हैं। 200 से 295 स्कूलों के बच्चों को जाकर इस बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यह बीमारी आ रही है ताकि इस समस्या का समाधान करने में वे हमारी मदद कर सकें। इसी प्रकार से हमने 100 से अधिक ट्रेनिंग शिविर मिलकर लगाए हैं और उसके साथ हमने बड़ी संख्या में सफेद मख्खी के प्रकोप के बारे में पूरी जानकारी देने वाले

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

लीफलैट भी कपास के इलाके में छपवाकर बांटे हैं। सफेद मख्खी के आक्रमण के अधीन कपास उगाने वाले इन क्षेत्रों का भी गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद सैंटर की टीम सारा का सारा सर्वे करके गई है। हमारे विभाग ने भी इस सारे मामले की जानकारी ली है और यह देखा है कि अभी किस प्रकार का और कितना असर है मैं उसके आंकड़े भी इस सदन में बताना चाहूंगा। कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी द्वारा दिये गये प्राथमिक सर्वे के अनुसार 77 प्रतिशत क्षेत्र में 0 से 25 प्रतिशत, 16 प्रतिशत क्षेत्र में 26 से 50 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत क्षेत्र में 51 से 75 प्रतिशत तक नुक्सान का आंकलन है। तीन प्रतिशत क्षेत्र में इससे भी अधिक नुक्सान हुआ है। कुछ किसानों ने शुरु में कॉटन पछेती लगाई थी अब उन्होंने वहां पलटकर बाजरा व मक्की भी बो दी है। इसमें कठिनाई ये है कि फसल कितनी आएगी, इसका आंकलन तब होगा जब इसकी फसल आएगी। अभी एक सवाल में माननीय साथी श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने यह मामला उठाया था कि हमने सर्वे का अधिकार केवल पटवारी को दे दिया। केवल पटवारी ने इस प्रदेश के एक हजार बानवे करोड़ का हिसाब बनाकर भेज दिया। मैं बताना चाहता हूं कि यह एक गैर आनुपातिक ताकत है और यह सिस्टम पिछले कई सालों से चला आ रहा था। अगर हम इस सिस्टम में एक दम से बदलाव लाते तो किसान को राहत पहुंचाने में काफी समय लग सकता था। अब हम निश्चित रूप से सिस्टम पर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पटवारी के साथ अब ए.डी.ओ. और बाकी जिम्मेदार अफसर भी हों। हम इसको 2-3 स्टेप पर ले जाना चाहते हैं। इलाकेवाइज जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पर एकड़ के हिसाब से देखें और यह देखें कि जोत के हिसाब से मात्रा कितनी है यह बताने वाली कमेटी अलग हो। यदि इस आंकलन कमेटी से कोई दिक्कत है और कोई किसान यह कहना चाहता है कि हमारा नुकसान ज्यादा था और कमेटी ने उसका आंकलन नहीं किया तो किसान मैपिंग कमेटी में इसकी फिर से शिकायत कर सकें कि मेरे नुकसान की मात्रा का आंकलन ठीक से नहीं हुआ। इस सारे सिस्टम को और अच्छे ढंग से व्यवस्थित सरकार द्वारा करने की आवश्यकता है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो किसानों को तकलीफ आई है उस तकलीफ को दूर करने के लिए भविष्य के लिए तो हमें बहुत लम्बा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस मोनो-क्रॉपिंगस से हम पीछे हट सकें। किस प्रकार से फसलों की दूसरी वैरायटी को हम आगे बढ़ायें जिससे किसानों की आमदनी और ज्याद बढ़ सके। गिरदावरी कराते समय हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों का जो भी नुक्सान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके साथ साथ जो किसान की खरीफ की फसल आने वाली है उस फसल की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी कि आने वाली किसान की खरीफ की फसल की अच्छे से खरीद हो। जिस प्रकार से बाजरे की खरीद करने जा रहे हैं और सुरजमुखी की हमने खरीद की है। उस नाते से इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। जिस विषय पर माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं यह विषय वास्तव में बहुत गम्भीर है और सरकार इसके प्रति गम्भीर और सजग है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने मुआवजे के लिए सर्वे कराने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है वह बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बात है। मेरा पहला सप्लीमैंट्री सवाल यह है कि गिरदावरी कब तक शुरू करवा देंगे उसकी तारीख बता दें? जहां तक पेस्टीसाईड्स की बात है। दूसरे प्रदेशों में पेस्टीसाईड्स पर किसानों को 50 प्रतिशत तक

सब्सिडी दी जाती है पंजाब में भी सब्सिडी दी जाती है। किसानों को ऐसे मौकों पर पेस्टीसाईड छिड़कनी पड़ जाती है उस पर आप किसानों को सब्सिडी देने के बारे में क्या मंत्री जी सदन में कोई घोषणा करेंगे? इसी प्रकार से मेरे हल्के में निडाना और ललितखेड़ा गाँव हैं जिनमें केन्द्रीय टीम भी आई थी और एच.ए.यू. की टीम भी गई थी। उन लोगों ने एक संगठन बनाया हुआ है जो किसानों को शिक्षित करना चाहते हैं। क्या उन किसानों की और माता-बहनों की सहायता लेकर दूसरे किसानों को शिक्षित करने का सरकार के स्तर पर कोई प्रयास किया जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कीट किटों की बात की है यह बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं कोई कृषि विशेषज्ञ तो नहीं हूं लेकिन कृषि मंत्री होने के नाते तो मेरा जानकारी लेने का दायित्व है। सफेद मक्खी के लिए कोई पेस्टीसाईड कारगर नहीं है। इसके लिए साईंटिस्टों ने और कृषि विशेषज्ञों ने जो उपाय बताये हैं उनमें कहा गया है कि कोई पीला कपड़ा पहन करके उस कपड़े पर चिपकने वाली ग्रीस लगाकर खेत में से निकलना या पीले चार्ट पर कोई चिपकने वाला पदार्थ लगाकर उसके साथ खेत में से निकलने से ये मक्खियां उस पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद इनको खत्म किया जा सकता है। कोई पेस्टीसाईड इन पर कारगर काम नहीं करता है। इसके लिए सब्सिडी देने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। पेस्टीसाईड मैनेजमैंट बिल, राज्यसभा में पैंडिंग है इसलिए पेस्टीसाईड के यूज के बारे में हरियाणा और पंजाब को मुझे लगता है कि और ज्यादा सोचने की जरूरत है। पेस्टीसाइड के ज्यादा प्रयोग से हमारे दोनों प्रदेशों में कैंसर की महामारी फैल रही है। इसलिए पेस्टीसाईड का उपयोग कैसे-कैसे हो इस बारे में बहुत सजगता से सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि पेस्टीसाईड मनेजमैंट बिल अभी केन्द्र सरकार के पास पैंडिंग है इसलिए इस बारे में हमें सजगता से सोचने की जरूरत है।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे मेवात, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ इलाकों में पानी की कमी होने के कारण बाजरा और गवार की फसल ही ज्यादा होती हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि बाजरे का न्यूनतम मूल्य 1416 रूपये प्रति क्विंटल होना चाहिए जबकि बाजार में बाजरे की खरीद का भाव 1275 /- रूपये प्रति क्विंटल है जोकि एक घाटे का सौदा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने खुद माना है कि मेवात जिले के किसान का पिछला जो नुकसान हुआ है जिसकी मार से वहां का किसान अभी उठ भी नहीं पाया है। जब पिछला सत्र चल रहा था उस समय मेवात में तीन-चार बार ओलावृष्टि हुई थी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि उसके बाद सरकार की तरफ से वहां के इलाके की गिरदावरी करने के आदेश भी हुए और गिरदावरी भी हुई लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने खुद माना है तथा सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लोगों को जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से उनको लाभ नहीं मिला है। जैसे कि यह सवाल पहले भी बार-बार उठा है कि कुछ पात्र किसान मुआवजे से वंचित रह गये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो किसान मुआवजे से वंचित रह गये हैं क्या उन किसानों की फसलों के हुए नुकसान की किसी तरह से भरपाई करने का कोई प्रावधान करेंगे? दूसरी बात मैं खास तौर से मेवात जिले में पेस्टिसाईड्स की समस्या के बारे में करना चाहूंगा। मेरी यह बात कृषि से जुड़ी है। यद्यपि अभी और भी फसलें आने वाली हैं फिर भी मेवात जिले में खाद और

[श्री जाकिर हुसैन]

दवाइयों का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे मेवात जिले में खाद और दवाइयों का पर्याप्त प्रबंध करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं कहना चाहता हूं कि पता नहीं कुदरत का प्रकोप है या भगवान् की तरफ से कोई प्रकोप है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से किसान, मजदूर व व्यापारी पर न तो राम ही राजी है और न ही राज राजी है। (विघ्न) मैं एक-एक बात को स्पष्ट करूँगा कि किसानों की क्या-क्या समस्याएं हैं तथा राम किस तरह राजी होगा और किसान किस तरह से खुश हो सकता है लेकिन ये थोड़ा संयम से सुनने की इच्छाशक्ति रखें। आज अगर कोई वर्ग विशेष प्रताड़ित है तो वह किसान वर्ग ही प्रताड़ित है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : बलवान सिंह जी, आप केवल सब्जैक्ट पर ही बात करें।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो सब्जैक्ट पर ही बोल रहा हूं। मैं तो सब्जैक्ट से दूर जाता ही नहीं हूँ लेकिन यदि मेरे वक्तव्य के बीच में कोई टीका-टिप्पणी होती है तो उसका जवाब देने का मेरा फर्ज बनता है। मैं कह रहा था कि जब किसान अपनी फसल की बिजाई करता है तब उसको डी.ए.पी. खाद नहीं मिलता है, जब फसल को पानी देने का समय आता है तब उसको यूरिया खाद नहीं मिलता है। यदि किसान किसी भी तरह से भाग-दौड़कर के अपनी फसल को थोड़ी ऊपर ले आता है तो उसकी फसल पर बीमारियों का अटैक हो जाता है। आज फतेहाबाद जिले में सफेद मक्खी की समस्या मुंह बाए खड़ी है जिसके कारण आज किसान मारा-मारा फिर रहा है लेकिन सरकार ने आज तक कहीं भी सफेद मक्खी के सर्वे के लिए न तो किसी ए.डी.ओ. को भेजा है तथा न ही इसकी स्पैशल गिरदावरी के लिए उपायुक्त को आदेश ही दिए हैं। आज पूरे फतेहाबाद जिले में बीमारियों व मौसम की मार से गवार की 70 प्रतिशत् फसल खराब हो गई है। प्रदेश में नरमे की 90 प्रतिशत् फसल सफेद मक्खी की चपेट में है। वैसे तो बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं कि किसानों के लिए यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन जितनी दुर्गति आज किसान की हुई है उतनी दुर्गति आज तक किसी की नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस बार किसान की जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी कब तक करवा दी जाएगी ? मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की कार्य-प्रणाली भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की जब समस्या होती है, वह या तो बीजों की गुणवत्ता में कमी के कारण होती है या उसमें प्रयुक्त होने वाले पेस्टिसाईड्ज़ में कहीं न कहीं कोई कमी के कारण होती है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय में हमारे कृषि वैज्ञानिकों की भी जिम्मेवारी तय की जाए कि वे सभी पेस्टिसाईड्ज़ विक्रेताओं को समय-समय पर चैक करें ताकि कोई भी पेस्टिसाईड्ज़ का विक्रेता नकली दवाई हमारे किसान भाईयों को न बेच पाए।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के फतेहाबाद में सैम की बड़ी भारी समस्या है जिसके बारे में हम ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था, शायद वह किसी वजह से लग नहीं पाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सैम की समस्या के समाधान के प्रति सरकार गंभीर है ?

उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान को दिन-रात जागना पड़ता है तथा अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है। इन आवारा पशुओं की वजह से हादसे भी घटित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार आवारा पशुओं को रखने के लिए कोई गन्दीशाला बनाने या अन्य कोई और प्रावधान करने जा रही है ? (विघ्न) मैं किसानों से संबंधित विषय पर ही बोल रहा हूँ। आज बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है कि किसानों को 1100 करोड़ रूपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं लेकिन वास्तव में किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदया : बलवान सिंह जी, आप सब्जैक्ट पर ही बोलें ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपापध्यक्ष महोदया, मैं सब्जैक्ट पर ही बोल रहा हूँ । मैं बताना चाहूँगा कि रतिया और फतेहाबाद के एक किसान को भी मुआवजा नहीं दिया गया है जबकि टोहाना हल्के के किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐलनाबाद से लेकर पलवल-होडल तक, नारनौल से नारनींद तक सभी किसानों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि किसान आखिर किसान होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वे प्राकृतिक आपदा संबंधी हुई गिरदावरी के अनुसार मेरे हल्के के किसानों को मुआवजा देने का प्रयास करेंगे ?

श्री राजदीप सिंह फौगाट : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया कि हरियाणा के कुल कपास क्षेत्र में से 90 से 95 परसैंट क्षेत्र में बी.टी. कपास बोई जाती है। कपास की इस किस्म के लिए सरकारी तौर पर कोई यूनीवर्सिटी या आपकी सरकार सिफारिश नहीं करती है बल्कि केवल प्राइवेट कम्पनियां ही सिफारिश करती हैं और वही बेचती हैं। किसान को नहीं पता कि वह किस प्रकार सरकार से दवाइयों की मांग करे। गांव का किसान शहर आता है और दवाइयां ले जाता हैं। दवाइयों का छिड़काव किस प्रकार करना है इसकी जानकारी किसान को नहीं होती। किसान द्वारा दवाइयों का छिड़काव इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे जो कीट फसल के हित में होते हैं वे भी मारे जाते हैं। आज सफेद मक्खी पर चर्चा हो रही है जोकि बहुत गम्भीर विषय है। हिसार और फतेहाबाद के साथ साथ भिवानी भी सफेद मक्खी के प्रकोप से प्रभावित है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा कहा गया है कि हमने बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी करवाई है तथा उसका तेजी से मुआवजा बांटा है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस काम को तेजी से किया गया है लेकिन जिस प्रकार से हर किसान को यह मुआवजा मिलना चाहिए था और ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए था वह उसको नहीं मिल पाया। उपाध्यक्ष महोदया, आप भी दक्षिणी हरियाणा की रहने वाली हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दादरी में किसी भी किसान को किसी भी फसल की बर्बादी का 4 हजार रूपये से ज्यादा मुआवजा नहीं मिला। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का भेदभाव न किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी योजना लेकर आए कि प्राइवेट कम्पनियां सरकार के पास आएं और सरकार वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस सफेद मक्खी के प्रकोप का कोई इलाज ढूंढे जिससे किसान को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उसको फायदा भी हो सके।

श्रीमती प्रेम लता : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज सफेद मक्खी पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगी कि जींद, हिसार, फतेहाबाद और कैथल का कुछ पार्ट आदि 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कम पानी वाली फसलें बोई जाती हैं जिसमें कपास सबसे बड़ी फसल है। एक समय ऐसा था जब किसान 62 परसेंट कॉटन इम्पोर्ट करता था और 38 परसैंट उसकी पैदावार होती थी। किसान ने धीरे धीरे मेहनत की और उसको लाभकारी भाव मिलने लगा जिसकी वजह से वह कॉटन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज जो सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ है उससे किसान बहुत हलाहत है। उपाध्यक्ष महोदया, यह केश क्रॉप है और साढे 5 हजार रूपये से 6000 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज कपास बिकती है लेकिन इस सफेद मक्खी के प्रकोप की वजह से किसान ने अपनी खड़ी फसल जला दी। मुझे नहीं पता था कि सफेद मक्खी का प्रकोप क्या होता है इसलिए मैं खुद किसान के खेत में जाकर देखकर आई। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी और जाकर देखा कि जिस प्रकार फसल जल जाती है उस तरह कपास के पौधे जले हुए थे और उस पर जो फूल होने चाहिए थे वे उस पर नहीं थे। इस तरह यह सफेद मक्खी का प्रकोप होता है। कपास पर चार या पांच बार पैस्टीसाइड का स्प्रे किया जाता है इसलिए पैस्टीसाइड की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। किसान तो भोला होता है उसको बाजार में जिस प्रकार की दवाई मिल जाए वह ले आता है और उसका अपनी फसल पर स्प्रे कर देता है। अगर दवाई नकली होती है तो उसका फसल पर असर नहीं होता। किसान मेहनत भी करता है और पैसे भी खर्च करता है और उसकी फसल का नुकसान हो जाता है इसलिए इसकी रैंडम जांच होनी चाहिए। जो पैस्टीसाइड सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी की सरकारी तौर पर या किसी एजेंसी को हायर करके जांच होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तभी किसान को उसका फायदा होगा। अगर पैस्टीसाइड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उससे फसल को नुकसान होगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए जो गिरदावरी होनी हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाना चाहिए। एक मेरा यह भी सुझाव है कि हमें केन्द्र सरकार को भी इस नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पत्र लिखना चाहिए। केन्द्र सरकार के जिम्मेदार ऑफिसर्ज़ भी हमारे यहां आयें और गिरदावरी के समय वहां पर उपस्थित रहें। इससे केन्द्र सरकार को भी पता चलेगा कि हरियाणा हरेक फसल की ज्यादा पैदावार करता है चाहे वह गेहूं की हो, चाहे चावल की हो या फिर कपास की हो। हमें हमारे किसानों को ऐसी मार नहीं पड़ने देनी चाहिए कि जिसको वे सह न सकें और फसल बोना ही छोड़ दें। इसलिए हमें इस मुसीबत से पार पाने के लिए केन्द्र सरकार से भी आवश्यक धनराशि की प्राप्ति हो जिसके लिए केन्द्र सरकार के जिम्मेदार ऑफिसर्ज़ हमारे यहां पर आयें और हमारी कपास की फसल में हुए नुकसान की जांच करें। इस बारे में उनको यह भी पता लगाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे प्रदेश में सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और कैथल इन जिलों में कपास की फसल लगाई जाती है। इन जिलों में कपास की खेती करने वाले किसानों के नुकसान की जल्दी से जल्दी भरपाई की जाये। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि इस ओर थोड़ा जल्दी ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं मेरे मलवा हल्के के साथ लगते आदमपुर हल्के के गांवों में गया था वहां पर सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा प्रकोप है और लोगों की कपास की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो कपास उत्पादक किसान हैं उनमें सिर्फ तीन प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जिनकी 75 प्रतिशत कपास की फसल का नुकसान हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी करवायें यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कपास उत्पादक 75 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनकी कपास की फसल का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि इससे न केवल कपास का नुकसान हुआ है बल्कि जो गवार की फसल थी वह भी इससे पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी करवायें क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी नहीं करवाई गई तो किसान उस ज़मीन को अपनी अगली फसल के लिए तैयार कर लेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सरकार किस चीज़ की गिरदावरी करवायेगी? इसलिए मैं पुन: यह कहना चाहूंगा कि इसकी गिरदावरी जल्दी से जल्दी करवाई जाये ताकि किसानों के नुकसान की जल्दी से जल्दी सही समय पर भरपाई हो सके। इसके साथ मैं एक और विषय सरकार को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे हल्के में एक बासड़ा माईनर है इस माईनर के ऊपर कल फोर्स लगाकर सारी मोरियां बंद करके केवल एक वॉटर वर्क्स के अंदर पानी चलवाया गया है। न तो सरसाना माईनर के अंदर पानी जा रहा है और न ही न्यू सरसाना माईनर के अंदर ही पानी जा रहा है। आज भी इन माईनर्ज़ में पानी चलने की बारी है और कल भी उन्हीं की बारी है लेकिन इन माईनर्ज़ में एक घूंट भी पानी नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर पानी की बड़ी भारी कमी है। इसलिए इस ओर सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई की जाये। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जो बासड़ा गांव के निवासी हैं उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री से उनके गांव को गोद लेने की प्रार्थना की है ताकि उनकी पानी की समस्या का कोई समाधान हो सके क्योंकि इस गांव के लोग पीने के लिए भी राजस्थान से टैंकरों के माध्यम से पानी ला रहे हैं। इससे सरकार इस विषय की गम्भीरता का अंदाज़ा सहज में ही लगा सकती है। गोरछी, बासड़ा और गुडाक गांवों में पानी के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों की सिंचाई करना तो दूर इन गांवों के निवासियों को पीने का पानी भी टैंकरों के द्वारा राजस्थान से लाना पड़ रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन गांवों में पानी पहुंचाने की सरकार की कोई योजना है? अगर है तो इन गांवों में कब तक पानी पहुंच जायेगा। चाहे सिंचाई के लिए अभी पानी उपलब्ध न भी हो लेकिन लोगों और पशुओं के पीने के पानी का इंतज़ाम तो सरकार को तुरंत करना ही चाहिए। मेरी सरकार से बार-बार यही प्रार्थना है कि न्यू सरसाना माईनर, सरसाना माईनर, गावड़ माईनर और जो बालसमंद ब्रांच जा रही है इनमें जल्दी से जल्दी पर्याप्त पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। इस इलाके में पिछले एक महीने से यही हालात हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि वे इसके बारे में भी हाऊस में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदया, सफेद मक्खी के प्रकोप से हिसार जिला के किसानों की कपास और गवार इत्यादि की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। कपास और गवार की हिसार की मण्डी पूरे एशिया में पहले स्थान पर है। मेरे हल्के के बहुत से किसानों ने अपनी नष्ट हो चुकी कपास और गवार की फसल को उखाड़ कर उन खेतों में दूसरी फसल बोने की तैयारी

[श्री अनूप धानक]

शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष महोदया, कैग की रिपोर्ट के अनुसार 4900/- रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नरमा की फसल पर खर्च आता है। इस हिसाब से यदि एक एकड़ में 8 क्विंटल नरमा की फसल मानी जाये तो 39200/- रूपये खर्च आता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि कम से कम 40 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये और जल्दी से जल्दी इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाये ताकि जिन किसानों की नरमा की फसल बर्बाद हुई है उनको लाभ मिल सके। पिछली बार जब ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई थी तो गिरदावरी में बहुत धांधली हुई थी। इसलिए मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि अबकी बार वह भेदभाव न बरता जाये। गांव के सरपंच, नम्बरदार और पटवारी की कमेटी बना कर गिरदावरी करवाई जाये। उपाध्यक्ष महोदया, अंत में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नरमा की फसल के लिए कम से कम 40 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जो सफेद मक्खी का कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया है उसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूँ। इस सफेद मक्खी ने हरियाणा और पंजाब में फसलों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हमारी पार्टी के कई विधायक स्वयं खेतों में जा कर देख कर आये हैं। अखबारों में भी रिपोर्ट छपी हैं। फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है कि इन्होंने जितना एरिया अपने जवाब में बताया है वास्तव में उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें मेवात और पलवल जिले का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है जबकि वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। इसलिए जहाँ-जहाँ पर नरमा की खेती होती है वहाँ पर इसकी स्पेशल गिरदावरी अवश्य करवाई जाये और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाये। इससे बचाव के जो उपाय मंत्री जी ने सुझाये हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री जी ने बताया है कि स्कूलों में बच्चों को बताया गया और बच्चे घर जा कर अपने माता-पिता को बताएं कि सफेद मक्खी के प्रकोप से कैसे बचा जाये। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जवाब विधान सभा में देने लायक नहीं है। इन्होंने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि The Dealers have been given training to make sure that they supply right kind of pesticides/insecticides and suggest correct method for its usage to the farmers. क्या यह सरकार डीलर्स पर डिपैंड करती है कि डीलर्स किसानों को जा कर समझाएं कि सफेद मक्खी के प्रकोप से कैसे बचा जाये? अगर डीलर्स ही बताएंगे तो फिर इनका महकमा क्या कर रहा है? मंत्री जी ने अपने जवाब में एक जगह पर यह भी लिखा है कि जो देशी कपास है उसके पौधे पर इस सफेद मक्खी का कम नुकसान होता है। जब इनके विभाग को पहले ही पता था कि देशी कपास पर इसका असर कम होता है तो इन्हें किसानों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी और देशी कपास का बीज ज्यादा से ज्यादा किसानों को देना चाहिए था। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये।)** अध्यक्ष महोदय, यह नरमा की फसल हरियाणा के किसानों के लिए केवल जीविका का साधन नहीं है बल्कि इससे धरती का उपजाऊपन भी बढ़ता है। इसी प्रकार से सरकार ने जो क्रॉप डायवर्सीफिकेशन का कैम्पेन चलाया है उसमें भी सहायक है। जिस प्रकार से धान की फसल में ज्यादा पानी लगता है लेकिन कपास की फसल कम पानी में भी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो कॉटन

आप है उसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए था और जो यह हिन्दी के न्यूज पेपर्ज में इन्होंने एडवरटीजमैंट दी है और एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने डिप्टी डायरैक्टर्स की निगरानी में जिलों में जाकर दौरे किये। सर, ये जो जवाब है वह आपस में कन्फ्यूजिंग है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब जो नुकसान हुआ इसकी मेहरबानी करके भरपाई करें और जिन जिलों का इनके जवाब में जिक्र नहीं है उन जिलों में भी जाएं, इनकी टीम जाए और यह विचार करें कि अगले वर्ष इस सफेद मक्खी को हम कैसे रोक सकें और जिन किसानों ने अपनी फसल अपरूट की हैं और आपने माना है। ये देखिए यह पंजाब केसरी अखबार है, इसमें लिखा है कि सफेद मक्खी से परेशान एक किसान ने 9 एकड़ फसल रौंद डाली। अध्यक्ष महोदय, अखबार में केवल 9 एकड़ का नुकसान दिखाया हुआ है लेकिन इसके कारण हरियाणा में जगह-जगह किसान मायूस है और पिछली फसलों का भी उसको उचित मूल्य नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, किसानों की एक ऐसी खराब दशा चल रही है इसलिए आज कृषि विभाग को जागरुक होना चाहिए। बल्कि मैं तो मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि आज विधान सभा सत्र का आखिरी दिन है क्योंकि अब ये इससे ज्यादा क्या जवाब दे पाएंगे लेकिन इस सफेद मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए कहां कितना नुकसान है इसकी जानकारी के लिए इनके विभाग ने क्या गिरदावरी की, क्या इनका आंकलन है, ये आने वाले दिनों में इसकी किस तरीके से रोकथाम करेंगे। आने वाले वर्ष में भी ये क्या मेजर्स लेंगे इसकी जानकारी सभी विधान सभा के सदस्यों को उनके घरों पर भेज कर के दें कि हमारे विभाग ने इस महामारी का क्या इलाज किया ? धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले हमारे कुछ साथियों ने बड़े विस्तार से सफेद मक्खी का प्रकोप जो कई जिलों में भयंकर रूप धारण कर चुका है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा और यह एक बीमारी के सुझाव भी है कि जो बी.टी. कॉटन के नाम से प्राइवेट विक्रेता लोगों को जो नकली बीज देते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोविजन किया जाए कि किसान जिस दुकान से पर्ची कटाकर के सीड लेगा यदि वह सही नहीं है, नकली है तो उसकी टोटल जिम्मेवारी उस बीज विक्रेता की होगी। अगर सरकारी दायरे से लेगा तो उन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। स्पीकर सर, हालत आज ये हुई है कि भारी बारिश ने, ओलावृष्टि ने किसान की गेहूं की फसल खराब कर दी। मुआवजे की बात चल रही थी, मुआवजा सरकार ने दिया लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, यहां बैठे हैं मेरे इलाके के साथ-साथ और भी बहुत से इलाकों में गिरदावरी की अनियमितताएं सामने आई हैं और मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको टाइमली किसानों को दिलवाया जाए और गिरदावरी करने वाले कर्मधारी चाहे वह पटवारी है, चाहे वह गिरदावर है वह गांव के तीन लोगों को साथ लेकर के जाए और उस किसान का अंगूठा या हस्ताक्षर करवाए जाएं जिसकी वह गिरदावरी कर रहे हैं ताकि यह पता लग सके कि उन किसानों के खेत में पटवारी व गिरदावर आया है। यहां तो पिछली बार ऐसी हालत कर दी कि "अन्धा बांटे रेवड़ी, अपने-अपनों को दे।" जिन भोले-भाले किसान का 100 प्रतिशत नुकसान है उनको एक पैसा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी वह रिपोर्ट कैथल, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से आई थी जिसको आपने भी देखा होगा। जैसेगवार की फसल है और अब तो धान की फसल के अन्दर भी बड़ी भयंकर बीमारी आ चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसान को जो 12 हजार रूपये प्रति

[श्री जयप्रकाश]

एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात करते हैं वह कम है और हमने ये चर्चाएं इस सदन में बन्द करनी चाहिए कि पीछे क्या हुआ, पिछली सरकार ने क्या दिया, हम क्या दे रहे हैं ? जनता ने हमें पांच साल के लिए यहां चुन कर भेजा है और भारतीय जनता पार्टी से अधिकांश लोगों ने आशा व्यक्त की है तो जनता भी यही चाहेगी कि आप जो 12 हजार रुपये किसान को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज जिस तरीके से जो भूमिहीन किसान हैं या मजदूर है वह दूसरे बड़े जमींदार की ठेके पर जमीन लेता है जो वह 50-50 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से लेते हैं उनके बारे में भी सोचा जाए क्योंकि पीछे भी किसान की गेहूं की फसल चौपट हो गई। धान की फसल के अन्दर भी भयंकर बीमारी का प्रकोप चल रहा है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज किसान के लिए 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की घोषणा कर दें ताकि इस प्रदेश का किसान आर्थिक तौर पर कमजोर न हो। दूसरे देशों में भी मंत्री जी गये थे वहां देख कर आए थे कि वहां किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाती है हरियाणा प्रदेश के और भारतवर्ष के किसान को मैं यह बात बड़े अदब और दावे से कह सकता हूं कि विदेशों की भांति हमारे यहां किसान को खेती करने के लिए सब्सिडी कम दी जाती है। हमने आज यह फैसला भी लेना चाहिए कि चाहे धान की फसल है, चाहे ग्वार की फसल है, चाहे नरमा की फसल है मुआवजा उन किसानों को दिया जाता है जिनकी फसल का 25 प्रतिशत से ऊपर नुकसान हुआ है लेकिन स्पीकर सर, जिनका 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है उनको नहीं दिया जाता। मुआवजा तो उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि आपके पास कृषि विभाग है, रिवेन्यू विभाग हैं, आपके पास दूसरे विभाग है आप अपने अधिकारियों को भेजकर 1 परसेंट से 100 परसेंट तक के नुक्सान पर किसानों को मुआवजा दीजिए और इसके बारे में फैसला शीघ्रातिशीघ्र करवाएं और किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा व आर्थिक सहायता शीघ्र दिया जाए यह मेरा सुझाव है।

श्री तेज पाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा के दौरान विपक्ष के साथी श्री बलवान सिंह जी कह रहे थे कि जब से बी.जे.पी. की सरकार आई है तब से कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है पहली बार बी.जे.पी. की सरकार आई है तब से सब काम अच्छे होते जा रहे हैं। किसानों को हमने जो कुछ दिया है उसके लिए प्रशंसा तो अलग बात है सबने विरोध में कसीदे पढ़ने शुरु कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब गिरदावरी हो रही थी उस समय इनको अपने अपने हल्कों में देखना चाहिए था। (विघ्न) पिछले 10-15 सालों में पहली बार हमारी सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है उससे पूर्व कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सारे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी है, बिजली की तारें नहीं है। बिल्डिंग बन गई हैं तो टीचर्ज नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर्ज नहीं हैं। इतना बुरा हाल पिछले दस सालों में प्रदेश का रहा है। (विघ्न) पूर्व मुख्यमंत्री हुडडा जी बैठे हैं। वे भी जानते हैं कि वे बहुत बड़े-बड़े गड्ढे बनाकर गए, उनको सुधारने में समय लगता है। जब विधान सभा में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आ गए हों। हमारे यहां पर 100-150 गावों की पंचायत होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है जब वह अनुमति देता है तभी दूसरा बोलता है। लेकिन यहां पर एक ही समय में सभी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमें लोगों ने यहां चुनकर इसलिए भेजा है ताकि हम प्रदेश के लोगों के भाग्य का उदय कर सके। लेकिन यहां सिवाय उलाहनों के और कुछ नहीं होता। महिलाएं बुरा न मनाना

लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एक महिला की दूसरी से लड़ाई हो जाए तो वे एक दूसरे को उलाहने देने लगती हैं वैसे ही यहां पर सदस्य ऐसे उलाहने देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमारा उलाहने देने का काम नहीं है। कांग्रेस के और इनेलो के भाई ये कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। देखो भई, ऐसे मत कहो। जो काम सही हो जाए उसे मानना भी चाहिए। जो हमारी विधान सभा है इसकी तो मर्यादा माननी चाहिए। हम देश विदेशों की तो बात करते हैं लेकिन अपने प्रदेश की विधानसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं, यह ठीक नहीं है। हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए और मिलजुल कर चलना चाहिए। (विघ्न) इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कालिंग अटैंशन के बारे में ही बोल रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बेचारे तैयारी तो करके आते नहीं हैं और बीच में बैठे-बैठे बोल रहे हैं। जब कोई सदस्य सदन की चर्चा में भाग लेता है तो इनको तकलीफ होती है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि वे किसान के घर में पैदा हुए हैं और किसान की फसल बर्बाद हो रही है उसके बारे में चर्चा चल रही है। मैं उसके बारे में सदन को अच्छा सुझाव दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य को पता नहीं बैठे-बैठे क्या मरोड़े उठ रहे हैं, इन माननीय सदस्य को यही काम है कि बीच में इन्ट्रप्ट करना।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता क्या सदन में सद्दाम हुसैन हैं ? (विघ्न) ये क्या सद्दाम हुसैन है ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप चेयर को एड्रैस करें। चेयर को एड्रैस किये बगैर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इसे किसी अच्छे डाक्टर को दिखायें। आप किसी अच्छे डाक्टर को सदन में बुलायें यहां कई ऐसे मरीज बैठे हैं जिनका किसी समय भी हार्ट फेल हो सकता है। इनकी कोई नाड़ी फट गई तो फिर सदन में शोर मच जायेगा। (विघ्न) इनको कहें कि यह चुप करके बैठ जायें। स्पीकर महोदय, यह इश्यू तो ऐसा था और मेरा तो कालिंग अटैंशन मोशन में नाम भी था इसलिए मैं इस कालिंग अटैंशन मोशन पर ही तो बोल रहा हूं। यह इश्यू किसान के साथ जुड़ा हुआ है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि कालिंग अटैंशन मोशन पर सिगनेटरी के इलावा कोई दूसरा सदस्य सप्लीमैंट्री पूछ सकता है या नहीं ? इस पर आप अपनी रूलिंग दीजिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अध्यक्ष के पास तो अधिकार है कि वह किसी भी सदन के सदस्य को अपना प्रश्न पूछने की परमिशन दे सकता है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 73(1) तथा 73(2) में जो लिखा है उसको सदन में पढ़कर सुना देता हूं:-

[डॉ. रघुवीर सिंह कादियान]

73(1) "A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

73(2) "There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question; "

अध्यक्ष महोदय, जब इस नियम में यह बात क्लीयर कट लिखी हुई तो यह हाउस कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ? Kindly regulate the House please. My submission is that kindly regulate the House. (Interruption)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मुझे आप एक मिनट बोलने का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, अभी एक मिनट श्री अभय सिंह चौटाला जी बोल लें, उसके बाद आपको बोलने का समय दिया जायेगा। अभय जी आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह बात तो मैं पूरी ही करूंगा उसमें चाहे एक मिनट लगे चाहे पांच मिनट लगें और चाहे दस मिनट लगें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह गलत बात है। आपको ऐसे छूट नहीं मिल सकती । किस सदस्य ने कितना समय बोलना है यह तो मैं निश्चित करूंगा। सदन में ऐसा नहीं चलेगा। आप तो मुझे ही चेलैंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता । आपको मैं जितना समय दूंगा आप उतने समय में ही अपनी बात पूरी करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप मुझे समय बता दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से समाप्त करें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह बताना चाह रहा था कि सफेद मक्खी के प्रकोप की वजह से आज किसानों की जो फसल खराब हुई है उससे हरियाणा प्रदेश के 10-12 जिले प्रभावित हुए हैं। जहाँ पर बाजरे, गवार, कपास व तिलहन आदि की जो फसलें होती हैं इस प्रकोप की वजह से किसान की इन सब फसलों का नुकसान हुआ है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि वह बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है तथा दूसरी तरफ कहती है कि फसल के चक्र को बदला जाए तथा कुछ ऐसी फसलों की पैदावार की जाए जिनमें कम पानी का प्रयोग हो तथा किसान को लाभ ज्यादा हो। इस प्रक्रिया पर बहुत लम्बे समय से सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने के लिए इसलिए खड़ा हुआ था कि बागवानी की फसल में इस प्राकृतिक प्रकोप व सफेद मक्खी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आमतौर पर बागवानी की फसल उगाने वाले किसान को साल में एक लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है लेकिन अब की बार इन फसलों के खराब होने की वजह से किसानों ने अपने उन खेतों की जुताई कर दी जहाँ पर बाग लगे हुए थे। किसी किसान ने अमरूद का, किसी किसान ने किन्नू का तथा किसी किसान ने बेरी का बाग लगा रखा था, इन सब फसलों में भी नुक्सान हुआ है।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सरकार द्वारा जब खराब फसलों की गिरदावरी करवाई जाए तो उन किसानों का भी ख्याल रखा जाए जिनकी इस प्रकार की फसलों का नुकसान हुआ है। फिर भी यदि मैंने किसान के हित की बात करते हुए कोई गलत बात कही है जिससे सदन के किसी साथी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द भी वापिस ले सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपका अपनी बात कहने का तरीका ठीक नहीं था जिस पर मैंने ऐतराज किया है। आपने या श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सदन में कभी बोलने के लिए हाथ उठाया हो और मैंने आप दोनों को बोलने की इजाजत न दी हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। (विघ्न) यदि आप मुझे यह कहोगे कि मैं जितने समय चाहूँगा, बोलूंगा तो इस बात पर मुझे ऐतराज है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मैं तो किसानों के हितों की बात कह रहा था। मुद्दा किसानों के हित का था। वैसे मैं इस मुद्दे पर सिगनेटरी नहीं था लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि किसी भी माननीय साथी ने इस बाग वाले इशू को टच नहीं किया था तथा हरियाणा प्रदेश में ऐसा बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर किसानों ने बाग लगा रखे हैं। सरकार की मंशा यह है कि बागवानी ज्यादा से ज्यादा हो क्योंकि दूसरी फसलों में बिजली व पानी की दिक्कत आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो किसानों के हितों की बात कहने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन पता नहीं इन साथियों को किस बात की पीड़ा होती है ? अध्यक्ष महोदय, आप भी खुद एक किसान हैं इसलिए आप किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अब आपकी बात पूरी हो चुकी है । कृपया आप बैठिए । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको हमारी बात से तो पीड़ा है लेकिन ये सदन में खुद तो तैयारी करके नहीं आते हैं तथा किसानों के हितों का मुद्दा उठाते नहीं हैं। ये बेचारे ऐसे ही कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। यदि हम सदन में किसानों के हितों का मुद्दा उठाते हैं तो इनको तकलीफ होती है कि हम क्यों खड़े हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से इन साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारी जानकारियाँ होती हैं इसलिए हम सदन में बोल सकते हैं । अगर x x x पास जानकारियाँ हैं तो x x x खड़े होकर बोलो, x x x को बोलने से कौन रोकता है ? ये सदन में कितनी बात बोलते हैं क्या हमने इनको कभी बोलने से रोका है ? ये सारा दिन सदन में ऐसे ही बैठे रहते हैं तथा व्यर्थ में कुर्सियाँ तोड़ते हैं। (हंसी)

डॉ.रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा x शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह शब्द सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यदि श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा * शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है जिस पर चर्चा करने के लिए सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने प्रयास किया है तथा इस पर माननीय कृषिमंत्री महोदय ने सदन में अपना रिप्लाई भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्रीमती गीता भुक्कल]

प्रधान देश है। इस समय जो किसानों की दुर्दशा हुई है उतनी कभी नहीं हुई है क्योंकि उनके धान की फसल पिट रही है, उनको खाद नहीं मिल रहा है तथा कपास की खेती पर सफेद-मक्खी का प्रकोप है। किसान की समस्याओं पर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने सदन में बड़ी चिंता व्यक्त की है। हमारे माननीय नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत से गांवों का स्वयं भी दौरा किया है तथा इस संबंध में रिपोर्ट्स का भी अध्ययन किया है। अभी सदन में इस बात का जिक्र किया गया था कि इस संबंध में बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है जो प्रदेश के अंदर विजिट कर रही हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि वे टीम हमें कहीं भी नज़र नहीं आई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि वे कृपया बताएं कि उनके द्वारा गठित की गई टीमों ने किन-किन गाँवों का दौरा किया है ? पिछली बर्बाद हुई फसल के बारे में सदन में यह कहा गया है कि तीव्रगति से फसलों की गिरदावरी हुई थी और मुआवजा बाँटा गया था। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे जिले से हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जिले में जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी के मामले में न केवल हमारे जिले में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में घपला हुआ है जिसको सरकार ने भी माना है कि इसकी जाँच की जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि सफेद मक्खी के प्रकोप की वजह से इस समय लोग अपनी लगाई हुई फसल को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। करीबन 5 लाख 80 हजार हैक्टेयर जमीन पर कॉटन लगाई गई है और सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 5 लाख 54 हजार हैक्टेयर जमीन पर यह फसल बर्बादी की ओर है। रिप्लाई में भी बताया गया है कि 77 प्रतिशत कपास ग्रोइंग एरिया में 0 से 25 परसैंट, 16 प्रतिशत क्षेत्र में 26 से 50 प्रतिशत, 5 प्रतिशत क्षेत्र में 51 से 75 प्रतिशत और 3 प्रतिशत क्षेत्र में 75 प्रतिशत नुकसान होने की अशंका है। मेरा अनुरोध है कि जहां 26 परसैंट से 100 परसैंट फसल बर्बाद हुई है वहां गिरदावरी करके प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए। अभी मेरे कई साथियों ने महिलाओं की चर्चा की। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि प्रदेश में महिलाओं की कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति है उस बारे में वे यहां जरूर स्पष्ट करें। आज कोई महिला बग्गी लेकर जा रही है, कोई ट्रैक्टर लेकर जा रही है और कोई चारा लेने जा रही है। आज महिलाएं कृषि में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं इसलिए उनको ज्यादा मालूम है कि किसान को आज कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज जो फसल बर्बाद हुई है उससे उसके परिवार का आर्थिक ढांचा बिगड़ चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि इस समय आवश्यकता न पड़े कि हम धरने और प्रदर्शन करें तब जाकर किसान की बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी हो तथा गिरदावरी हो भी तो वह गलत हो तथा उसमें कुछ क्षेत्र अनछुए रह जाएं। मैं चाहूंगी कि सरकार इन सारी चीजों की ओर ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी मेरे झज्जर जिले से ही हैं। उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया लेकिन वहां के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया जबकि ठेकेदार विक्रम सिंह जी के हल्के कोसली के कुछ गांवों में जो मेरे हल्के के गांवों के साथ लगते हैं, जहां कोई नुकसान भी नहीं हुआ उसके बावजूद भी वहां मुआवजा बांटा गया। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में चाहे तो रिकार्ड निकलवा कर देख लिया जाए इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इसकी जांच करवाई जाए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता से अपने सवाल यहां रखे हैं। दलाल साहब जब बोल रहे थे तो मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि एक

धार्मिक किस्म का बजुर्ग व्यक्ति अपने कमरे में बैठा था। एक नौजवान उसके कमरे में घुसा तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग फैशन टीवी देख रहा था। वह व्यक्ति उस बुजर्ग से बोला आप और फैशन टीवी देख रहे हैं तो वह बुजुर्ग बोला कि नहीं-नहीं मैं तो दूसरे नजरिए से देख रहा हूं यानि नफरत के नजरिए से देख रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नजरिया गलत हो तो सही बात भी गलत नजर आती है। 10वीं ,11वीं और 12वीं के बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनको नई बात बता रहे हैं। उनको पैस्टीसाइड्स के बारे में हम बता रहे हैं कि इस समय कौन सी यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए तथा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने हिन्दी अखबारों में इश्तहार भी छपवाए हैं तो इनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। करण सिंह दलाल जी, आप तो ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं इसलिए आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको तो आलोचना करने की आदत सी बन गई है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरा नाम मैंशन किया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा ..

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आपने अपनी बात कह ली। अब आप मंत्री जी की बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : जय प्रकाश जी, इस तरह की बातें उठती हैं तो दर्द होता है। पैस्टीसाइड्स कम्पनी का मालिक इस देश के 10 हजार लोग मारकर चला जाता है और उसको एक दिन की भी सजा नहीं हुई और आज ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इसलिए पुरानी बातों को न छेड़ो तो ठीक रहेगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इनकी टीम कौन से स्कूल में गई थी। अगर वह टीम गवर्नमैंट स्कूल में गई थी तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां तो किसान के बच्चे कम पढ़ते हैं और मजदूर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। अगर इनकी टीम अंग्रेजी स्कूल में गई है तो वहां किसान के बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए ये बताएं कि इनकी टीम कौन से स्कूल में गई थी ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान गरीब हैं तभी तो वे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान गरीब हैं इसलिए आज भी उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। इसलिए माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल की इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हमारे प्रदेश के किसानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप यह कह रहे हैं कि किसानों के बच्चे न तो हिन्दी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और न ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप यह तो बता दें कि किसानों के बच्चे पढ़ कौन से स्कूलों में रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान गरीब हैं इसलिए उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि आजकल ये गांवों में जाते ही नहीं हैं।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट चला रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग चला रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल का नज़रिया गलत है इसलिए इनको सही जवाब भी गलत नज़र आता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप कृपा करके माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रविन्द्र मछरौली : स्पीकर सर, मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों के सम्बंध में एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। एक बार एक जेल में एक जाट जेलर की नियुक्ति कर दी गई थी। रात होती तो वह सारे जाटों को खुले छोड़ देता था और बाकियों को बंद कर देता था। इसके लिए उसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को कर दी गई। अधिकारियों द्वारा उससे रात के समय जेल में बंद जाटों को खुले छोड़ने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह रात के समय जेल में बंद जाटों को इसलिए खुले छोड़ता है क्योंकि जो जेल में रात को ड्यूटी देने वाले गार्ड हैं ये भी जाट हैं इसलिए जब ये भागने लगेंगे तो ये गार्ड इनको पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्यों के बीच में किसी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है ये आपस में ही लड़ मरेंगे। हम काफी समय से इनको बराबर देख रहे हैं कि ये अनेक मामलों में आपस में ही लड़ने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : रवीन्द्र जी, अब आप बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, श्री जाकिर हुसैन जी ने मेवात के क्षेत्र में बीज और दवाईयां सही तरीके से उपलब्ध हों इस मुद्दे को उठाया है। इसके अतिरिक्त श्री बलवान सिंह जी ने यह बात कही है कि किसानों के ऊपर राम भी राजी नहीं है और राज भी राजी नहीं है। इस बारे में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि किसानों पर राम के राज़ी होने की बात तो हमारे बस से बाहर है जो कि पिछली फसल में समस्या आ गई थी। इस बार कीटों जैसे सफेद मक्खी से नुकसान हुआ है लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों पर राज़ी है और किसानों के प्रति जो भी सरकार का कर्तव्य हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निभाया जा रहा है। हमारी सरकार ने किसानों की परेशानियों को दूर करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ज़ाकिर हुसैन जी ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देने की बात कही। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा है हमारी सरकार इस विषय पर भी बराबर काम कर रही है और हमने अपने प्रदेश के किसानों को सारी फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने की अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। श्रीमती प्रेम लता जी ने सफेद मक्खी से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया है। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि श्रीमती प्रेम लता जी हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में मदद करेंगी। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र के पास जो डिजास्टर मैनेजमैंट का फण्ड होता है वहां से इस

प्रकार की आपदाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसके लिए भी हम अपने स्तर पर पूरे प्रयास करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह विषय भी उठाया कि बी.टी. कॉटन से हमें भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो इसके लिए हमें अभी से ठोस कदम उठाने चाहिएं। हमारी सरकार इस विषय पर भी गहराई से विचार करके योजना बना रही है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस बारे में काम शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने इस कालिंग अटैंशन मोशन से हटकर कुछ अलग विषय भी उठाये जैसे श्री रणबीर गंगवा जी ने उनके इलाके के कुछेक गांवों में पानी की समस्या को उठाया है। मै इस विषय के बारे में अलग से बात करूंगा क्योंकि वह मामला इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से अलग है।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि मुझे अगर अपने हल्के की किसी ज्वलंत समस्या को उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो मुझे कभी न कभी तो उसको उठाना ही पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दे दिया है कि जो विषय इन्होंने उठाया है वह विभाग भी मेरे पास है इसलिए मैं उसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई हल निकाल दूंगा। इसके अलावा गीता भुक्कल जी ने यह भी कहा है कि सरकार अच्छे से काम करें ताकि हमें धरने व प्रदर्शन न करने पड़ें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि विपक्ष में रहते हुए हमने बहुत वर्षों तक धरने व प्रदर्शन किए हैं। इसलिए अगर अब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धरने व प्रदर्शन करने का मौका दिया है तो उन्हें भी मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और धरने व प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की अपनी भूमिका को अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए। अगर हमें नियति से कोई काम मिलता है तो हमें उसको करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी किसी भी भूमिका को अच्छी तरह निभाना जानती है और निभा रही है चाहे वह हाऊस के अंदर की भूमिका की बात हो या फिर हाऊस से बाहर की भूमिका की बात हो।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो फसल विविधिकरण की बात करते हुये बागवानी की फसलों के नुकसान की बात कही है उसका भी हम निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव गोरिया में भी बहुत नुकसान हुआ है, मैं वहाँ पर जा कर आई हूँ लेकिन मंत्री जी वहाँ तो नहीं गये जो कि इनका गृह जिला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से कहना चाहता हूँ कि इनको जो विपक्ष का दायित्व मिला है वह ये निश्चित रूप से पूरा करें। उसमें संकोच करने की बात नहीं है कि जायें या न जायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनका यह बयान ठीक नहीं है। केवल बातें करने से पेट नहीं भरता बल्कि काम करना पड़ता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं दांगी साहब से कहना चाहता हूँ कि उनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हमने काम किये हैं। हम 12000/- करोड़ रूपये का एरियर भी ओ.आर.ओ.पी. स्कीम के तहत देंगे। हम कोई 500 करोड़ वाले नहीं हैं, वे तो बीच में ही इस मामले को छोड़ कर चले गये। अभी हमने 1092 करोड़ रूपये फसल के खराबे का मुआवजा दिया था। इसी तरह से नरमा की फसल में सफेद मक्खी से हुए नुकसान के लिए भी मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करवायेंगे। हम एक-एक दाने का मुआवजा देंगे। हमने पहले भी दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए इनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्द मुआवजा देंगे। ये तो घोषणाएं करते थे, इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। इनके समय का मुआवजा हमारी सरकार ने आ कर दिया है। ये तो उस मुआवजे के पैसे का ब्याज खाते रहे और वह मुआवजा हमारी सरकार ने बांटा है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री बिक्रम यादव) : अध्यक्ष महोदय, बहन गीता भुक्कल गोरिया गांव का जिक्र कर रही है। गोरिया गांव मेरे हल्के के साथ लगता गांव है। बहन जी वहाँ पर कभी नहीं गई। मैंने उपायुक्त को बुला कर स्वयं मुआवजा बंटवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन गीता जी, आप प्लीज बैठ जाईये। मंत्री जी ने 1092 करोड़ रूपये देने की बात कही है, आप भी बता दीजिए कि आपने क्या दिया था ? इन्होंने 12 हजार करोड़ रुपये का एरियर देने की बात कही है, आप बता दें कि आपने क्या दिया था ? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं कि 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा तो दिया गया है लेकिन जो पात्र लोग थे, उनको नहीं मिला। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम लेकर बताया गया है कि हमने 500 करोड़ का प्रावधान किया था। इस बारे में मेरा कहना यह है कि उस समय टाइम कम था और 500 करोड़ रूपये की पार्ट पेमैंट थी। अगर 12 हजार करोड़ रुपये देने होते तो भी हम देते, अगर 20 हजार करोड़ या 50 हजार करोड़ रुपये देने पड़ते तो वह भी हम देते। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, ये दे देते, इनको किसी ने रोका हुआ नहीं था। इन्होंने 43 साल तक इस महत्वपूर्ण इशू को लटकाए रखा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार का पैसा था, क्या किसी ने अपने घर से दिया है। यह देना सरकार का फर्ज बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, घर से तो कोई भी नहीं दे सकता। तारीफ उसी की होती है, जो अपना फर्ज पूरा कर लेता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सभा में मुआवजा बंटवाने के बाद कहते हैं कि आज मेरा नाचने का मन करता है। एक तरफ किसानों की फसल बर्बाद होने से बुरा हाल हो रहा था और दूसरी तरफ मंत्री जी का दिल नाचने को करता है। यह बहुत शर्म की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : दांगी जी, महम के खेतों में जायजा लेने के लिए मैं आपसे पहले गया हूँ। आपसे पहले महम का दौरा करके आया था और जिस तेजी के साथ काम करवाया उसके लिए आप जैसे किसान आदमी को तो सराहना करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान को फसल के नुकसान के हिसाब से मुआवजा बांटा गया है। (शोर एवं व्यवधान) हमने बहुत तेजी से काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) आप जैसे सीनियर आदमी को हमारे इस काम की प्रशंसा करनी चाहिए। आप ये बताइये कि आप जिस मैट्रो रेल का जिक्र कर रहे हैं क्या वह आपने अपने पैसों से बनाई है। (शोर एवं व्यवधान) जिसका श्रेय आपने कल भी अखबारों मे लिया हुआ था और आज भी लेना चाहते हो। (शोर एवं व्यवधान) अगर हम उद्घाटन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि क्या आपने मैट्रो रेल अपने पैसे से बनाई है। (शोर एवं व्यवधान) अगर हमने किसान को मुआवजा दे दिया तो आप कहते हो कि यह तो सरकार का पैसा है। यह आपके अच्छे तर्क हुए। क्या आपने मैट्रो रेल अपने घर के पैसे से बनाई थी ? (शोर एवं व्यवधान) कल आपने सारे अखबारों में छपवा रखा था और आज यहां हाऊस में बोल रहे हैं। आपके तो तर्क ही अलग हैं, मैं कौन से तर्क पर बात करूं ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज आप बहुत बड़े पद पर विराजमान हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री विक्रम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहन गीता भुक्कल जी जिस प्रकार से मेरे हल्के की बात कह रही थी कि मैं अपने हल्के में सजग था (शोर एवं व्यवधान) जो गोरिया गांव इनके हल्के में लगता था उसमें भी मैंने उपायुक्त महोदय को बुलाया, वहां की गिरदावरी करवाई और वहां पर किसानों का जितना नुकसान था उनको 100 प्रतिशत मुआवजा दिलवाया। बहन जी उनसे अवगत नहीं है और वह कह रही हैं कि मैंने मेरे अपने हल्के में मुआवजा दिलवाया है। क्या गोरिया गांव उनके हल्के का गांव नहीं था ? क्या इनके हल्के के गांव का 100 प्रतिशत मुआवजा दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी थी ? वह बहन जी की जिम्मेवार थी जिस प्रकार से वह कह रही थी वह गलत कह रही थी इनके पास पूरे तथ्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, चाहे यह इनके क्षेत्र की बात थी, चाहे हमारे क्षेत्र के गोरिया गांव की बात थी, खानपुर गांव की बात थी ।(शोर एवं व्यवधान) आप कुछ भी बोलो कुछ भी कहें वह नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : गीता भुक्कल जी सही बात चलेगी हम पौलिटिकल एजेंडा नकली रूप से सैट नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कोई बात आती है, कोई मसला हाऊस में आता है तो क्या उस पर इस ढंग से गुस्से में आकर बात की जाती है ? इसमें आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि आज आपकी सरकार है। आप डिपार्टमैंट के मिनिस्टर हो। अगर कहीं जाकर नुकसान देखते हो, कोई कार्रवाई करते हो तो उसमें कोई अहसान की बात नहीं है। हमारी बहन आपसे बात कर रही है उस पर भी आप गुस्सा होने लगे । मुख्यमंत्री जी ने अब महिला थाने खोल दिये हैं। उस बात से आपको संभल कर चलने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : चलो मुंह से कोई अच्छी बात तो निकली। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूं कि जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का मामला आया तो ये बाहर चले गये। जब किसान के मुआवजे की बात आई तब भी ये बाहर चले गये। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये एक बार पूरी तसल्ली के साथ आएं, बिना आंकड़ों के न बोलें और सदन का समय भी खराब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : सही बात तो सुननी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) और उसका समाधान करना आपका फर्ज बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : आप एक बात भी बता दो जो आपकी तरफ से सही आई हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : आप मेरे रिश्तेदार है लेकिन अभी आपको सारी बातों का ज्ञान नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं खुद खेती-बाड़ी करता हूं। मैं यहां सिर्फ एक दिन आता हूं और दो घण्टे में वापिस चला जाता हूं। हर रोज अपने हल्के में जाता हूं, गांव-गांव में जाता हूं। हल्के में किसानों की फसल का नुकसान हुआ और नुकसान होने का कारण क्या था ? वह था ड्रेन टूटना। वहां पर ड्रेन टूटी है। जिस दिन मंत्री जी वहां पर गये। इनके जाने से पहले मैंने उसको बंद करवा दिया। उस पानी के भरने से किसानों का नुक्सान हुआ है। आप यदि हिसार रोड से निकलते हुए नजर मारोगे तो सब कुछ सूखा ही मिलेगा। जहां तक ड्रेन की बात है उसकी सफाई का सिस्टम गलत है। पुल के ऊपर से खड़े होकर के देखेंगे तो उसमें पानी नहीं नजर आएगा बल्कि सारी हरी बेल नजर आएंगी।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा : जो ड्रेन पिछले दस साल से साफ नहीं हुई हैं उनकी सफाई में समय तो लगेगा। दस महीने में बेल थोड़ी आ गई हैं।

श्री आनंद सिंह डांगी : बरसात के मौसम में बेल तो दो महीने में आ जाती हैं।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा : आप सफाई नहीं करवाकर गए इसलिए उन ड्रेनों में बेल आ गई। मैं खुद खेती करता हूं। मुझे इस बात का पता है।

श्री आनंद सिंह डांगी : आप कहां खेती करते हैं आप तो शहर में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चंद शर्मा : आप किसान का बेटा किसे मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह डांगी : आप लोगों को भगवान सदबुद्धि दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टेक चंद जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रविन्द्र माच्छरौली : मैं तो स्पीकर साहब से केवल एक निवेदन करूंगा कि मेरा फ्लैट आनंद सिंह डांगी जी के पास है वह उनसे खाली करवा दें।

श्री आनंद सिंह दांगी : एक फ्लैट इस समय खाली है वह मुझे स्पीकर साहब अलॉट कर दें तो मैं आपका फ्लैट खाली कर दूंगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि जो एक दो बातें इस प्रस्ताव पर रह गई हैं उन्हें शीघ्रता से कह दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने बड़ी तैयारी के साथ मुद्दे उठाए हैं। मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से सजग है। सरकार प्रशिक्षण करा रही है, सरकार पूरी तरह से जानकारी रखे हुए है। मैं स्वयं खेतों में जाकर आया हूं और मैंने शुरु में ही बोल दिया था कि सरकार गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और बहुत ही तत्परता से काम करती है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सबसे पहले अपनी ओर से विश्वास दिला रहा हूं कि ये सरकार किसानों के हित की सरकार है। किसानों की सरकार है। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात कहूं। मैंने अपने हाथ से खेत में हल तो नहीं चलाया लेकिन मैं जब तक बचपन में गाँव के घर में रहा तब तक पिताजी के साथ खेत के काम में उनका हाथ जरूर बंटाया था। मदीना, निदाना और बनियानी गाँवों में हमारी जमीन भी है और खेत भी हैं। दांगी जी को तो मैं जब से जानता हूं जब मैं मदीना में अपने नाना के यहां जाया करता था। अब मैं दांगी साहब को मामा कहूं या ममेरा भाई कहूं। (हंसी) ठीक है, भाई ही कह देता हूं। मेरे मामा श्री जयदयाल जी दांगी साहब के अच्छे मित्र रहे हैं। एक बात और मुझे पहले की याद आ गई। हमारे संघ के प्रचारक श्री नवनीत जी थे जो वहां के कार्यालय में रहते थे उनकी माता अक्सर इतवार को उनसे मिलने दिल्ली से रोहतक आया करती थी। वहां के कार्यालय के इन्चार्ज श्री गोपीराम जी थे। जब श्री नवनीत की माता कार्यालय में आती तो वे बुजुर्ग समझकर उनको माताजी नमस्ते कहते थे। श्री गोपीराम जी की उम्र उस समय 68 साल या 70 साल की थी और श्री नवनीत जी की माता जी की उम्र उस समय 58 साल या 60 साल की होगी। एक दिन श्री नवनीत जी की माता जी श्री गोपीराम जी पर बिगड़ पड़ी कि आप मुझे माता जी क्यों कहते हो आप मुझे बहन जी कहा करो। इस पर श्री गोपीराम जी ने कहा कि आपको बहन जी कहकर मुझे मरना है क्या ? क्योंकि नवनीत जी मुझे फिर मामा कहकर रोज चिढ़ायेगा और रोज मुझे मामाजी कहेगा। इसलिए सदन में हम सब भाई-बहन के नाते हैं यह हमारी संस्कृति है इसलिए हम अपनी संस्कृति के कायल हैं।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं दांगी साहब से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हें मामा कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अब ब्याह तो होता नहीं इसलिए भात भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। (हंसी)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आजकल गाँवों में जो बुजुर्ग पेंशन के लिए वैरीफिकेशन का सिस्टम चला हुआ है उसमें बुजुर्ग आदमी से यह पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े बेटे की कितनी उम्र है । इस हिसाब से सिंह साहब की पेंशन कैसे बनेगी ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी तो एम.एल.ए. वाली पेंशन बन जायेगी वही

[श्री मनोहर लाल]

काफी है। इस सरकार का तो पहला अवसर है। वैसे ऐसी प्राकृतिक आपदा न पड़े तो ही अच्छा है जिसके कारण किसानों को ऐसी तकलीफ आ जाये या ऐसा संकट आ जाए। यह सरकार हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है। अभी तक सदन में जितनी जानकारी दी गई है उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया है। इसके बारे में बाकी तो आंकड़े ही बतायेंगे कि यह मुआवजा एवर हाईएस्ट ही नहीं है बल्कि पिछली सरकार के दस सालों में जितना कुल मुआवजा दिया गया था वह चाहे किसी भी प्रकार का मुआवजा हो चाहे सूखे का हो या बाढ़ का हो या ओलावृष्टि का हो या किसान की फसलों का किसी भी प्रकार से नुक्सान हुआ हो उसको कुल मिला लिया जाये तब भी 1092 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। हरियाणा प्रदेश का टोटल एरिया एक करोड़ एकड़ हैं उसमें से 70 से 75 प्रतिशत एरिया एग्रीकल्चर का एरिया है। इतने बड़े एरिया की गिरदावरी करने के लिए कहीं न कहीं तो चूक रह जाती है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको गिरदावरी के लिए पिछली सरकार के समय से गलत आदत पड़ी हुई है। उनकी वे आदतें भी धीरे-धीरे छूटेंगी। एक दम ऐसी आदतें नहीं छूटती। पिछले सदन में या सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने यह कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी सूचनाएं दी गई हैं कि गिरदावरी के लिए इससे ज्यादा नुक्सान नहीं दिखाना है। यह बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या ऐसी सूचनाएं भी दी जाती हैं ? लेकिन ऐसी सूचनाएं भी जाती रही हैं। वे सूचनाएं क्यों जाती रही होंगी ? हो सकता है वे सूचनाएं बजट के अभाव में जाती रही होंगी या यह सोचा होगा कि यदि ज्यादा बजट दे दिया जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा या किसान के हित को ध्यान में नहीं रखा गया होगा लेकिन हम ने पूरी ईमानदारी से यह कहा है कि गिरदावरी ठीक होनी चाहिए तथा जितना उचित मुआवजा बनता है वह किसान को मिलना चाहिए। इस बारे में हमें शिकायतें भी मिली हैं। इन शिकायतों पर जितना एक्शन लिया जाना चाहिए था वह एक्शन हम ने लिया भी है। हम ने कुछ पटवारियों को सस्पैंड भी किया है। मैंने स्वयं सफीदों में हुई एक जनसभा में 6 अधिकारियों के खिलाफ मंच पर एक्शन लिया है। जितने केसिज़ की जानकारियाँ हमें मिलेंगी, उतने केसिज़ में ही हम एक्शन ले पाएंगे। यदि हमें किसानों के हितों के साथ गड़बड़ करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों संबंधी कोई भी पुख्ता जानकारियाँ मिलेंगी तो हम उनको नहीं बख्शेंगे। हमने मुआवजा घोषित किया था उसके बाद विपक्ष के नेता ने हमें एक पत्र लिखा, जिस पर एक्शन लेते हुए मैंने सभी उपायुक्तों को कहा था कि इन-इन गाँवों की इनक्वायरी होनी चाहिए तथा उन सभी गाँवों के मुआवजे की रिपोर्ट हमारे पास आई है जो मेरे पास है, उसको मैं बाद में दे भी सकता हूँ। इन गाँवों में इन्क्वायरी के दौरान जहाँ कहीं कमियाँ पाई गई उनके आधार पर उपायुक्तों ने पूर्व में दी गई मुआवजा राशि के अतिरिक्त 2.06 करोड़ रुपए और अधिक मुआवजा राशि माँगी है, जिसे हमने उनको दिया है। (थंपिंग) इस मुआवजा राशि में 10 प्रतिशत् मुआवजा राशि अभी बंटी भी नहीं है तथा 90 प्रतिशत् मुआवजा राशि बाँटी जा चुकी है क्योंकि 3-3 बार गाँवों में टीमों के भेजने के बावजूद भी 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का मुआवजा लेने वाले किसान अभी तक मुआवजा राशि लेने मौके पर पहुंचे ही नहीं हैं। इसलिए हमारे ध्यान में यह आ रहा है कि अभी तक पिछली सरकारों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की थी कि यह मुआवजा राशि उसी किसान को मिलनी चाहिए जो किसान वास्तव में गाँवों के अंदर खेती करता है । अभी तक तो यह प्रचलन था कि कृषि भूमि का जो मालिक है तथा जिसके नाम गिरदावरी होती है, यह मुआवजा राशि उसी

को मिलने की परम्परा है लेकिन कहीं कहीं जमीन के टुकड़े बहुत छोटे हो गए हैं। पिछली बार इसी सदन में हमसे कादियान साहब ने पूछा था कि इसका क्या सिस्टम बनाओगे ? उन्होंने पूछा था कि क्या मिनिमम 500/-रूपए देंगे ? उस समय मुझे कुछ ध्यान में तो नहीं आया था तथा इतना जरूर कहा था कि जैसे इन्होंने 250/-रूपए का सिस्टम बनाया था ऐसे ही हम भी 500/- रूपए का सिस्टम बना देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हमने सबके लिए 500/- रूपए का सिस्टम लागू तो कर दिया है लेकिन जमीन बहुत थोड़ी-थोड़ी है, किसी किसान की एक कनाल जमीन है, किसी किसान की आधा कनाल जमीन है, कहीं पर एक एकड़ जमीन में ही 60-60, 70-70 व 100-100 हिस्सेदार हैं तथा वे मुआवजा राशि लेने नहीं आए हैं । मैं यह आश्वासन देना चाहूँगा कि हम कुल मिलाकर ईमानदारी से सभी किसानों को मुआवजा देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी अनेक ऐसे गाँव हैं तथा विशेषकर रानियाँ विधान सभा क्षेत्र के 20 ऐसे गाँव हैं जिनमें 100 फीसदी फसल का नुकसान हुआ है जिसकी गिरदावरी भी हुई है लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को एक नया पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं मिला है। इसके अलावा भी हर जिले में क्रमश: 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 और भी गाँव हैं, यदि आप कहें तो मैं जिलावार किसानों के नाम के साथ जिनकी फसल का नुक्सान हुआ है, उन गाँवों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनमें आज तक मुआवजा राशि नहीं बाँटी गई है। इसी संबंध में मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 250-300 गाँवों की एक लिस्ट दी थी। इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ी लिस्ट मेरे पास है। यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जिन किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उन किसानों को वे मुआवजा दे देंगे तो मैं यह लिस्ट उनको दे दूंगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वे गिरदावरी में हुई गड़बड़ियों की जाँच करा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अवश्य जाँच करानी चाहिए। हो सकता है कि यह गड़बड़ियाँ हमारे समय में भी हुई हों या अब हो रही हों, जब भी इस बीमारी से पीछा छूट जाए, तब अच्छा है लेकिन मैं यह बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने असंध हल्के का दौरा किया था उस समय वहाँ के किसानों ने मुझे बताया कि असंध हल्के के किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बात की जाँच करवाई जाए कि असंध हल्के के किसानों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला है ? क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर किसानों की फसलों का कोई नुकसान ही न हुआ हो ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, असंध हल्के के किसानों को मुआवजा देने संबंधी हमारे पास एक शिकायत आई थी, वहाँ पर किसानों ने धरना भी दिया था तथा हमारी उनसे बातचीत भी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि कुल 55 गाँवों में से 40 गाँवों की रिपोर्ट आ गई है तथा बाकी 15 गांवों की रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी और जिनके नुकसान की भरपाई अभी नहीं हुई है उनके लिए जो भी उचित साधन होगा उससे भरपाई करेंगें। चूंकि आज फसल कटी हुई है इसलिए गिरदावरी का फैसला नहीं हो सकता। आज उसका कोई न कोई साइंटिफिक तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वहां की शिकायत को दूर किया जा सके और जितनी सम्भव हो सकेगी, उतनी भरपाई हम जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कमियां तो पहले भी रही हैं और इस बार कमी नहीं

[श्री मनोहर लाल]

रही होगी ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है लेकिन हमारा ऐसा प्रयत्न जरूर है कि आगे यह कमी न रहे या कम से कम रहे। आज हाउस में सभी सदस्य बैठे हैं इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे इसके लिए कोई साइंटिफिक तरीका सुझाएं। चाहे सैटेलाइट के माध्यम से अथवा गिरदावरी एक बार की बजाय दो बार करवाकर अथवा गिरदावरी कई डिपार्टमैंट्स से करवाकर अथवा ज्वॉयंट गिरदावरी करवाने से कोई तरीका निकल सकता होगा तो हम जरूर निकालेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरा तजुर्बा भी है और मैं समझता हूं कि इसका बढ़िया तरीका यह होगा कि जिस भी गांव में गिरदावरी होनी हो वहां 11 या 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर भेजी जाए तथा यह काम अकेले पटवारी पर न छोड़ा जाए तो समस्या का हल हो सकता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सफेद मक्खी का जो प्रकोप हुआ है उसके लिए स्पैशल गिरदावरी 15 सितम्बर से करवाएंगे। अभी फसल का समय है इसलिए हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी किसान की फसल की गिरदावरी हो जाए । जिसकी फसल पर टिंडा नहीं आया उसको तो वह बीच में ही दोबारा जोत देगा और बाद में नई फसल की तैयारी करेगा। जिसकी फसल पर टिंडा कम भी है तथा उसका कितना परसैंट नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी हो सकता है । 15 सितम्बर के बाद जिस-जिस इलाके में फसल का टिंडा आने का टाइम पूरा हो जाएगा उस समय उसकी गिरदावरी होती चली जाएगी। इस बार जो गिरदावरी करने के तरीके के बारे में हमने विचार किया है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहले हम मैपिंग कराएंगे। मैपिंग का अर्थ है कि हम देखेंगे कि कौन से एरिया में नुकसान है। इसके लिए तहसीलदार, ब्लाक के ऐग्रीकल्चर ऑफिसर्ज के साथ मिलकर देखेंगे कि उस एरिया में कितने गांवों में यह नुकसान है ? पूरे हरियाणा में एक जैसा नुक्सान हो ऐसा नहीं है। कहीं नुकसान नहीं भी हुआ क्योंकि सारे क्षेत्र कपास ग्रोइंग नहीं है इसलिए हम एरिया तय करेंगे। पटवारी, ऐग्रीकल्चर और रिवैन्यू डिपार्टमैंट का एक-एक आदमी, वहां का सरपंच तथा नम्बरदार सभी टीम के रूप में जाएंगे तथा उनके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। ये टीम नुकसान की जो रिपोर्ट संकलित करेगी उसके हिसाब से गिरदावरी की जाएगी। हम केन्द्र सरकार को भी लिख रहे हैं कि वे नुकसान को देखने के लिए अपनी टीम भेजें। अधिकतम कम्पनसेशन केन्द्र सरकार की ओर से हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। (विघ्न) उसमें किसान के भी साइन होंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेवात इस समस्या से ज्यादा इफैक्टिड है इसलिए मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जैसा तंवर जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के एम.एल.एज. की टीम ने भाई अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पूरे हरियाणा का दो बार दौरा किया था। अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर दौरा किया था। वहां गिरदावरियां शुरू हुई थी। ओले से किसान की फसल का नुक्सान हुआ तथा ओले के साथ साथ खेतों में जो पानी खड़ा रह गया था उससे भी किसान का नुकसान हुआ। अधिकारियों के स्तर पर यह बात आई कि पटवारियों ने मौके पर गिरदावरी की लेकिन उन्होंने अपने रिकार्ड में नहीं चढ़ाई और कई प्रकार की उन्होंने हेरा फेरी की। अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि जैसे रिवैन्यू वाले रसीद देते हैं उसी

प्रकार जहां गिरदावरी करें वहां किसान को रसीद दें ताकि उसके पास कल को दिखाने के लिए सबूत हो। आज उसके पास दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। डिपार्टमैंट इसकी वीडियोग्राफी भी करा सकता है। अखबारों में फोटो छपी थी कि इनैलो की टीम और अभय सिंह जी वहां हुए नुक्सान को देखने आए तथा इसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिन किसानों का 100 परसैंट नुक्सान हुआ है उनको भी मुआवजा नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास फोटो हैं।

18.00 बजे **श्री अध्यक्ष** : ज़ाकिर जी, आपकी बात सबकी समझ में आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए अब आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और जिन्होंने उसको उखाड़कर दूसरी फसल बोने के लिए अपने खेत तैयार कर लिये हैं क्या उनको भी सरकार की तरफ से मुआवज़ा दिलवाया जायेगा ?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सारी योजना बनायेगी और उसमें जो बारीकियां होंगी उनके बारे में भी माननीय सदस्य को बताया जायेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं वे अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की चिंता ज़रूर कर लें और सही तरीके से गिरदावरी करवायें। वे थोड़ा सा ध्यान रखें गिरदावरी कब होगी इसकी उन्हें जानकारी प्राप्त हो जायेगी क्योंकि जो इस प्रकार की गिरदावरी होती है वह चुपचाप नहीं होती है। उसकी स्पैशल अनाऊंसमैंट होती है। इसलिए सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा हल्के में अपने-अपने मुख्य कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें ताकि सही तरीके से गिरदावरी का कार्य जल्दी से जल्दी सम्पन्न हो सके । मैं यह बात भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि इस विषय को महज़ विवाद के लिए ही विवाद न बनायें। जो नेचुरल कैलामिटी होती हैं इनमें किसी पार्टी विशेष या किसी सरकार विशेष का कोई दोष नहीं होता इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो नेचुरल कैलामिटी आई हैं वे किसी पार्टी विशेष के कारण आई हैं या फिर किसी सरकार विशेष के कारण आई हैं। किसानों के प्रति हमारी सबकी सहानुभूति है। किसानों की समस्याओं के बारे में हम हरेक स्तर पर निरंतर चर्चा करते हैं। यह बात मैंने कल भी कही थी उसी बात को मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि कुछेक विषय ऐसे होते हैं जिनको हमें राजनीति से ऊपर उठकर सॉल्व करना होता है। हम हरियाणा प्रदेश का हित चाहते हैं, किसान का हित चाहते हैं, मैजोरिटी का हित चाहते हैं। इसलिए मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर जिस वर्ग विशेष का भला होना है उस भले के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और मिल बैठकर योजना बनानी चाहिए। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष का एक काम है कि वह सत्ता पक्ष की कमियों को बताये। यह बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष हमारी जिन भी कमियों के बारे में पार्टी विशेष की मानसिकता से ऊपर उठकर बतायेगा हम उसको हर सम्भव प्रयास करके दूर करेंगे। हम प्रत्येक मामले में अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से आगे भी हम इससे भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे यह मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने मेरी बात को शांति के साथ ध्यान से सुना इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) बरसाती पानी से हुए नुक्सान तथा क्षति संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री परमिन्द्र सिंह ढुल से बरसाती पानी की वजह से फसलों की तबाही और बर्बादी बारे ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। मैंने इसे सदन में चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब मैं श्री परमिन्द्र सिंह ढुल को यह कहना चाहूंगा कि वे कृपा अपनी सूचना पढ़ें और इसके बाद संबंधित मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में सभी ड्रेनों में मिट्टी भरी हुई है, जल खुम्बी, घास तथा झाड़िया उगी हुई हैं जहां-जहां भी ज्यादा बरसात हुई है ड्रेनों को सुचारू रुप से पानी की निकासी नहीं हो सकी। पानी ओवरफ्लो होकर फसलों को तबाह और बर्बाद कर दिया, अब तक भी पानी की निकासी नहीं हो सकी आगे भी फसल की बिजाई सम्भव नहीं हो सकेगी। ड्रेनों की सफाई के लिए बरसात के मौसम से पहले आवाज उठाई गई पर सरकार की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जो नुकसान किसानों को हुआ है, उसका कारण सरकार का इस मुद्दे पर उदासीन रवैया रहा है। किसानों की भरपाई के कदम उठाने पर सरकार इस बारे सदन में वक्तव्य दे। स्पीकर सर, इससे पहले कि इस बारे में माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब दें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे अपने हल्के की पूरी जानकारी है वहां पर लगभग 5500 एकड़ ज़मीन में पानी खड़ा हुआ है। 17.08.2015 को मैं लगभग सभी खेतों में गया और मैंने वहां की लगभग 2000 फोटोज़ ली। इन फोटोज़ से यह पता चलता है कि वहां पर आज भी पानी खड़ा है। फसलों के साथ-साथ स्कूलों में भी पानी खड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहां पिछले कई साल से फसलें तबाह हो रही हैं, इसीलिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आप इन फोटोज़ को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर पानी खड़ा हो जाने की वजह से कितनी बुरी हालत है। जब कल मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया तो उस समय मेरे पास अधिकारियों के टेलीफोन आये कि हम वहां से पानी निकलवा देंगे। 30 मार्च, 2015 को सैशन के बाद मैं उपायुक्त महोदय के पास गया था और मैंने उनसे गेहूं की फसल को खराब होने से बचाने के लिए निवेदन किया था। मेरे हल्के में पिछले कई वर्षों से लगातार यह समस्या आ रही है। प्रति वर्ष 15 मई से 15 जून का समय ड्रेनों की सफाई के लिए निश्चित होता है। मैंने अपने हल्के की सभी ड्रेनों की सफाई के लिए समय रहते सम्बंधित अधिकारियों के सामने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद भी तीन बार मैंने उनसे इस बारे में मुलाकात की। सम्बंधित उच्च अधिकारियों ने अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की इस बारे में मीटिंग भी बुलाई और उन्हें इस काम को जल्दी से जल्दी करने के आदेश भी दिये लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सरकार द्वारा हर साल ड्रेनों की सफाई के लिए करोड़ों रूपये के बजट का प्रावधान किया जाता है लेकिन आज तक भी ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है। मेरे हल्के के अंदर एक पड़ाना-शामलो ड्रेन है। इस पड़ाना-शामलो ड्रेन की वजह से जहां सफीदों हल्के के गांगौली गांव में, मेरे हल्के के भैरू खेड़ा, दिगाना, शामलो कलां, गलौली, गढ़वाली, खेड़ा बख्ता, करेला, झमौला, पौली- लिजवाना कलां और बेहरड़ा इत्यादि गांवों की लगभग 5500 एकड़ ज़मीन में अभी तक पानी खड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि हमारी जो पड़ाना-शामलो ड्रेन

है इसकी कैरिंग कैपेस्टी 270 क्यूसिक है जबकि इस पर पानी निकासी के लिए 100 क्यूसिक के पम्प लगाये गये हैं। इन पम्पों को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए वह भी नहीं मिलती जिसके कारण 100 क्यूसिक क्षमता के ये पम्प केवल 70 क्यूसिक पानी ही निकाल पाते हैं, जबकि उस ड्रेन की क्षमता 270 क्यूसिक की है। इसी प्रकार से गतौली ड्रेन की बात है। वहाँ पर पानी 100 क्यूसिक जा रहा है और उसकी कैपेस्टी 70 क्यूसिक की है जिसके कारण खेतों मे पानी भर जाता है और लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। यह क्रम कई सालों से चल रहा है। गतौली-गढ़वाली ड्रेन के लिए सरकार ने 84.84 फीट जमीन ऐक्वायर कर रखी है। नहर विभाग की जमीन खाली पड़ी हुई है उस पर ड्रेन नहीं बनी हुई है। अगर उस पर ड्रेन बना कर एक तरफ बैंक बना दिया जाता तो पानी ओवरफ्लो होकर वापिस नहीं आता और पानी की निकासी हो जाती। इसी प्रकार से निजामपुर-भैरूखेड़ा ड्रेन को रामकली माईनर में हैड बना कर डाला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक छोटा राज्य है जिसके उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रृंखला और पूर्व में यमुना नदी है। दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में घग्गर नदी है। यमुना और घग्गर नदियां हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश व पंजाब की सीमा के बीच का भी भाग है। भौगोलिक रूप से जल निकास के संदर्भ में पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है अर्थात् गंगा बेसिन के यमुना उप बेसिन में निकास का क्षेत्र व सिन्धु बेसिन के घग्गर उप बेसिन के निकास का क्षेत्र।

यमुना उप बेसिन :

यमुना उप बेसिन का निकास क्षेत्र जिला करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर रेवाड़ी गुड़गांव, महेन्द्रगढ, जींद, फरीदाबाद पलवल और यमुनानगर के जिलों का हिस्सा है। राज्य का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र इसके अंर्तगत आता है। इसकी वर्षा के पानी की निकासी यमुना नदी में होती है। भारी वर्षा के दौरान बाढ़ के अनुभव के बाद कुछ डाइवरशन ड्रेनों जैसे कि मेन नं0 8 का दिल्ली के उत्तर में निर्माण किया गया जिसका पानी यमुना नदी में गिरता है। दिल्ली के दक्षिण में स्थित हरियाणा के भाग के पानी के निकास के लिए उजीना डाइवरशन ड्रेन का निर्माण किया गया जिसकी निकासी यमुना नदी में है।

यमुना उप बेसिन की मुख्य ड्रेने हैं चोटांग नाला, धनौरा एसकेप, निसिंग ड्रेन, इन्द्री ड्रेन, मेन ड्रेन नं0 2, नाई नाला ड्रेन नं0 8, डाइवरशन ड्रेन नं0 8, आउटफाल ड्रेन नं0 8, नजफगढ़ ड्रेन, छपरा ड्रेन, महम लाखनमाजरा ड्रेन, के सी बी ड्रेन, सप्लीमेन्टरी ड्रेन, नूह ड्रेन, उजीना हाईवरजन ड्रेन, गोधी मेन ड्रेन इत्यादि।

घग्गर उप बेसिन :

राज्य के शेष 60 प्रतिशत भाग का सिन्धु बेसिन के घग्गर उप बेसिन में जल निकास है। इसमें पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जींद, भिवानी हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और यमुनानगर

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

जिलों का हिस्सा है। इस क्षेत्र की जमीनी ढाल घग्गर नदी की ओर है। घग्गर नदी हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में शिवालिक पर्वत श्रंखला की तलहटी से प्रवेश करती है और इसका प्रवाह हरियाणा व पंजाब के दक्षिण पश्चिम दिशा से होते हुए राजस्थान में जाता है। टांगरी और मारकण्डा नदी घग्गर नदी में कैथल जिले में मिलती हैं। घग्गर नदी राजस्थान के मरूस्थल क्षेत्र में निकास करती है। घग्गर उप बेसिन की मुख्य ड्रेने हैं गन्दा नाला, एस. वाई. एल. पैरेलल ड्रेन,सरस्वती ड्रेन, अमीन ड्रेन, पूण्डरी ड्रेन नम्बर 1, पूण्डरी ड्रेन नम्बर 2, कासन ड्रेन, कालुआ-किनाना ड्रेन, हांसी ड्रेन, रोड़ी घग्गर ड्रेन, रंगोई खरीफ चैनल, रंगोई नाला, रंगोई डाईवर्शन ड्रेन। बास हिसार घग्गर ड्रेन का निर्माण किया जा चुका है जिसके बनने से हिसार फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा जिलों के क्षेत्रों को राहत पहुंची है।

ड्रेनों की सफाई :

ड्रेनों की सफाई का कार्य विभाग द्वारा प्रति वर्ष 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाता है। और सर्वप्रथम मनरेगा के माध्यम से कार्य करवाने की प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी होने या चलते पानी जैसे कारणों से कुछ ड्रेनों की सफाई में मशीनों का उपयोग किया जाता है। राज्य में ड्रेनों की सफाई की सरकार ने सदैव पाथमिकता दी है और आवश्यकता अनुसार मानसून ऋतु के आगमन से पहले सभी ड्रेनों की सफाई हेतु निर्देश जारी किए गए थे। तदानुसार ड्रेनों की सफाई का कार्य समय रहते आरम्भ किया गया और लगभग सभी ड्रेनों का कार्य पूरा कर दिया गया। कुल 810 ड्रेनों में से 510 ड्रेनों की सफाई की गई, 6 ड्रेनों की आंशिक रूप से सफाई की गई 283 ड्रेनों की सफाई की आवश्यकता नहीं थी और 2 ड्रेनें जमीनी परिस्थिति के कारण साफ नहीं की जा सकी। ड्रेनों में घास फूस/जल खुंबी का बढ़ना एक प्रक्रिया है और जून में सफाई के बावजूद इसमें बढ़ने की प्रवृति होती है विशेष कर एक-एक कर वर्षा होने के कारण।

राज्य में किसी प्रकार की व्यापक बाढ़ की कोई सूचना नहीं है। तथापि विभिन्न जिलों के कुछ गांवों में वर्षा का पानी खड़ा है जिसकी सूचना अनुबंध 'क' पर है। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न जिलों में लगभग 18747 एकड़ भूमि में पानी का भराव है और जिसकी निकासी के लिए 1280 क्यूसिक क्षमता के 349 पम्प लगाये गये हैं। अपेक्षित है कि अगले 10-15 दिनों में सारे क्षेत्रों से जल निकासी कर दी जाएगी। यह भी ध्यान में लाया जाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि वर्षा के जल भराव के कारण खरीफ की फसल में कोई नुकसान न हो और न ही रबी की फसल की बिजाई से कोई खेत वंचित रह जाये।

अनुबन्ध - क

जिले अनुसार ड्रेनों के किनारे खड़े पानी का विवरण

क्रम संख्या	जिलों के नाम	गांव के नाम
1.	फरीदाबाद	शून्य
2.	पलवल	शून्य
3.	मेवात	शून्य

4.	सोनीपत	धनाना
5.	झज्जर	शून्य
6.	रेवाड़ी	शून्य
7.	भिवानी	गुजरानी, प्रेम नगर, भिवानी, तालू, मुनढाल, सुखपुरा, कलिंगा, साई, बोंद, निमरी, मलपोश, खरक, अचीना, संनजारवास एवं बिरथी,
8.	नारनौल	शून्य
9.	रोहतक	निन्दाना, भेलंबा, खरकरा, भरम, बलियाना, कनसाला, किलोई, आसन, किलोड, मुन्नाण, चान्दी, घिड़ी, कलवारा खिड़वाली, सांगी, धदावदी, खोरम्बी, लाखन माजरा, नन्दा, भागलपुर, कहानौर, बलन्द, खरावड़ चुलियाना
10	जींद	भमबेवा, गंगोली, गरवाली खेड़ा, जयजयवन्ती, खेड़ा भक्ता, घटौली, नन्दगढ़, सिरसा खेड़ी, फतेहागढ़, लिजवाना, पोली व बिगाना
11.	करनाल	शून्य
12.	पानीपत	शून्य
13.	यमुनानगर	शून्य
14.	हिसार	बास, मौहल्ला, पुठी, बड़छप्पर, पूठमुण्डाल, खरकरा, शेखपुरा, जमावन, खेड़ीगलगन,
15.	कैथल	डिंग
16.	अम्बाला	शून्य
17.	फतेहाबाद	शून्य
18.	सिरसा	नाथुसरी, दड़वा, बनमनदोरी, भट्टू
19.	कुरुक्षेत्र	शून्य
20.	पंचकूला	शून्य
21.	गुड़गांव	शून्य

अध्यक्ष महोदय, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने बहुत ही अध्ययन के साथ अपना सवाल उठाया है और इस बारे में इनका एक पत्र भी मुझे मिला है। हरियाणा के 60 प्रतिशत हिस्से का झुकाव घग्गर नदी की तरफ है और 40 प्रतिशत हिस्से का झुकाव यमुना नदी की तरफ है। पानी की निकासी के लिए हरियाणा में 801 ड्रेनें बनाई गई हैं। माननीय सदस्य ने सफाई का प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 510 ड्रेनों की सफाई हुई है। इसके साथ ही 283 ड्रेनें ऐसी थी जिनकी सफाई की जरूरत नहीं थी और वे साफ थी। जिस प्रकार से ढुल साहब ने अपने इलाके

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

के बारे में बताया उसी प्रकार से दांगी साहब के इलाके में भी और हरियाणा के और भी कई हिस्सों में पानी भर जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय 18747 एकड़ एरिया में पानी भरा हुआ है। इस पानी की निकासी के लिए हमने 349 पम्प लगा रखे हैं तथा 1279 क्यूसिक कैपेस्टी के साथ वह पानी निकाला जा रहा है । कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ वॉटर ब्लॉक्ड हो गया है। 3346 एकड़ का इलाका ऐसा है जिसमें वॉटर लॉगिंग के कारण पानी भरा हुआ है। 1573 एकड़ इलाका ऐसा भी है जहाँ पर पहले फसल थी और इस पानी के भरने से वह फसल बर्बाद हो गई। जहाँ तक स्पेसिफिकली श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी के प्रश्न का संबंध है तो इन्होंने जिस पड़ाना-सामलो ड्रेन की बात की है, उस ड्रेन की कैपसिटी 280 क्यूसिक है और उस पर जो पम्प लगाये गये हैं वे 130 क्यूसिक क्षमता के हैं। इन्होंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा है हम निश्चित रूप से इनकी जो इच्छा है कि इन पम्पों पर 24 घंटे बिजली मिले और इन ड्रेनों की क्यूसिक क्षमता भी बढ़े, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। जो इन्होंने पानी निकासी के पम्पों पर 24 घंटे बिजली देने की बात कही है तो वह बिजली डोमैस्टिक फीडर या एग्रीकल्चर फीडर से न देकर उसके लिए स्पेशल लाइन बिछानी पड़ेगी जिससे जहाँ-जहाँ पर पानी निकासी के लिए पम्प लगे हुये हैं वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जा सके। इसी प्रकार से इन्होंने जो गतौली ड्रेन और करेला ड्रेन का जिक्र किया है तो हम उसकी भी क्यूसिक कैपेसिटी बढ़ायेंगे। करेला ड्रेन की क्षमता 50 क्यूसिक से 100 क्यूसिक करने का इनका सुझाव हम स्वीकार करते हैं। माननीय सदस्य ने निजामपुर-भैरूखेड़ा ड्रेन पर एक और पम्प लगाने की बात कही है तो उस काम को भी हम कर देंगे। इसी तरह से इन्होंने करसोला में एक ऐक्स्ट्रा ड्रेन बनाने की बात कही है, उसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे । निश्चित रूप से उस इलाके में जो पानी की समस्या है इन्होंने इस कालिंग अटैंशन मोशन के माध्यम से उस और सरकार के ध्यान दिलाया है। अभी भी उस हिसाब से पम्प लगाकर कर रहे हैं, लेकिन लॉंग टर्म के लिए आपने जो सुझाव दिये हैं उस सुझाव को स्वीकार करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से एक घोषणा और करना चाहता हूं कि इस पानी के भराव से भी जो किसानों का नुकसान है उसका भी सरकार कम्पनसेशन देगी।

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब आबकारी एवं कराधान मंत्री हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज- बाई- क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2 से 10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज- 2 से 10 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पास किया जाए ।

प्रस्ताव पारित हुआ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व के सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री नरेश शर्मा पूर्व विधायक जोकि आज हाऊस की वी.आई.पी. गैलरी में उपस्थित हैं। मैं उनका पूरे हाऊस की तरफ से स्वागत करता हूं।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(ii) दि हरियाणा म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करती हूँ तथा

यह भी प्रस्ताव करती हूँ -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) बिधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज- बाई- क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज- 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज- 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लाज-3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब-क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि सब-क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय मंत्री महोदया प्रस्ताव करेंगी कि बिल पास किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के रादौर विधान सभा क्षेत्र से पूर्व सदस्य श्री ईश्वर सिंह पलाका आज बी.आई.पी. गैलरी में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iii) दि हरियाणा लोकायुक्त (अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री, हरियाणा लोकायुक्त(संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस बिल पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल के जरिए लोकायुक्त की पेंशन में संशोधन करना चाहती है। पेंशन में संशोधन तो स्वागतयोग्य है लेकिन क्या सिर्फ पेंशन में संशोधन करने से लोकायुक्त को गरिमा प्रदान हो जाएगी। मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में जो अधिकार लोकायुक्त को हासिल हैं, वहां भी पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है वे शक्तियां और अधिकार क्या हरियाणा प्रदेश में भी लोकायुक्त को प्रदान किए जाएंगे ताकि लोकायुक्त को काम करने के लिए शक्तियां मिलें। हरियाणा में कई बार हम अखबारों में पढ़ चुके हैं कि लोकायुक्त को किसी किस्म के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्या उसके लिए कोई संशोधन करेंगे और लोकायुक्त को शक्तियां और अधिकार दिये जाएंगे ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह विधेयक पारित होने की स्थिति में है और जो संबधित विषय माननीय सदस्य ने उठाया है उसका इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज-2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय वित्त मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटिज टू मैम्बर्स) अमैंडमैंट बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ वह यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 बिल का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए

प्रस्ताव पारित हुआ।

(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाऊंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्स) अमैंडमैंट बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ वह यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार करेगा ।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज़-2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज़-1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए

प्रस्ताव पारित हुआ।

(vi) दि हरियाणा पंचायती राज अमैंडमैंट बिल, 2015

श्री अध्यक्ष: अब विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा वह यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जो हरियाणा को एक नए युग में ले जायेगा और हरियाणा की सारी की सारी पंचायतें अच्छी, शिक्षित और मोटीवेटिंग होंगी इसलिए मैं हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ- हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज़-वाई-क्लॉज़ विचार करेगा ।

क्लॉज़-2

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा इस विधेयक की क्लॉज़-2 में निम्नलिखित संशोधन दिया गया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है । इसको पढ़ा और मूव किया हुआ समझा जाए । इस संशोधन और विधेयक की क्लॉज़ पर चर्चा इकट्ठी करवाई जाएगी तथा क्लॉज़-2 को पास करने से पहले इस संशोधन को वोटिंग के लिए पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस बिल की क्लॉज-2 में निम्नलिखित अमैंडमैंट प्रस्तुत करता हूं —

कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 (i) में, उपरोक्त वर्णित में निम्नलिखित लोप किया जाए तथा जोड़ा जाए :—

(I) "(कक) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(II) "(न) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(प) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(फ) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(बब) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन से 20 दिन पूर्व ग्राम सभा के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, जिसमें गणपूर्ति 2/3 होगी कि वह मतदाताओं को प्रलोभन के लिए धन अथवा शराब अथवा मादक पदार्थ का वितरण नहीं करेगा तथा इस प्रभाव से स्वत: घोषणा प्रस्तुत करेगा। यह खण्ड (बब) के रूप में जोड़ा जाए।

मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मेरे द्वारा दी गई अमैंडमैंट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सदन के अंदर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अच्छी निष्ठा से प्रदेश की भलाई की बात करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। आज इस सदन में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बैठे हुए हैं। यह सरकार इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि

[श्री करण सिंह दलाल]

जब हम विधायक बनने से पहले अपना नॉमिनेशन फार्म भरते हैं, उस समय हमसे एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम इस देश के संविधान की सभी मर्यादाओं का पालन करेंगे तथा जब सरकार में हम मंत्री बनते हैं तथा इस सदन में विधायक बनकर आते हैं तब भी हम दोबारा शपथ लेते हैं कि हम देश के संविधान की मर्यादाओं की पालना करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली दफा मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इतनी बड़ी कमी क्यों हो रही है ? यह सदन हरियाणा की जनता के हितों का कस्टोडियन है। पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिकाएं लोकल सैल्फ गवर्नमैंट के अंतर्गत आती हैं। हमारे देश की पार्लियामैंट ने संविधान में 73वीं और 74वीं अमैंडमैंट लाकर प्रदेश की विधान सभाओं को कानून बनाने का अधिकार देकर इन संस्थाओं का कस्टोडियन बनाया था जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि इन संस्थाओं को सुविधाएं देने तथा लोकल सैल्फ गवर्नमैंट को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश की विधान सभाएं समय-समय पर अच्छे-अच्छे कदम उठाती रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, एडवोकेट जनरल साहब भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि 24 जुलाई, 2015 को हरियाणा प्रदेश की ग्राम पंचायतों की समयावधि समाप्त हो गई है तथा यदि यह सरकार इस प्रकार की अमैंडमैंट लाना ही चाहती थी तो पहले भी ला सकती थी क्योंकि पिछले 8-9 महीने से यह सरकार बनी हुई है। मैं मानता हूँ कि सदन में इस प्रकार की अमैंडमैंट लाने का सरकार को हक है। इस बारे में हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट, 1994 में साफ तौर पर जो लिखा है उसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ :—

"161. Election of Gram Pancyayat Samitis and Zila Parishad.— (1) x x x x x

Provided that—

(i) in the case of re-constitution of Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad on account of expiry of their duration of five years, such date shall not be earlier than (four months) or later than fifteen days before the expiry of duration; "

इस एक्ट का यह प्रोवीजन स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब पंचायतों की अवधि समाप्त होने लगे तो उससे कम से कम 15 दिन पहले तक चुनाव प्रोसैस पूरा हो जाना चाहिए तथा उससे 4 महीने पहले चुनाव प्रोसैस शुरू हो जाना चाहिए ताकि समय पर पंचायत चुनाव सम्पन्न हो सकें। जब हमारा बनाया हुआ कानून कह रहा है और हम देश के संविधान के मुताबिक हरियाणा विधान सभा में कानून बनाते हैं तो फिर इसकी पालना क्यों नहीं की गई। सरकार11 सितम्बर को ऑर्डिनैंस लेकर आई। अध्यक्ष महोदय, यह साधारण सी बात थी कि अगर इनके मन में इस पंचायती राज ऐक्ट में कोई अमैंडमैंट लाने की बात थी तो ये ला सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि राजस्थान में भी ऐसा हुआ है । अगर इनकी नीयत चुनाव करवाने की थी और संविधान की मर्यादाओं की पालना करने की थी और ये अपनी लाई हुई अमैंडमैंट को जारी करना चाहते थे तो ये कर सकते थे । कानून इनके बीच में नहीं आ सकता था क्योंकि उसकी मिसाल हमारे सामने राजस्थान है। जिस दिन इन्होंने ऑर्डिनैंस जारी किया उसी दिन ये इलैक्शन शिडयूल भी जारी कर देते तो देश की कोई अदालत उस इलैक्शन शिडयूल को नहीं रोक सकती थी जैसा राजस्थान में हुआ। आज पंचायतो की अवधि पूरी हो चुकी है और गांवों की हालत

बहुत बिगड़ चुकी है। बेचारे कैंडीडेट्स को अपनी बर्बादी के दिन सामने नजर आ रहे हैं। आज वे गांव में तमाशा बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की आज डेट आएगी, कल डेट आएगी ।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, इन कैंडीडेट्स के लिए दलाल साहब बेचारा शब्द यूज कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं हैं क्योंकि ये कैंडीडेट्स भी हमारी तरह इस देश के नागरिक हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मनीष ग्रोवर जी भी मेरी बात को ही दोहरा रहे हैं। वे कैंडीडेट्स बेचारे नहीं थे लेकिन उनको बेचारा बना दिया गया है। आज पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं । यह बहुत बड़ा उलाहना हरियाणा प्रदेश के लिए, इस विधान सभा के लिए और हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए है । जब ऐक्ट साफ कहता है कि चुनाव में देरी नहीं हो सकती तो इस तरह की बात इन्होंने क्यों की है। हरियाणा के लोग आज ऐसा महसूस करते हैं कि यह सरकार शायद खुद नहीं चाहती कि हरियाणा में पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज और लोकल बॉडीज के चुनाव हों, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है । राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ओर्डिनैंस जारी किया और ओर्डिनैंस के साथ-साथ ही इलैक्शन का शिड्यूल जारी कर दिया था। लोग अदालतों में चले गए तो अदालतों ने कहा कि इलैक्शन का शिड्यूल जारी हो गया है इसलिए हम इन इलैक्शंज को नहीं रोक सकते। अध्यक्ष महोदय, यह केस राजस्थान में दुलारी देवी बर्सिज स्टेट ऑफ राजस्थान का है जिसकी जजमैंट के पेज 26 पर ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रौवीजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि वे इलैक्शन नहीं रोक सके। कोर्ट ने उस केस का फैसला भी कर दिया क्योंकि ओर्डिनैंस होने के बाद और चुनाव होने के बाद बिल आ चुका है और बिल आने के बाद इन्फ्रैक्चुअस हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं वह जजमैंट पढ़कर सुनाता हूं, उन्होंने कहा है -

> "The poor, underprivileged and downtrodden,cannot be denied participation in a democracy merely on the ground that she does not have educational qualification for such inclusion."

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हाई कोर्ट की डी.बी. का फैसला है जो इन्फ्रैक्चुअस हुआ तो हुआ लेकिन उन्होंने उसको माना और जो उनकी लगाई हुई शर्त थी, वे भी लागू हो गई। ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन की क्लॉज जो उन्होंने लगाई है, उसको डी.बी. ने सही नहीं माना है। ए.जी. साहब, आप इस बात को नोट कर लें। इसके बाद इन्होंने चार्ज शीट के बारे में कहा है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, श्री करण सिंह दलाल हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। वे राजस्थान की माननीय न्यायपीठ के जिस फैसले के बारे में यहां पर बता रहे हैं that was infructuous or when an election process is started, no Court can withheld it and no Court can stop it. स्पीकर सर, हमने अपने ऑर्डीनैंस को वापिस ले लिया । अब सदन के सामने बाकायदा बिल लाया गया है, इसलिए अब ये उन उदाहरणों को देकर सदन का समय ही बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस बारे में ऑर्डीनैंस लाया जाना अच्छा था या विधेयक पास करवाना ज्यादा अच्छी बात है? अगर विधेयक पास करवाया जाता है तो वह पूरे हाऊस की सहमति से विधेयक को पास करवाया जाता है और जो

[श्री अध्यक्ष]

ऑर्डीनैंस होता है अगर उसको पास किया जाता है तो वह मंत्री मण्डल की सहमति से होता है। यह तो सरकार की दरियादिली है कि वह इस काम को आप सब से पूछ कर ही कर रही है। यह तो और भी अच्छी बात है कि सरकार इस काम को सारे हाऊस से पूछकर कर रही है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आज सबसे पहले मैंने शुरूआत में यही कहा था कि ऑर्डीनैंस को वापिस लेने की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपको तो इस बात के लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए जो उसने ऑर्डीनैंस को वापिस लेकर विधेयक पास करवाने के बारे में विचार किया।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के इलैक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। जो ऑर्डीनैंस और बिल लाये जा रहे हैं। ये क्यों लाये जा रहे हैं ? मैं इसके लिए सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। मैं यह मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि श्री करण सिंह दलाल जी बहुत सीनियर और बहुत काबिल साथी हैं लेकिन जितनी भी जानकारियां वे सदन के समक्ष रख रहे हैं मुझे लगता है कि सरकार ने इन तमाम जानकारियों को संज्ञान में लेकर इस विधेयक को हाऊस में पास करवाने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी की सारी जानकारियां सरकार के संज्ञान में हैं। अगर इस विधेयक में कोई संशोधन करवाने का प्रस्ताव करण सिंह दलाल जी की तरफ से हो या फिर इस प्रकार की कोई अन्य जानकारी उनके पास हो, उसके लिए सदन के समय का उपयोग किया जाता है तो अच्छी बात है अन्यथा ऐसी जानकारी, जिसके बारे में सभी को मालूम हो, उसके बारे में यहां पर बात करना ठीक नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार से सदन के समय का दुरूपयोग है क्योंकि किसी भी माननीय सदस्य के ऐसा करने से इस समय सदन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। स्पीकर सर, करण सिंह दलाल जी की काबिलियत को सारे का सारा सदन स्वीकार करता है और इनकी सीनियोरिटी का भी हम सम्मान करते हैं लेकिन यह समय सदन के समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़कर इस विधेयक को पारित करने का है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जो सरकार ने शर्त लगाई है कि-

In section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994-

I. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) has not been convicted, but charges have been framed in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years;" or"

मैंने इसका विरोध किया है और मैंने अपने अमैंडमैंट नोटिस में यह कहा है कि इसको विद्ड्रा करना चाहिए। सर, यह बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। मैं इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमैंट का फिर से जिक्र करूंगा क्योंकि इस मामले में जो सबसे बड़ी अगर कोई संस्था है तो वह माननीय सुप्रीम कोर्ट है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप कृपया करके अपनी अमैंडमैंट पढ़ दें।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं अपनी अमैंडमैंट के बारे में ही बता रहा हूं । जो मैंने यह कहा है कि इसको हटाया जाये मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, दलाल साहब यह कह चुके हैं कि यह हम कर सकते हैं इसलिए अब इनकी बात पूरी हो जाती है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस बारे में सुझाव भी दूंगा और सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसके लिए हम सरकार की तारीफ भी करेंगे। सर, इसके बारे में मैं ही नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि:-

> Disqualification after framing of charges will pose a grave danger to democratic politics of the country.
>
> "We always say that unless a person is found guilty after a trial, we will presume him to be innocent. You are arguing that we should presume him to be guilty even before completion of trial and disqualify him from contesting elections. Are you aware of the percentage of cases where an accused gets acquitted even after the Courts decide to frame charges?"

स्पीकर सर, इस बारे में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह इससे भी बढ़िया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट्स भी चार्जिज़ फ्रेम करने में बड़ी लिबरल होती हैं। जब चार्जिज़ फ्रेम होते हैं तो न दोषी व्यक्ति होता है और न ही उसका वकील वहां पर होता है न ही उनकी गवाही होती है। इस प्रकार से चार्जिज़ फ्रेम कर दिये जाते हैं। स्पीकर सर, आज यहां से इसके साथ एक रेजोल्यूशन यह भी पास होना चाहिए कि एजूकेशनल क्वालिफिकेशन की यह जो शर्त है वह इस देश के सांसदों और विधायकों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। अगर यहां से इस आशय का प्रस्ताव पास किया जाता है तो हम उसके लिए इस सरकार की तारीफ करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये पढ़ाई-लिखाई की शर्तें लगाई ही जानी है तो फिर ये सांसदों और विधायकों के ऊपर भी लागू होनी ही चाहिएं। ये शर्तें केवल सरपंच और पंचों के ऊपर ही क्यों लागू हों इस देश के सांसदों और विधायकों के ऊपर क्यों न लागू हों। इस बारे में भी बताया जाये। इसके साथ-साथ एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हीनियस क्राईम में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर कोई इलैक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वह सांसदों और विधायकों पर भी लागू होना चाहिए था। इसलिए मैं अपने इस संशोधन में एक और वर्बल अमैंडमैंट के लिए निवेदन करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार उस पर गौर करेगी। अगर सरकार इस क्लॉज को लगाना ही चाहती है तो इसके साथ एक राइडर लगा दे कि-

> "If he is convicted later on, then he/she shall be ceased to be a Member or the Sarpanch of the Gram Panchyat."

इसमें कोई बात नहीं है वह इलैक्शन लड़े और अगर उसकी सजा हो तो He/she shall be ceased to be a Member or the Sarpanch or whatsoever he/she is. अध्यक्ष महोदय, अगर एक विधायक चार्जशीट होते हुये चुनाव लड़ कर विधान सभा में आ सकता है तो एक

[श्री करण सिंह दलाल]

सरपंच चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता ? मेरा एक और निवेदन यह है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिन पंचायतों में सरपंच का चुनाव निर्विरोध होगा वहाँ पर 11 लाख रूपये का ईनाम दिया जायेगा। इसमें अगर सारा गांव मिल कर फैसला करता है कि फलां आदमी को सरपंच बनायेंगे और वह मैट्रिकुलेट नहीं है तो इसका मतलब उस गांव का इलैक्शन निर्विरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार से तो जो सरकार की धारणा है वह ही कामयाब नहीं हो सकती। जहाँ तक चार्जिज की बात है तो मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि बाबा रामदेव जी के ऊपर 81 केसिज चल रहे हैं और वे हरियाणा के ब्रांड ऐम्बेसडर बन सकते हैं लेकिन जिस आदमी पर चार्जशीट है वह एक गांव का पंच नहीं बन सकता ? मैं यह बात राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ। मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जो अखबार में लिखा हुआ है वही पढ़ कर सुना रहा हूँ। (विघ्न)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और पूरे विश्व में वे अपनी इस भारतीयता के लिए, प्राणायाम के लिए और योग के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरा विश्व आज उनका अनुकरणअ कर रहा है और उनको किसी केस में चार्जशीट नहीं किया गया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। यह 'दि हिन्दू' अखबार में लिखा हुआ है और मैं आपको उसकी कॉपी दे दूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अखबार के कहने से कोई आदमी चार्जशीट नहीं हो सकता और न ही उसके बाद उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दूसरी शर्त लगाई है कि-

> " II. After clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:-
>
> "(t) fails to pay any arrears of any kind due to him to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Cooperative Bank and District Primary Cooperative Agriculture Rural Development Bank; or"

सर, इसमें मेरा एक सुझाव है। पहली बात तो यह है कि यह शर्त होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आज के दिन भी हमारे ही अपने हरियाणा के केन्द्रीय मंत्री हरियाणा विधान सभा का कर्ज लिए बैठे हैं जिसकी अदायगी नहीं होती। हम विधायक और मंत्री भी पता नहीं कितने-कितने बिलों की अदायगी नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सरकार को इसको ओमिट कर देना चाहिए और अगर सरकार इसको लागू करना चाहती है तो इसमें भी मेरा थर्बल अमैंडमैंट है कि इसमें भी राइडर लगा दिया जाये और उसमें यह कह दिया जाये कि-

> "of course, he/she shall be ceased able to contest the election but if in a given time i.e. one month or two month if he/she does not pay his/her arrears he/she shall be ceased to be a Member or the Sarpanch of the Gram Panchayat."

इसमें क्या बुराई है? इलेक्शन भी हो जायेगा और आपका पैसा भी आ जायेगा। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा अगला ऐतराज क्लॉज यू पर है जो कहती है कि-

(u) Fails to pay arrears of electricity bills; or

अध्यक्ष महोदय, आप भी देखते होंगे कि रोज किसी न किसी भाई के कम्प्यूटराईज्ड बिल आते हैं। कई भाईयों की बिजली की 50 यूनिट कंज्यूम होती हैं और बिल एक लाख रूपये का आ जाता है। इस प्रकार से अगर कम्प्यूटर ने किसी का बिजली का गलत बिल दे दिया तो वह बेचारा तो इलैक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए मैं फिर वर्बल अमैंडमैंट प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपको यह क्लॉज रखनी है और बिजली के बिल ही रियलाइज करने हैं तो आप पिछले छ:महीने के बिलों का प्रावधान रखिए, आप केवल अंतिम बिल का प्रावधान मत रखिए। आप यही देखना चाहते हैं कि यह हैबिच्युअल ऑफैंडर तो नहीं है? इसके लिए या तो इसमें 6 महीने के बिल भरने का प्रावधान कीजिए या फिर इसमें भी वही राइडर लगा दीजिए कि-

"If he/she will not deposit the electricity bill, he/she shall be ceased to be a Member or the Sarpanch of the Gram Panchyat."

इससे आपका काम भी हो जायेगा और हरियाणा के लोगों का जो हक है उस पर भी डाका नहीं डलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विधेयक की क्लॉज (w) के बारे में कहना चाहता हूँ। यह क्लॉज कहता है -

(w) fails to submit self-declaration to the effect that he has a functional toilet at his place of residence."

विधेयक का यह क्लॉज अच्छा है। मगर मैं इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट की वर्ष 1993 की जजमैंट कोट करना चाहता हूँ -

"(j) if he does not have a sanitary latrine for the use of the members of his family;"

फिर उसमें आगे जो proviso में दिया है, मैं उसको भी पढ़ कर सुनाता हूँ -

"Provided that nothing in this clause shall apply to a person, if at the time of filing his nomination he gives an undertaking to construct within one year from the date of commencement of his term of office as a member, a sanitary latrine for the use of members of his family and also complies with such undertaking after becoming a member."

आप अगर इसकी कॉपी लेना चाहें तो मैं आपको इसकी कॉपी दे देता हूं विधेयक में जो शौचालय का क्लॉज दिया है वह अच्छा है, उसको मैंने अपोज भी नहीं किया लेकिन उसमें ये शर्त लगाना कि उसमें पहले ऐफिडेविट दिया जाए कि उसके घर में शौचालय है या नहीं है वह गलत है। इसलिए मैं इस विधेयक में एक और verbal amendment लाना चाहता हूँ। आप उस में यह राईडर लगा दीजिए कि अगर given time में अर्थात् एक महीना या दो महीने में यदि वह शौचालय नहीं बनाएगा तो " he/she shall be ceased to be a Member or a Sarpanch or

[श्री करण सिंह दलाल]

whatsoever he/she is." इसमें आपका परपज भी हल हो जाएगा और इनकी जो दिक्कत है, वह भी खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कह ही चुका हूं कि अगर एजूकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करनी है तो पहले विधान सभाओं व लोक सभा के सदस्यों की कीजिए। सर, यह जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा काबिल होते हैं। आज मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी विधान सभा में भी, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, शायद कम पढ़े लिखे हैं। आज लोक सभा में न जाने कितने सांसद अनपढ़ हैं, क्या उनकी काबिलियत खत्म हो गई ? इसलिए हमें यह शोभा नहीं देता। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।

इसलिए मेरा आखिरी अमैंडमैंट है जो मैंने अपनी तरफ से दिया है अगर यह सरकार वाकई में गांवों में सुधार लाना चाहती है,तो अध्यक्ष महोदय, असली सुधार बिजली के बिल वसूल करने से आएगा। ये इस तरह की क्वालिफिकेशन्ज और चार्जशीट की शर्त लगाने से हमारे गांवों में सुधार नहीं आएगा। अगर सुधार आएगा तो यह अमेंडमैंट सरकार कर सकती है। हम इस मामले में मुख्यमंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं करते। अगर करना ही है तो यह करें जो अमेंडमैंट मैंने दिया है कि-

> "Every candidate shall take an oath 20 days before election, before the Gram Sabha of which 2/3 shall be quorum that he/she shall not distribute money or liquor or intoxicant to induce the voters and submit self-delcaration to this effect. This clause may be added as ww."

पहले हर कैन्डीडेट चुनाव से 20 दिन पहले सारे गांव को इक्ट्ठा करें और गांव का टू थर्ड कोरम पूरा किया जाए और वह कैन्डीडेट वहां यह शपथ ले कि न तो मैं शराब बटवाऊंगा, न मैं पैसा बटवाऊंगा और न ही नशे की किसी तरह की कोई चीज बटवाऊंगा। आप इस तरह का हलफनामा उन कैंडीडेट्स से लीजिए, हरियाणा में सुधार हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रोवर साहब ने कह तो दिया कि बेचारा शब्द क्यों कह दिया, बेचारा तो आप लोगों ने किसानों को बना दिया है। उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। रोजाना शराब बांटी जा रही है, कोई रोजाना खाना खिला रहा है, कोई कैम्पा कोला पिला रहा है, कोई पूरे गांव में बेवर बंटवा रहा है। आज सारी पंचायत इंस्टीच्यूशन्ज का तमाशा बना हुआ है। अगर मेरी यह बात झूठ हो तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, वह सारे गांवों का सर्वे कराकर रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। आज चुनाव न होने से गांवों की बहुत बड़ी बर्बादी हो रही है। गांवों की सफाई, गांवों का मैनेजमैंट पिछले इतने दिनों से ठिकाने लगा हुआ है, इसलिए अगर सरकार फिर भी मेरी इन बातों से सहमत न होकर के अपनी जिद पर इन बातों को लागू करना चाहती है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सुझाव है कि अबकी दफा इसे लागू न करें। अब तो ये इलैक्शन शिड्यूल जारी करें। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लोग आज सरपंच के पदों पर, जिलापरिषद और बाकी पदों पर पैसा बहा रहे हैं जिससे किसान की बर्बादी हो रही है, उनको कोई निश्चित तारीख बताई जाए और यह भी बता दिया जाए कि हम अगले चुनाव में इन शर्तों को लगाएंगे ताकि वे भी तैयारी कर लें। वरना तो इन शब्दों के पीछे राइडर लगाएं, जिससे आपकी बात भी रह जाए और जो लोग हैं उनके हक-हकूक हैं वह भी उनसे न छिनें। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से हरियाणा में पूरे देश में, जो हमारा नाम है, वह भी

अच्छे तरीके से जाएगा। सर, मेरा एक निवेदन और है कि पिछली डिस्क्वालिफिकेशन्ज में एक (k) क्लॉज है-

"(k) has voluntarily acquired the citizenship of a Foreign State or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a Foreign State; or"

सर, यह मेरा वर्बल अमेंडमैंट है कि आज हमारे देश में डयूअल सिटिजनशिप पास हो चुकी है मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों अमेरिका गये मैंने इनके वहां की विजिट की अखबार की कटिंग देखी। इन्होंने वहां के एन.आर.आईज. को कहा कि आप हमारे हरियाणा के गांवों को एडॉप्ट करें। आप हमारे हरियाणा के गांवों में आइए। मुख्यमंत्री जी, आपने उनको कहा था न ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां कहा था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : फिर आप उनको क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि आप इलैक्शन नहीं लड़ सकते। जब देश के संविधान में इसबारे में संशोधन हो गया है और डयूअल सिटीजनशिप ऐक्ट इस देश में पास हो चुका है तो हरियाणा में इसे लागू करने में क्या दिक्कत है ? क्या यह हमारे संविधान के खिलाफ नहीं होगा ? मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर आप इस बारे में गौर करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पंचायती राज विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से पता चला था कि सरकार ने एक फैसला लिया है। हरियाणा प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है उसमें शैक्षिक योग्यता फिक्स कर दी गई है। महिलाओं के लिए 8वीं और पुरुषों के लिए 10वीं पास की योग्यता तय की गई है। उसके आगे कंडीशन भी लगा दी, मेरे से पहले कर्ण सिंह दलाल जी ने सारी बातों का जिक्र किया कि किस तरह से कंडीशन लगाई, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। जो बच्चा 18 साल का हो जाता है उसको संविधान से वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जो एम.एल.ए. या एम.पी. का चुनाव लड़ना चाहता है उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वह विधान सभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि केवल जिसको वोट का अधिकार होगा उसकी योग्यता क्या होगी ? योग्यता का कहीं कोई सवाल नहीं है। एक वक्त था जब वोट का अधिकार केवल उन लोगों के पास था जो गांव के बड़े जमींदार होते थे, जो रेवेन्यू देते थे। (विघ्न) उस वक्त चंद लोग अपनी तरफ से नुमांइदे चुनकर भेजते थे। देश की आजादी के बाद सबको यह अधिकार दिया गया कि हर व्यक्ति जो 21 वर्ष का होगा, वह वोट डालकर एम.एल.ए.,एम.पी., जिला परिषद् के मैंबर सबके चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। इस प्रकार उस वक्त भी ऐसी शर्त की जरूरत नहीं थी। एक दफा इस किस्म की शर्त नगर परिषद् और नगर पालिकाओं के चुनाव में रखी गई थी जिसके 2 बच्चों से अधिक होंगे, उसमें बहुत से लोग कोर्टों में गए। यह बात हरियाणा में भी लागू की गई थी लेकिन उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लागू करना पड़ा। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : दो बच्चों वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक माना है। सरकार स्वयं अपनी इस शर्त को वापस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को टर्न डाउन नहीं किया है।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : हमारे यहां संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि जो 8वीं या 10वीं पास होगा, वही चुनाव लड़ सकेगा। सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्त है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसमें भी ये शर्त नहीं है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। इसी तरह देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए भी कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। उसमें यह है कि एम.एल.ए.,एम.पी. बनकर आते हैं, तो हम संविधान के मुताबिक कार्य करेंगे। यह बात ठीक है कि पढ़े लिखे लोगों की साझेदारी होनी चाहिए, इससे कहीं न कहीं कोई लाभ मिल सकेगा। यह भी आप मान कर चलें कि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ उन लोगों का होना भी जरूरी है जिनको अनुभव है। गाँव का जो सरपंच बनता है, उस सरपंच का काम गाँव के अन्दर स्कूल के कमरों को बनवाना है, गाँव की गलियों को बनवाना है, कहीं उसका काम गाँव के अन्दर अस्पताल या डिसपैंसरी बनवाना है, पशु अस्पताल बनवाना है। इसके अलावा गाँव के अन्दर जो छोटे-मोटे काम होते हैं उनके लिए हम गाँव का सरपंच चुनकर भेजते हैं। उन कामों को करने के लिए उस सरपंच पर एक बहुत बड़ी निगरानी रखी हुई है। उसके ऊपर पंचायत सैक्रेटरी होता है, जे.ई. होता है, एस.डी.ओ. होता है, यहां तक की बी.डी.पी.ओ. होता है और डी.डी.पी.ओ. होता है और ए.डी.सी. होता है। इन कामों में कहीं पर अगर सरपंच से कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है तो उस बारे में उसके खिलाफ तुरन्त शिकायत हो जाती है और वह सरपंच सैस्पैंड हो जाता है। एक तरफ तो जो आदमी गाँव का सरपंच बनता है उसको इन सब बातों से गुजरकर निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ, विधान सभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं चाहे उनकी अपनी योग्यता कम हो लेकिन वे बारी बारी से विधान सभा और लोकसभा में चुनकर आते हैं तो आप यह मानकर चलें कि लोगों ने उन्हें कहीं न कहीं इस योग्य समझा है कि वे विधान सभा और लोकसभा में जाकर के अपने इलाके की ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की बात करेंगे। इसलिए मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अफसर और स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर और यू.पी.एस.सी. के मैम्बर हैं उनके लिए अगर संविधान में कोई योग्यता नहीं लिखी हुई है तो फिर सरपंचों और पंचों के मामले में भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश की जो हालत है वह आपके सामने है। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि आज भी ग्रामीण अंचल के अन्दर रहने वाले लोग हैं उनमें 76 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आज भी दसवीं पास नहीं है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि ये सरकारी आंकड़े हैं कि ग्रामीण अंचल में आज भी 76 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो दसवीं पास भी नहीं हैं। (विघ्न) हो सकता है कि मुझे किसी ने आंकड़े दिए हों लेकिन सरकार के पास तो सही आंकड़े होंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से पूछना चाहता हूं कि 76 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं या जो गांवों में बसते हैं उनका 76 प्रतिशत दसवीं पास नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि गांवों में 76 प्रतिशत लोग आज भी ऐसे हैं जो दसवीं पास नहीं है। हो सकता है कि मुझे किसी ने यह गलत आंकड़े दे दिये हों लेकिन सरकार के पास तो सही आंकड़े होंगे, सरकार उसके बारे में सदन को बता दे। इसके साथ साथ एक और देखने वाली बात है। आज सुबह मैं और मंत्री जी इकट्ठे सदन में आ रहे थे तब मैंने उनसे कहा था कि आज मेवात जिले की ऐसी हालत हो गई है कि मेवात के अन्दर

आज महिला पंच भी आपको पाचवीं पास नहीं मिलेगी पढ़ा-लिखा सरपंच तो बहुत दूर की बात है। सरपंच के चुनाव को लेकर आज मेवात में ऐसी मारो-मार है कि वहां पर आज नाबालिग लड़कों की शादी करके आठवीं या दसवीं पास लड़कियां दूसरे जिलों से ला रहे हैं ताकि वे परिवार जिन्होंने चुनाव लड़ना था वे अपने परिवार के किसी सदस्य को सरपंच का चुनाव लड़वा सकें। यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं बल्कि राव नरवीर सिंह, मंत्री जी, मुझे बता रहे थे कि इस तरह की वहां पर सैकड़ों शादियां होती हैं। रोजाना सैकड़ों नाबालिग लड़कों की शादी सिर्फ और सिर्फ सरपंच के चुनाव को लेकर वहां पर हो रही हैं। अगर आपने इन सब चीजों को लागू करना है 19:00 बजे तो इसके लिए प्रदेश के लोगों को 5 वर्ष का समय दे दे ताकि प्रदेश के लोग शिक्षित हो सकें। आज सरकार कह रही है कि निर्विरोध व सर्वसम्मति से चुनी गई ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आप यह बात तो मानते हैं कि चुनाव आयोग की कंडीशन के मुताबिक, वोटिंग मशीन पर "नोटा" शब्द लिखा हुआ है। इसलिए जहाँ पर यह "नोटा" शब्द आ जाएगा वहाँ पर निर्विरोध ग्राम पंचायत नहीं बन सकेगी, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आ जाएगी। अत: यह जरूरी है कि कम से कम 5 वर्ष का समय दिया जाए ताकि लोग इसके लिए अपने आपको मैंटली तैयार कर लें। मेरे बोलने से पहले श्री करण सिंह दलाल जी बता रहे थे कि किस तरह से अब से पहले लोगों ने शराब बाँटकर, खाना आदि खिलाकर या लोगों को कोई और लालच देकर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। आज हमें उन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए पंचायती राज ऐक्ट में कोई संशोधन करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अनैतिक कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर हमेशा के लिए चुनाव लड़ने की बंदिश होनी चाहिए ताकि ये अनैतिक कार्य बंद हो सकें क्योंकि इस प्रकार से पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी हो रही है। मैं फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके लिए कम से कम 5 वर्ष का समय और दिया जाए। धन्यवाद।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आज जो यह हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का यह एक दूरगामी सोच का ही नतीजा है। इस विधेयक पर माननीय सदस्यों ने सदन में बहुत सी बातें रखी हैं। मैं यह मानता हूँ कि हमारे बुजुर्ग थे बेशक कम पढ़े-लिखे थे तथा बहुत से बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जो कभी स्कूल में ही नहीं गए थे लेकिन उनकी समझदारी इतनी अधिक थी व उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि शायद भविष्य में हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस सदन में इस विधेयक को लाना समय की माँग थी। इस सदन में एक बात यह भी आई कि यदि शिक्षा को अनिवार्य करना ही है तो यह अनिवार्यता विधायकों व सांसदों सभी के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में यह भी हो जाए, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह एक बहुत अच्छी बात है लेकिन शुरूआत तो कहीं न कहीं से होनी चाहिए। इस विषय में दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि हम जन-प्रतिनिधियों के कार्यकलापों की बात करें तो केवल सरपंच ही एक ऐसा जन-प्रतिनिधि होता है, जिसके सरकारी पैसा इस्तेमाल करने के लिए चैक पर हस्ताक्षर होते हैं। ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों रूपए में है। उदाहरणतया, मेरे हल्के में एक ऊंचा-समाना गाँव है जिसकी एक साल की आमदनी 5 करोड़ रूपए है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पैसे की गड़बड़ी के केस भी हमारे सामने आते हैं। इस सदन में एक बात यह भी आई कि ग्राम पंचायत

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

संस्था का एक बहुत बड़ा सैट-अप होता है जिसमें सैक्रेटरी भी होता है तथा इसमें अन्य दूसरे अधिकारी व कर्मचारी भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके बावजूद भी पैसे के मामलों में गड़बड़ियाँ होती है तथा यदि पैसे में गड़बड़ियों के केसिज़ में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बाद में उसका जवाब आता है कि मैं तो अनपढ़ था, मेरा तो अंगूठा लगवा लिया गया था। अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिज़ भी नोटिस में आए हैं कि गड़बड़ियाँ करने और लाखों रूपए हड़पने के बाद रिकॉर्ड को जला दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि आखिरकार कहीं तो इन बीजों का अंत करना पड़ेगा। हमारे माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी बातें रखी है जिनमें सरपंच का चुनाव लड़ने वालों को 'बेचारे' की संज्ञा दी गई। मैं इस विषय में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अब तक लाखों रूपए खर्च कर चुका है, उसने किसी अच्छे काम के लिए पैसे खर्च नहीं किए हैं। यदि उस व्यक्ति ने शराब बाँटी है या कोई अनैतिक कार्य किया है, कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का अनैतिक कार्य कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसकी निंदा होनी चाहिए तथा वह व्यक्ति सचमुच में बेचारा ही है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के अंदर व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है तथा मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

डॉ. अभय सिंह यादव (नाँगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हमें आजादी मिले 60 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है और हमारे प्रजातंत्र ने लंबी दूरी तय की है। प्रजातंत्र की मैच्योर अवस्था इस वक्त आई है। मैं समझता हूँ कि आज का जो अमैंडमैंट बिल है यह प्रजातंत्र में मैच्योरिटी का परिणाम है और सरकार की सही समय पर सही सोच का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान अपने आप में एक लॉ है जिसको सुप्रीम लॉ ऑफ दि लैंड कहते हैं या जिसको पैरामाउंट लॉ भी कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान की जब रचना की, उस समय उनके दिमाग में कुछ परिकल्पनाएं थी। यह ठीक है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर था वह इस लैवल पर नहीं था जहां आज हम खड़े हैं। अभी करण सिंह दलाल जी और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एम.एल.एज.और एम.पीज. के लिए कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई। यह ठीक है कि जब संविधान बना उस समय देश का स्तर ऐसा नहीं था कि यह सोचा जाता कि एम.एल.एज. और एम.पीज. की क्वालिफिकेशन कितनी रखी जाए कि उन क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफी आदमी एम.एल.एज. और एम.पीज. के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। जहां तक पंचायती राज सिस्टम की बात है यह एक ऐसा सिस्टम था जिसकी दो जगह परिकल्पना की गई है। संविधान में जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं या जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में एक विशेष निर्देश दिया गया है। उस निर्देश के तहत बाद में कांग्रेस सरकार उसमें अमैंडमैंट लेकर आई थी जिसमें पंचायतों को पावर्ज देने की बात हुई थी। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर संविधान के प्रिएम्बल से शुरू करें तो प्रिएम्बल में जब संविधान लिबर्टी, इक्वैलिटी और फ्रैटरनिटी की बात करता है तो वहीं एक और शब्द भी आता है डिग्निटी ऑफ इंडीविज्युल एण्ड इंटीग्रेटी ऑफ नेशन। जब इंडीविज्युल डिग्निटी की बात करते हैं तो इंडीविज्युल

डिग्निटी में एक बहुत बड़ा ग्रेडियंट शिक्षा होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जब शिक्षा के अधिकार का कानून बना उस समय आपको ध्यान होगा कि संविधान में जो संशोधन किया गया वह आर्टिकल-21 में किया गया था। भाई करण सिंह दलाल जी लॉ ग्रेजुएट हैं और इंटैलीजैंट हैं इसलिए इनको पता होगा कि धारा-21 राइट टू लाइफ से रिलेट करती है। जब शिक्षा को राइट टू लाइफ के साथ कम्पैरीजन किया गया तो मुझे शिक्षा के ज्यादा महत्व के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज की बात है तो आर्टिकल-40 जो पंचायतों का जिक्र करता है, उसमें ओर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में क्लीयरली लिखा हुआ है कि -

> "The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government."

संविधान खुद कहता है कि पंचायतों को इतनी पावर्स दो और पंचायतों को इस अवस्था में लेकर आओ कि वे सैल्फ गवर्नैंस के काबिल हो जाएं। मैं समझता हूं कि शिक्षित पंचायत का सदस्य अनपढ़ आदमी की बजाय सैल्फ गवर्नैंस की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद हम आर्टिकल-51 की बात करते हैं जिसमें फंडामैंटल ड्यूटिज की बात है जिसमें बाद में अमैंडमैंट किया गया था। कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल 51-जे कहता है कि-

> "to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement."

जहां तक संविधान की बात करते हैं तो संविधान हर जगह एक ऐसे समाज की और ऐसे व्यक्तियों की परिकल्पना करता है जिसमें शिक्षित आदमी को जगह मिले। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि अशिक्षित व्यक्ति किसी भी चीज के योग्य नहीं होता या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। स्पीकर सर, सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम है यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां से प्रजातंत्र की शिक्षा मिलती है और जहां से प्रजातंत्र में प्रवेश करने का मौका मिलता है। अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को देखेंगे अर्थात् अगर हम उनकी डे-टू-डे वर्किंग को देखेंगे तो जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, वे भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिन गांवों की पंचायतें अनपढ़ हैं अर्थात् जहां के सरपंच पढ़े-लिखे नहीं हैं वहां आज के दिन पंचायत के सारे के सारे कार्य ग्राम सचिव द्वारा चलाये जा रहे हैं। सरपंच को यह पता ही नहीं होता कि ग्राम सचिव उससे सही और गलत किस-किस बिल और किस-किस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम सचिव जो भी प्रस्ताव लिखकर लाता है सरपंच उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। सरकार के नोटिस में भी ऐसे बहुत से केसिज़ आये होंगे जिनमें सरपंच को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कौन-कौन से चार्जिज़ हैं और कौन-कौन से केसिज़ में वह इन्वॉल्वड है। जब वह उनकी इंक्वायरीज़ में फंस जाता है और बुरी तरह से उलझ जाता है उस समय वह बेचारा रोता है और कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कब ग्राम सचिव ने मुझसे ये दस्तखत करवा लिये। आज हम जिस अमैंडमैंट बिल पर यहां पर बात कर रहे हैं उसमें हम इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा प्रजातंत्र आज एक मैच्योर स्टेज़ पर आ गया है और जब कोई पेड़ काफी बड़ा हो जाता

[डॉ. अभय सिंह यादव]

है उस समय उसकी कुछ टहनियां अनावश्यक हो जाती हैं, तब उसके मालिक को अगर उसको कोई आकार देना होता है तो वह उस पेड़ की अनावश्यक टहनियों की कटिंग करता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि हम अपने पंचायती राज़ सिस्टम में कुछ ज़रूरी सुधार करें। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि किसी भी काम की शुरूआत में कुछ न कुछ समस्यायें ज़रूर पेश आती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछेक जगहों पर कुछेक गांवों में व्यावहारिक दिक्कतें भी आयें लेकिन हरेक समस्या का समाधान होता है। जब हम शुरूआत करेंगे तो समस्याओं के समाधान भी स्वत: ही निकल आयेंगे। अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तीन चीज़ें होती है प्रतिभा, पद और प्रतिष्ठा। मेरा अपना मानना है कि जब पद के मुताबिक प्रतिभा होती है तो उस पद की प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए मैं इस संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर पंचायती राज़ संस्थाओं के पदों को आप प्रतिभाओं के साथ जोड़ेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और भविष्य में देश को उससे बहुत कुछ हासिल होगा। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह जी ने कहा कि जो अनपढ़ सरपंच हैं उनसे ग्राम सचिव किसी भी कागज़ पर दस्तखत करवा लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को पढ़ाई के साथ 'कढ़ा' हुआ भी होना चाहिए। दसौंदा सिंह जी मंत्री थे, वे अनपढ़ थे उन्हें पंजाबी के सिवाय कोई भाषा नहीं आती थी। जब वे मंत्री बने तो उनको यह कहा गया कि ये सैक्रेटरी स्तर के अधिकारीगण हैं ये बड़े होशियार होते हैं इसलिए यह ध्यान रखना कि कहीं ये आपसे आपके इस्तीफे पर ही दस्तखत न करवा लें। इस पर उन्होंने कहा कि "कोई गल नहीं, मेरे कोल फाईल आन दयो मैं वेख ल्याँगा।" मैं यह बताना चाहता हूं कि कढ़े हुए में यह अंतर होता है इस प्रकार से जब उनके पास फाइल आई तो उन्होंने लिख दिया कि "दस्तखत दसौंदा सिंह दे ते जिम्मेवारी सैक्रेटरी दी"

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, मुझे भी इस विषय पर मेवात के बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, आपके दल के शीर्षस्थ नेता इस विषय पर बहुत कुछ बोल चुके हैं इसलिए अब आप बैठ जायें और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र सदस्य को इस बारे में अपने विचार रखने दें। टेक चंद शर्मा जी आप बोलिए। आपको अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री टेक चंद शर्मा (पृथला): स्पीकर सर, यह एक ऐसा विषय है जब चुनावों की बात आती है तो हम दोनों तरफ से सोचते हैं। जब किसी बिल में अमैंडमैंट की बात आती है तो फिर हमारे बीच में वोटों का टकराव होता है और अगर कहीं प्रदेश के विकास की बात सोचते हैं तो फिर दूसरी तरफ जाते हैं। दोनों में यही सच्चाई है। इसके अलावा जो वर्ष 1994 में पंचायती राज़ ऐक्ट बना था उस समय भी यही बात आई थी कि पंचायती राज़ संस्थाओं को किस तरीके से शक्तियां देकर सुदृढ़ किया जाये। उस समय केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व श्री नरसिम्हा राव कर रहे थे। वे ही पंचायती राज़ संस्थाओं को स्ट्रैन्थन करने के लिए ये बिल लाये थे आज जिसको

माननीय करण सिंह दलाल जी अधोज़ कर रहे हैं। मैं भी पंचायती राज़ में जिला परिषद् का वाईस चेयरमैन और चेयरमैन रहा हूँ, इसलिए मैंने पंचायती राज संस्थाओं को नज़दीक से देखा है। मैं इस अमैंडमैंट को समर्थन देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम जिला परिषद् की बैठक करते थे तो हमारे पांच-छ सदस्य बिल्कुल अनपढ़ थे। जिस प्रकार से आजकल महिला सरपंच के पति सरपंची करते हैं उसी प्रकार से वहां पर जिला परिषद् के मैम्बर भी आते थे और कई बार तो उनके दस्तखत् भी वही करके चले जाते थे। आज के दिन भी जहाँ तक सरपंचों की बात है तो आज भी हालात बहुत खराब हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बधोला गांव है जहाँ के सरपंच से ग्राम सचिव ने 3 बार उल्टे-सीधे बिलों पर साईन करवा लिए । बाद में वे सस्पैंड हुये और मेरे कई माननीय साथी यहाँ पर बैठे हुये हैं जो पिछली सरकार में शामिल थे उन्होंने ही शायद उनको बहाल करवाया होगा। जहाँ तक पिछले दिनों इसी सदन द्वारा पास किये गये ई-गवर्नेंस बिल की बात है तो उस दिन उस बिल का तो किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो वह ई-गवर्नेंस का इस्तेमाल कैसे करेगा ? कांग्रेस ने तो पहले ही यह सिस्टम बना रखा था कि आठवीं कक्षा तक किसी को फेल न किया जाये। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कभी भी पंचायतों के चुनाव डिले नहीं हुये। मैं बताना चाहता हूँ कि नवम्बर, 1994 में पंचायत के चुनाव हुये थे और उसके बाद नवम्बर,1999 में ड्यू थे। उस समय हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी और चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री थे। भाई करण सिंह दलाल भी उस सरकार में शामिल थे। मार्च 2000 में 6 महीने बाद चुनाव हुये थे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उस समय चौ. बंसीलाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी सरकार टूट चुकी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भी पंचायत के चुनाव 6 महीने देरी से हुये थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर आप पंचायतों को शक्ति देना चाहते हैं और उनको सशक्त करना चाहते हैं तो सरपंच और पंच अवश्य पढ़े-लिखे होने चाहिएं। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को पहले मेरे मेवात विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा पर जोर देना चाहिए, बाद में इस तरह के बिल पेश करने चाहिएं। मेवात के क्षेत्र में 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट 89% है। यह ड्रॉप-आउट मेवात के लोगों की वजह से नहीं है बल्कि सरकार की कमी की वजह से है क्योंकि मेवात में ऐजूकेशन का जो सैटअप है वह बिल्कुल कमजोर है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेवात को इस बिल से छूट प्रदान की जाये। वहाँ पर यह लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से यह सिस्टम राजस्थान में भी लागू हुआ था लेकिन उसके अच्छे परिणाम नहीं आये। वहाँ पर जो पंच और सरपंच थे वे नकली मार्कशीट ले आये और चुनाव लड़ लिया लेकिन बाद में उनकी इन्कवायरी हुई और वे फर्जी मिलने पर उन पर मुकदमे दर्ज हुए। इसी प्रकार का काम हरियाणा में भी हो सकता है। यहां भी लोग जाली मार्कशीट ला कर चुनाव लड़ेंगे और इससे करप्शन बढ़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, अब आप बैठिये। आपको जो दो बात कहनी थी वह कह ली हैं। बाकी आपके दल के नेता ने पूरी डिटेल में सारी बात हाउस के सामने रखी दी थी। इसलिए अब आप बैठ जाईये ।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें जो अभी जिक्र किया गया था कि इससे पद, प्रतिभा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यह बात ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह एक एजूकेटिड सोसायटी की बात है। लेकिन इसमें ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। जो बात कही गई कि 'लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार', 'लोकराज लोकलाज से चलता है', मेरे ख्याल से मुझे यह बिल उस भावना के अनुरूप दिखाई नहीं देता क्योंकि मेरे साथी श्री करण दलाल जी ने और विपक्ष के नेता ने जो बात कही है मैं उसको इन्डोर्स करता हूं। यह सदन में सभी ने अपने-अपने सुझाव दिये और विपक्ष के साथियों ने भी अच्छे सुझाव दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विषय के संबंध में मेरा एक सुझाव है जिसके लिए मेरी बी.जे.पी. के सदस्यों से भी बात हुई है जिसमें उनकी भी यही राय है कि, अगर आप आज हाऊस में इस बिल पर सही डैमोक्रेसी लाना चाहते हो तो सीक्रेट बैलिड करवा लो वरना यह बिल न गिरे तो कह देना। आप इस पर सीक्रेट बैलेट करवायें क्योंकि यह बी.जे.पी. के सदस्यों ने ही मुझे कहा है। लेकिन मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा यह नहीं है कि यह बिल गिरे या पास हो। मुद्दा यह है कि आज आप इस बिल को पास करो। क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि इसमें सरकार की साजिश है कि एक बार यह बिल बना दो और फिर इस बिल पर हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, आपके नेता ने पूरी बात कह दी है। प्लीज आप जिद्द मत कीजिए।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय,"नियत नेक दर्शाई जानी पीर पराई" नीयत नेक दर्शाई यह एक पार्ट है और जानी पीर पराई डैमोक्रेसी में पराया कोई नहीं होता जिन लोगों की वजह से आज हम यहां बैठे हैं वह लोग सदन के पराए नहीं हैं तो आज जब यह बिल पास हो जाएगा तो आप इस बिल के ऊपर भी लिख दोगे कि "नीयत नेक दर्शाई जानी पीर पराई"। इसलिए मैं सदन के नेता से यह कहना चाहता हूं कि जो नारा आपने दिया है इस नारे को ध्यान में रखते हुए आप इस बिल में अमैंड करो और मेरा निवेदन है कि इस पर सीक्रेट बैलिड करवाओ। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, आप कृपा बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में एक मौलिक विषय उठाया गया कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा। संयोग से ए.जी. साहब ने संविधान यहां रखा हुआ है। पहली बात तो यह है कि संविधान में इस प्रकार के पंचायती चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी या स्थानीय निकाय चुनाव यानि म्यूनिसिपलिटीज कारपोरेशनज की प्रक्रिया क्या होगी ? ये इस प्रकार का प्रोसीजर या इस प्रकार का जो अधिकार है वह पूरा लैजिस्लेचर को दे रखा है। इसी प्रकार लोक सभा व विधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी यह अधिकार भी लोक सभा को

दिया हुआ है। पार्लियामैंट को दिया हुआ है। वह प्रोविजन अपने हिसाब से बना सकते हैं। संविधान में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। Rule 243C. Composition of Panchayats-(1) says :-

> "Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the composition of Panchayats."

तो किस प्रकार की शर्तें रखनी हैं, किस प्रकार के नियम बनाने हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखनी है, यह सब तय है। बाकी सारी चीजों का प्रोविजन जो है वह लैजिस्लेचर अपने आप तय कर सकता है और वह उसको पास कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहां अपनी स्टेट में हमने महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किये हैं। अभी ये सारे देश भर में नहीं हुए हैं। हरियाणा में हमने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया है। कुछ और प्रदेशों ने भी किया है सारे देश में ऐसा नहीं है। हमने इसका प्रोविजन किया है और उसको हमने बना लिया है। इसलिए जो अधिकार अपने हैं उसमें संविधान का कोई भी इन्टरफेरेंस नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। चार्जिज की बात कही गई। चार्जिज में हमने सिम्पल कोई भी चार्ज हो उसके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया। यदि किसी ने हीनियस क्राईम किया हो, जिसके चार्जिज में 10 साल या ज्यादा की सजा होती है तो उस प्रकार का कोई ऐसा स्कोप इसमें नहीं बचता। ये बड़ी सामान्य चार्जिज की बात है। 10 साल अथवा ज्यादा चार्जिज का मतलब हीनियस क्राईम किया हुआ है। उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हीनियस क्राईम में इन्वेस्टीगेशन के मामले में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखाया और कोई लगा देगा। इसलिए इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा सी.एम.साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केस रैफर किया है, ए.जी.साहब यहां बैठे हुए हैं, ये इसको देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड किया हुआ है कि-

> "Merely on the basis of chargesheet you cannot debar anybody from contesting Panchayat Elections."

सुप्रीम कोर्ट से बड़े हम कहां हुए? आप इसको कर दीजिए। हाईकोर्ट इसे रोक देगा। मैं आपको इसकी कॉपी दे देता हूं, आप इस बारे में देख लीजिए।

श्री ओ.पी. धनखड़ : सरपंच पर केस दर्ज होता है तो सस्पैंड करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : आप रोज देखते हैं दुनिया भर की एफ.आई.आर दर्ज हो जाती हैं। महिला थानों की बात हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : जहां तक लिट्रेसी की बात है, हमारे हरियाणा में अर्बन एरिया में लिट्रेसी स्वाभाविक रूप से थोड़ी ज्यादा है लेकिन रूरल में भी इतनी कम नहीं है। यह रूरल एरिया में मेल में 81.65 परसैंट है। 81 परसैंट लोग आज भी रूरल एरिया में लिट्रेट हैं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेवात में रूरल में 6.6 परसैंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये सोशियो-इकोनोमिक एंड कास्ट सैंसस की रिपोर्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मैं बता रहा था कि फीमेल का लिट्रेसी रेट 52 परसैंट है तो जो आलोचना हमने महिलाओं के 33 परसैंट सीटों के आरक्षण के समय सुनी थी कि महिलाएं कहां से आएंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, क्या होगा, लेकिन बाद में ये बातें भी निर्मूल साबित हुईं और चुनाव हुआ, महिलाएं चुनाव लड़ी भी जीती भी और बाद में ऐक्सपोजर बढ़ा तो वे स्वयं जाकर अपने फील्ड में कार्य करने लगी। आज हम हर जगह पंचायत में देखते हैं, ब्लॉक समिति जिला परिषद में देखते हैं कि सारे यंग लोग आ गए हैं। यंग जनरेशन में कोई केस ऐसा नहीं बचा कि जो क्वालिफिकेशन हम इसमें रख रहे हैं, वह उनकी न हो। पंचों के चुनाव में महिलाओं के लिए 8वीं और एस.सी. महिलाओं के लिए 5वीं की क्वालिफिकेशन तय की गई है। इससे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा कि जिसमें चुनाव लड़नें के लिए कैंडीडेट न मिलें। ग्राम पंचायत में पंच के लिए पूरे गांव से किसी भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड में जाकर चुनाव लड़ सकता है।

श्री जाकिर हुसैन : मुख्यमंत्री जी, आप इस बारे में सर्वे करवा लें आपके सामने सारी स्थिति आ जाएगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपनी नॉलेज के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन लेना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में सभी बातें हो चुकी हैं। करण सिंह दलाल भी बड़े विस्तार से अपनी बात रख चुके हैं । अब आप सभी सदस्य बैठ जाइए।

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूं कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मेवात क्षेत्र में अगर कोई पंचायत का मैंबर 8वीं, 10वीं या कोई एस.सी.महिला 5वीं पास भी नहीं हो तो पंचायती राज संस्था का क्या भविष्य होगा, उस बारे में क्लेरिफाई कर दें।

श्रीमती प्रेमलता (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आज पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, मैं उसके बारे में अपनी बात कहना चाहती हूँ। लोकसभा में जब 73वें पंधायती राज एक्ट में संशोधन हुआ उस समय ग्राम पंचायतों में, खण्ड समितियों में, जिला परिषदों में प्रशासनिक आर्थिक शक्तियां प्रदान की गई थी। उस समय इस संशोधन एक्ट में यह कहा गया था कि इन शक्तियों का प्रयोग गाँव के विकास के लिए और गाँव के लोगों को आर्थिक तौर पर स्वावलम्बी बनाने में लाया जा सकेगा। जब गाँव का मुखिया हम चुनते हैं तो उस आदमी में यह देखते हैं कि उसमें गाँव की समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का निदान करने की प्रतिभा है या नहीं। ये मात्र शिक्षित होने पर ही संभव हो सकता है। आज सदन में पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन बिल पेश किया गया है वह बिल्कुल तर्कसंगत है। मैं सदन में इसके बारे में एक उदाहरण पेश करना चाहती हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी पंचायती राज प्रोग्राम के लिए विज्ञान भवन में आए थे उस समय मैं भी विज्ञान भवन में मौजूद थी। उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों को बताया कि वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे यह उससे पहले का वाक्या है। वे किसी प्रोग्राम में गये तो वहां कोई सज्जन आये और यह कहा कि मुझे एस.पी. से मिलना है, तो मैंने यह सोचा कि पुलिस का एस.पी. होगा, मैंने अपने दायें और बायें देखा वहां पर तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। तब उसने वहां पर उपस्थित एक आदमी को खड़ा किया और कहा कि ये हैं एस.पी.। मैंने कहा कि यह एस.पी. कैसे है तो उस आदमी ने कहा कि जी ये सरपंच पति हैं। जो सरपंच पति का शब्द है यह हमारे हरियाणा में बहुत प्रचलित

है। इसके बारे में भी मैं सदन में एक उदाहरण देती हूं। मैंने अपने हल्के में एक बार जो सरपंच महिलायें थीं उनकी एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मैं सरपंच महिला का नाम मीना पुकारूं तो उसकी जगह आदमी खड़ा हो जाए। तब मैंने उस आदमी से कहा कि भाई मीना कहां है तो उसने कहा कि जी वह तो घर पर है। उसके बाद मैंने दूसरी सरपंच आशा का नाम लिया तो भी उसका आदमी खड़ा हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि जो महिलाएं सरपंच बनी हुई हैं वे अनपढ़ हैं इसलिए सरपंच का सारा कार्य उनके पति संभालते हैं। इसलिए हमने जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रखा हुआ है उसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है ताकि उनको यह पता चल सके कि जो पैसा गाँव के विकास के लिए उनको डायरेक्ट सरकार से मिल रहा है, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ? आज पंचायतों को सरकार की तरफ से बहुत पैसा मिल रहा है। जो छोटी पंचायत होती हैं उसको साल में कम से कम 16 लाख रूपया सरकार की तरफ से मिल रहा है और जो बड़ी पंचायते हैं उसको एक करोड़ रूपये से लेकर डेढ़ करोड़ रूपये तक सालाना मिल रहा है। मैं सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि अगले पांच साल में 2,00,292 करोड़ रूपये की धनराशि सीधी पंचायतों को केन्द्र सरकार की तरफ से मिलेगी। जो छोटी से छोटी पंचायत होगी उसको 16 लाख रूपये और जो बड़ी पंचायत होगी उनको एक करोड़ रूपये से डेढ़ करोड़ रूपये तक मिलेंगे। इसके लिए हम क्या यह नहीं चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस पैसे का सही इस्तेमाल करे। अब तो थोड़ा समय बदल गया लेकिन पहले औरतें अनपढ़ होती थी और उसको दस रूपये देकर उसकी जेब में पिन लगा दी जाती थी और यह कह दिया जाता था कि अगर तुझे पैसे देने हों तो ये दस रूपये दे देना उस समय उस औरत को यह नहीं पता चलता था कि उसको दस रूपये दिए गये हैं या 100 रूपये दिए हैं। अब समय बदल गया है और गाँवों में पढ़ी लिखी बहुएं आ गई हैं, इसलिए जब भी कोई पैसे का लेनदेन हो तो यह कहा जाता है कि बहू से पूछ लो। हम अब क्यों नहीं चाहेंगे कि गांवों में पढ़ी लिखी महिलाएं सरपंच बनें ताकि पंचायत को जो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है उसका सही उपयोग हो सके। इसलिए मैं सदन को यह बात बार-बार कह रही हूँ कि मनरेगा का पैसा, इन्दिरा गान्धी आवास योजना का पैसा, स्किल डिवेल्पमैंट का पैसा, डी-प्लान का पैसा, सांसदों की ग्रान्ट्स और एच.आर.डी.एफ. का जो पैसा मिलता है यह सारा पैसा गांवों के सरपंचों को मिलता है। अगर गांव का सरपंच अनपढ़ होगा तो उसको तो यह भी पता नहीं लगेगा कि यह पैसा कहां पर खर्च होना है और पढ़े लिखे आदमी उससे कहीं पर भी अंगूठा लगवा लेंगे और बाद में कोई गड़बड़ हो गई तो वह कोर्ट के चक्कर लगाता फिरेगा। इसलिए मैं कहती हूं कि सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यह गाँवों में एक मिसाल बनती है कि हम अपनी महिलाओं को पढ़ायें अपने बच्चों को पढ़ाये। बेशक वे चाहे मेवात की बात कर रहे हों। अगर वहां पर शिक्षा की कमी है तो यह उनके लिए एक सबक होगा ताकि वे अपने बच्चों को और महिलाओं को पढ़ायें। कहीं से तो शुरूआत करनी ही होगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बहन जी आपकी बात पूरी हो गई है अब आप बैठ जाईये।

वॉक-आउट

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार या तो इस पंचायती राज एक्ट के संशोधन को वापिस ले या फिर इस पर सदन में इस बिल के संशोधन पर सीक्रेट बैलेट करवा लें। इससे सबको पता चल जायेगा कि कितने विधायक इसके पक्ष में हैं और कितने विधायक इसके विपक्ष में है ?

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, इस बिल में जो अमैंडमेंट आ रही है वह आपकी पार्टी के सदस्य श्री करण सिंह दलाल लाए हैं। आप लोग उनके समर्थन के लिए तो बैठे रहें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप यदि इस संशोधन पर सीक्रेट बैलेट नहीं करवा रहे हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यगण (श्री करण सिंह दलाल को छोड़कर) हरियाणा पंचायती राज विधेयक, 2015 पर गुप्त मतदान के लिए अपनी दलील को स्वीकृत न करने के विरूद्ध विरोध के रूप में सदन से वॉक आउट कर गये।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी इस बिल में जो संशोधन लाए हैं उस पर सदन में इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है फिर भी इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के इनके साथी इनको अकेला छोड़ कर इनके संशोधन के खिलाफ सदन से वॉक आउट कर गये हैं। उन्होंने अपने सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी का भी समर्थन नहीं किया। It is mockery of the provisions.

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी कुछ बात करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको इस संशोधन पर बोलने के लिए काफी ज्यादा समय दिया गया। अभी तो आपकी पार्टी के सदस्यों ने इस संशोधन के समर्थन में अपनी बात रखनी थी। फिर भी आपके साथी सदन से वॉक आउट कर गये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब के संशोधन को तो इनकी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने ही गिरा दिया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अभी तो आपकी पार्टी के सदस्यों को इस संशोधन के समर्थन में बोलना चाहिए था। आप जितना हाउस को समझाते हो उतना अपनी पार्टी के सदस्यों को भी समझाया करो।

श्री रामबिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी इस सदन के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने सदन में इस विधेयक के बारे में एक संशोधन दिया है। (शोर एवं व्यवधान) इस समय सदन में इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा पांचों इंडिपैंडैंट विधायक बैठे हुए हैं, 52 सदस्यों का हमारा विधायक दल है तथा 19 इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्य हैं। It is very serious, you kindly see the conduct of Hon'ble members of the Congress Party. श्री करण सिंह दलाल इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। किसी बिल पर अमैंडमेंट देना सब सदस्यों के वश की बात नहीं है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, कॉंग्रेस पार्टी के विधायक दल की नेता तो आज सदन में आई ही नहीं हैं। आप देखिए इनकी जूतियों में दाल बंट रही है। (शोर एवं व्यवधान) यह सदन की एक प्रक्रिया है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बी.ए.सी. की मीटिंग में जो बात कही थी, आपने उस बात को माना भी है। आपने इस सत्र की सिटिंग बढ़ाई तथा सदन का समय भी बढ़ाया, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के मित्रों का अपने ही सीनियर विधायक के प्रति जो आचरण है वह अच्छा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भगवा रंग की शर्ट कई दिनों तक पहनी है, कहीं इसीलिए तो आपके साथी आपको छोड़कर नहीं चले गए हैं । (हंसी)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कई सालों से इस विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर इस सदन में आ रहा हूँ। मैंने पहली दफा इस सदन में इस प्रकार के पौजीटिव सुझाव देने शुरू किए हैं। (शोर एवं व्यवधान) वास्तव में मेरी राजनीति तो कुछ और ही तरह की हुआ करती थी। इस सदन में मैंने अपना पौजीटिव सुझाव दिया है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की तथा इस संबंध में दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सारा सदन यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव में न ही बदनीयती है और न ही राजनीति है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह सदन आपकी मेहनत की पूरी कद्र कर रहा है लेकिन आपके साथी ही आपको छोड़कर चले गए। (शोर एवं व्यवधान) सदन में इन सदस्यों ने बड़े ध्यान से आपकी पूरी बात सुनी है तथा आपकी बात के बीच में किसी भी माननीय सदस्य ने इन्टरवीन नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके साथियों को तो आपका सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वे आपको ही छोड़कर चले गए। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउट

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन सुन रहा है। मैं जाते वक्त एक सुझाव फिर दे रहा हूँ कि यह बिल कानूनन माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के प्रोविजन्स के मुताबिक वैध नहीं माना जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए, आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस बिल पर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं इसके विरोध में सदन से वॉक-आउट करता हूं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री करण सिंह दलाल हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पर अपना संशोधन स्वीकृत न किये जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गए)

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, डांगी साहब ने पाला बदल लिया है। (शोर एवं व्यवधान) वे इस विधेयक पर हमारे साथ आ गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डांगी साहब वैसे तो इसी सदन में हैं लेकिन वे हमारे साथ आ गए हैं। (हंसी) ये ट्रेज़री बैंचिज का साथ देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आपकी अध्यक्षता और हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक इतिहास पिछले सत्र में बनाया गया था तथा गौ-संरक्षण और गौ-संवर्धन का हमने जो कानून बनाया था उसकी सारे देश में ख्याति हुई है

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

तथा सारा देश हरियाणा की प्रशंसा कर रहा है। आज फिर हम राजस्थान के बाद दूसरे नम्बर पर आ रहे हैं। यदि हम इस बात को पहले कर पाते तो बहुत अच्छा होता लेकिन **असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माअमृतमगमय।** यह सदन बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने का जो निर्णय ले रहा है जिस बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सदन में चर्चा की है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसके समाधान में यह कहा है कि यह अधिकार कोई fundamental right नहीं है। यह अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त और इस हाऊस के द्वारा नियमित कानून के द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है। जब दो बच्चों का विषय आया उस समय भी इस अधिकार को चुनौती दी गई थी। उस समय भी कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि इस मामले में अंतिम फैसला हाऊस ही करेगा। यहां पर विधायकों और सांसदों की शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाये गये हैं इस बारे में यह हाऊस कोई फैसला नहीं ले सकता क्योंकि यह इस हाऊस के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है वहां से हम एक अच्छी शुरूआत कर रहे हैं। यह सदन आज के दिन एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम सामने आयेंगे और जिनसे प्रदेश और देश के साथ साथ पूरे समाज का भला होगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में इस समय भी हमारी पंचायतों की स्थिति कोई ज्यादा खराब नहीं है क्योंकि हमारी जिन पंचायतों का अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है उनमें 81 प्रतिशत से ज्यादा लोग पढ़े-लिखे थे, इसलिए इसे किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जा सकता। जहां तक अक्तूबर, 2015 में होने वाले पंचायतों के चुनावों का सम्बंध है, हाऊस के इस निर्णय के बाद इस बार जो पंचायतें बनेंगी वे शतप्रतिशत् शिक्षित और साक्षर पंचायतें होंगी। स्पीकर सर, इस सबका श्रेय जो आज हम यहां पर कानून बनाने जा रहे हैं उसको मिलेगा। अभी मेरे कई साथी व्यवस्था का सवाल उठा रहे थे। अभय सिंह जी ने खुद उसकी चर्चा की। हम उस जहाज़ में साथ ही थे। राव नरबीर जी भी हमारे साथ थे। (विघ्न) मेवात के लोगों के बारे में भी कोई ज्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने भी पढ़ी-लिखी दुल्हनें लाकर यह इंतजाम कर लिया है इसलिए वहां पर भी कोई भी वार्ड खाली नहीं रहेगा। हमने इसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है और वास्तव में ही यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई है। अनुसूचित जाति के परिवारों में भी ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री धनखड़ जी को यह बताना चाहता हूं कि शायद उन्होंने माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी की बात को ध्यान से नहीं सुना है। वे यह कह रहे थे कि मेवात के लोग हैदराबाद से सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए ही लड़कियां मोल लेकर आ रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को इस बारे में यही बताना चाहूंगा कि वे हैदराबाद से विवाह करके दुल्हनें ला रहे हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया, वास्तविकता तो यही है बाकी माननीय कृषि मंत्री जी मानें या न मानें यह उनकी मर्जी की बात है। सर, राव नरबीर सिंह को इसलिए इस बात की जानकारी है क्योंकि उनका उस इलाके के साथ सम्बंध है और उनका हर वक्त वहां के लोगों से मिलना-जुलना होता रहता है, इसलिए उन्हें आम लोगों की बातों का पता होता है। उनको इस बारे में जानकारी थी इसलिए जब आज यहां पर चर्चा हुई तो उन्होंने उस बात का जिक्र कर दिया।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य के साथ-साथ पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि इससे हमारी सारी की सारी बहनें बड़ी प्रसन्न होंगी क्योंकि इससे अच्छा नारी सशक्तिकरण और क्या होगा कि दुल्हनें आयेंगी भी और सरपंच भी बनेंगी। हम सभी को इस बात पर खुश होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी और पूरे सदन की जानकारी के लिए एक पते की बात और बताना चाहूंगा कि हैदराबाद की जिस लड़की को मेवात के लोग दुल्हन बनाकर लायेंगे और यहां आकर वह सरपंच भी बन जायेगी, लेकिन अगर उसने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड कर दिया और फ्रॉड करके वह हैदराबाद वापिस चली गई तो फिर माननीय मंत्री महोदय किसको पकड़ेंगे। इस प्रकार इससे तो सरकार के लिए और मुसीबतें पैदा हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमने सरकार से जो आग्रह किया है उसको स्वीकार किया जाये और इसके लिए पांच वर्ष का समय निर्धारित किया जाये ताकि लोग इसके लिए अपने-अपने परिवारों को शिक्षित करें और उनको शिक्षित करने के बाद उनको पॉलिटिक्स में एक्टिव करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है अभय जी, अब आप कृपा करके बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे इस सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान श्री अभय सिंह जी ने भी कहा कि आज ग्राम पंचायतें केवल कानून व्यवस्था को छोड़कर गांवों की सम्पूर्ण सरकार हैं। 29 कामों की लिस्ट बनी हुई है जो सरपंच को करने होते हैं। इतने काम हमारे विधायकों को भी नहीं करने पड़ते और हमें भी नहीं करने पड़ते लेकिन एक सरपंच को सभी डिपार्टमैंट्स सम्भालने पड़ते हैं। इस बारे में विपक्ष के माननीय नेता ने भी विस्तारपूर्वक चर्चा की कि गांव का अस्पताल कैसे चल रहा है यह उसको देखना पड़ता है, गांव का स्कूल किस प्रकार से चल रहा है यह भी उसी को देखना पड़ता है, गांव का पशु अस्पताल कैसा चल रहा है यह भी उसी को ही देखना पड़ता है और गांव की खेती-बाड़ी कैसी चल रही है यह देखना भी सरपंच का काम है। इस प्रकार से गांव की सारी की सारी व्यवस्थायें वही देखता है। इसके अलावा गांव में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह पुलिस विभाग को भी सहयोग करता है। इस सबके लिए एक शिक्षित सरपंच का होना नितांत आवश्यक है। आज के समय में उसके पास बहुत सा बजट भी आ गया है। हमें विधायक और सांसदों के नाते किसी बजट मैटर को डील नहीं करना पड़ता लेकिन उसे बहुत से बजट मैटर को डील करना पड़ता है। उससे ऊपर के अधिकारियों की चर्चा तो विपक्ष के नेता द्वारा की गयी लेकिन यह चर्चा नहीं की कि हमारे प्रदेश के सरपंच के पास काम करने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं है। हम अपने गांवों को ई-गवर्नैंस से जोड़ना चाहते हैं। हम ग्राम सचिवालय बना रहे हैं। हम वहां पर कम्प्यूटर भी रख रहे हैं और गांव की वैब-साइट भी बना रहे हैं। इन सबके लिए एक शिक्षित सरपंच का होना और इन्टरनैट से जुड़ना गांव की प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है इसलिए हमने ये कदम उठाये हैं। हम अपने प्रदेश के गांवों को अपराधीकरण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। विपक्ष के माननीय नेता और सब लोग समझते हैं कि अतीत में किस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पंचायतों और दूसरी संस्थाओं में आये हैं और उन्होंने गांवों की सपोर्ट और सरकारी संसाधन मुहैया होने के बाद गांवों में किस प्रकार की कठिनाईयां पैदा की। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज़ हैं, वे सभी पंचायतों से बाहर बैठेंगे। हमारी सरकार के इस

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

निर्णय का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वागत हुआ है। अध्यक्ष जी, करण सिंह दलाल जी हाऊस से चले गये हैं, इसलिए उनके द्वारा यहां पर प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव पर मैं 'हां' या 'ना' क्या जवाब दूं। फिर भी जो वे बात कह रहे थे मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। वे यह कह रहे थे कि इसके लिए एक महीने का समय मिल जाता। इस पर मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने 14 तारीख को ऑर्डिनैंस जारी किया और 01 तारीख को उसे वापिस लेकर आज हम 07 सितम्बर, 2015 को यह काम कर रहे हैं जिससे सभी को 21 दिन का समय मिल गया। इससे जिनको अपने बिल भरने थे और जिनको अपने लोन अदा करने थे उन सभी को पर्याप्त समय मिल गया। स्पीकर सर, जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे इसमें कोई आखिरी बिल की बात नहीं है। उसके पास एन.ओ.सी. होनी चाहिए और अगर उसके पास कनैक्शन ही नहीं है तो फिर विभाग उस बारे में क्या कहेगा। उसके तरफ कुछ बकाया नहीं है इस बात का प्रमाण पत्र चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन ही नहीं ले रखा है तो फिर उसको कोई क्या कहेगा। इस प्रकार से गांव के सरपंच से अब जिस प्रकार की अपेक्षा हो गई है वह केवल एक अच्छा प्रशासक हो केवल इतना ही काफी नहीं है, वह अच्छा मॉटीवेटर भी हो यह भी बहुत ज़रूरी है। आजकल गांवों में स्वच्छता मिशन चल रहा है। आज आदर्श गांव की संकल्पना भी आ गई है। हम गांवों को ऐसा बनायें कि वे हर प्रकार से आदर्श हो। जब से स्मार्ट शहरों की बात आई तभी से स्मार्ट गांवों की बात भी आ गई है। इसलिए अब उच्च योग्यता वाली पंचायतों को लेकर आगे बढ़ने का समय आ गया है और समय की मांग को देखते हुए यह आवश्यक भी हो गया है। पूरे देश में जिस प्रकार का मिशन रखा गया है कि जो वर्ष 2019 का दो अक्तूबर होगा तब तक पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसे खुले में शौच के लिए जाना पड़े। पूरे देश के सारे के सारे गांव स्वच्छ बन जायें। इस बात की अखबारों में भी चर्चा हुई है कि सदन द्वारा इस विधेयक की धारा 175 में संशोधन करने मात्र से ही 70 हज़ार शौचालय बनने की सम्भावना बन गई है। इसके लिए जो मुझे 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना था मुझे लगता है कि आने वाले पंचायत चुनावों के बाद हम शतप्रतिशत् उस लक्ष्य की तरफ बढ़ जायेंगे। आने वाले समय में जल्दी ही हरियाणा प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जायेगा जिसके बारे में हम कह सकेंगे कि हरियाणा प्रदेश भी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई भी शौच के लिए खुले में नहीं जाता। हमारी पूरी सरकार एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो मुद्दे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने उठाये थे। उस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में संशोधन कर रहे हैं और इसी अधिनियम की जो धारा 176 है उसमें सभी व्यवस्थायें हैं। इसके बाद कोई क्रप्ट प्रैक्टिसिज़ नहीं करेगा। कोई शराब भी नहीं बांटेगा। कोई किसी वोटर को भी नहीं खरीद पायेगा। इसलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दिये गये संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि श्री करण सिंह दलाल जी खुद ही हाऊस को छोड़कर चले गये हैं इसलिए उनके द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव को भी छोड़ा जाये और जो संशोधन हम लेकर आये हैं उन संशोधनों को सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ाते हुए पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में उपरोक्त वर्णित विधेयक में निम्नलिखित 'लोप किया जाये' तथा निम्नलिखित 'जोड़ा जाये' :-

(I) "(कक) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(II) "(ग) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(घ) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(ङ) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(बब) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन से 20 दिन पूर्व ग्राम सभा के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, जिसमें गणपूर्ति 2/3 होगी कि वह मतदाताओं को प्रलोभन के लिए धन अथवा शराब अथवा मादक पदार्थ का वितरण नहीं करेगा तथा इस प्रभाव से स्वत: घोषणा प्रस्तुत करेगा। यह खण्ड (बब) के रूप में जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में उपरोक्त वर्णित विधेयक में निम्नलिखित 'लोप किया जाये' तथा निम्नलिखित 'जोड़ा जाये' :-

(I) "(कक) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(II) "(ग) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(घ) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(ङ) इस खण्ड का लोप किया जाए।

(बब) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन से 20 दिन पूर्व ग्राम सभा के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा,जिसमें गणपूर्ति 2/3 होगी कि वह मतदाताओं को प्रलोभन के लिए धन अथवा शराब अथवा मादक पदार्थ का वितरण नहीं करेगा तथा इस प्रभाव से स्वत: घोषणा प्रस्तुत करेगा। यह खण्ड (बब) के रूप में जोड़ा जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज - 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृषि मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाये।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

मुख्यमंत्री/अध्यक्ष/स्वास्थ्य मंत्री/प्रतिपक्ष के नेता द्वारा धन्यवाद

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना वर्ष 2015 का यह मानसून सत्र सम्पन्न होने जा रहा है। इस मानसून सत्र की पांच मीटिंग्स हुई और इन पांचों मीटिंग्स में सभी हमारे माननीय सदस्यगण, सभी हमारे अधिकारीगण और विधान सभा के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण इन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। विधान सभा सत्र के इस कार्य को अच्छी प्रकार से सम्पन्न करवाने में जिन-जिन का भी सहयोग रहा, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने इस कार्यवाही को जिस सुचारू ढंग से चलाया है और सभी सदस्यों ने अपनी जिस परिपक्वता का परिचय दिया है और सदन की मार्यादा रखी है, उसी का नतीजा है कि हमारा यह सत्र एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न होने जा रहा है। उसके लिए मैं पुन: उन सभी सदस्यों का और आपका आभारी हूँ। जिस प्रकार से मैंने पहले कहा था कि अगला सत्र नवम्बर के अंत में या दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में होगा, आप सभी से उस सत्र में मिलने की भावना के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप इस बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करें, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से पिछले दो सत्र चलायें हैं और एक नई परम्परा सदन में डाली है कि हर सदस्य को हर इशू पर बोलने का मौका दिया और सभी ने अपनी तरफ से चर्चाओं में भाग लिया, इस बार भी आपने उसी प्रकार से धैर्य का परिचय देते हुये हमारे द्वारा उठाये गये करेंट इश्यूज, चाहे वह काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, को स्वीकार करके हरियाणा प्रदेश की जनता को उनसे अवगत करवाने का काम किया है। आपने विशेष रूप से हर नये सदस्य को बोलने का

मौका दिया है। आपने मेरे ऊपर हमेशा कृपा रखी और आज पता नहीं किस बात को लेकर आपने एक बार मेरे ऊपर थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर की थी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। यह उम्मीद तो मैं उनसे रखता था जो आपसे पहले यहाँ पर बैठते थे। अगर इस समय वे यहाँ पर होते तो भी मैं यही बात कहता। मुझे उनके सामने यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। हमारे साथ-साथ बहन कविता जी, घनश्याम सर्राफ जी और विज साहब भी भुक्तभोगी रहे हैं। यहाँ पर बहुत खराब माहौल होता था और यहाँ पर कैसे-कैसे लोग किस-किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे और सदन की मर्यादा को अपने पैरों के नीचे रौंदने का काम करते थे। आज जब मुख्यमंत्री जी का इशू उठा था उस समय भी मैंने दो-तीन बार आपसे बोलने के लिए समय मांगा था ताकि मैं उन लोगों को उनका वक्त याद दिला सकूँ और उनको बता सकूँ कि उनका व्यवहार कैसा था और वे इस सदन को किस ढंग से चलाते थे। चाहे किसी भी सदस्य का कैसा भी व्यवहार रहा लेकिन आपने सबको सुना और सबको बोलने के लिए समय दिया और आपने बहुत अच्छे ढंग से सदन को चलाया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि अगले सत्र में आप मुझसे इस प्रकार नाराज ना होना। कहीं ऐसा न हो कि मुझे अपने समय से वंचित होना पड़े। आप इसी प्रकार से नवम्बर का सत्र भी चलाना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें प्रदेश के लोगों की नई समस्याओं को नवम्बर के सत्र में फिर से उठाने का मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ तथा इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस सुचारू ढंग से वर्तमान सत्र चलाया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पिछली सरकार के समय में जो महानुभाव अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे उस समय एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन विपक्ष को पकड़-पकड़ कर सदन से बाहर न निकाला गया हो। इसके विपरीत पिछले सत्र में भी और वर्तमान सत्र में भी आपने एक भी सदस्य को निष्कासित नहीं किया जिसके लिए आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं और मैं इस बात से खुश हूँ कि श्री कुलदीप शर्मा की आत्मा का साया इस सदन पर नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि सदन चलाने में आप सब ने मेरा सहयोग किया और सदन की गरिमा को बनाए रखा। मेरी भरपूर कोशिश रही है कि सत्ता पक्ष व विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। प्रैस के प्रतिनिधियों ने सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने में जो अपना योगदान दिया उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों का भी वर्तमान सत्र के सुचारू रूप के सफल संचालन में सम्पूर्ण योगदान देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

19.55 बजे (तत्पश्चात् सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)

53828—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh